R.N.I. No. 56386/92

लघु उद्योग, स्वरोजगार व प्रबन्ध क्षेत्रों में मार्गदर्शक

उद्यमिता

ISSN : 0971-6211
वर्ष : 01 अंक : 03

अप्रैल 2022
मूल्य 25/- मात्र

START UP विशेषांक

आजादी के अमृत काल की महत्वपूर्ण पहचान बनेगी भारत की स्टार्टअप क्रांति

स्टार्टअप की सुविधा के लिए शासकीय नियमों में दी गई प्रमुख रियायतें

मध्य प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022

A MONTHLY PUBLICATION ON SMALL INDUSTRY, SELF EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP

उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमैप), इंदौर

द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित किये जाने वाले

शुल्क आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

d-	'kYd vk/kkfjr if'k{k.k dk uke	frFk	vof/k	if'k- l[;k	'kYd ifr if'k{k.kkFkh	vkosnu dh vfre frFk
1.	vk/kfud M;jh ,o M;jh mRikn vk/kkfjr if'k{k.k dk;de	20.06.2022 to 24.06.2022	05 Days	30	1000	17.06.2022
2.	vk;kr &fu;kr ic/ku ,o ii=hdj.k if'k{k.k dk;de	25.07.2022 to 29.07.2022	05 Days	30	1500	23.07.2022
3.	dfdx cfdx ,o [kkn; ilLdj.k if'k{k.k dk;de	26.08.2022 to 30.08.2022	05 Days	30	1000	24.08.2022
4.	Lkkyj mtk vk/kkfjr m|kx ,o 0;olk; if'k{k.k dk;Øe	26.09.2022 to 30.09.2022	05 Days	30	1500	23.09.2022
5.	jfMeM xkjeUVl fuek.k	01.09.2022 to 30.11.2022	03 Month	30	3000	30.10.2022
6.	jlk;u m|kx vk/kkfjr if'k{k.k dk;Øe	18.10.2022 to 22.10.2022	05 Days	30	1500	17.10.2022
7.	fMftVy ,o lk'ky ehfM;k ekdfVx	25.11.2022 to 29.11.2022	05 Days	30	1500	23.11.2022
8.	cfIDl vkQ C;Vh ,.M g;j Mflx	02.11.2022 to 31.01.2023	03 Month	30	30000	1.11.2022
9.	vk;kr &fu;kr ic/ku ,o ii=hdj.k if'k{k.k dk;Øe	17.12.2022 to 21.12.2022	05 Days	30	1500	15.12.2022
10.	mRikn vk/kkfjr m|ferk fodkl dk;Øe	01.01.2023 to 12.01.2023	2week	30	1500	30.12.2022
11.	fMftVy ,o lk'ky ehfM;k ekdfVx	27.01.2023 to 31.01.2023	05 Days	30	1500	24.01.2022
12.	1. [kkn; ilLdj.k m|kx ,o idftx vk/kkfjr if'k{k.k dk;deA	20.02.2023 to 24.02.2023	5 Days	**30**	**1000**	17.02.2023
	2. dEI;Vj Q.MkeUVy (Data Entry, Photoshop, Ms Office, Hindi English Typing)	01.02.2023 to 30.03.2023	02 Month	30	2000/-	30.01.2022

संपर्क करें-

विजय चौरे, जिला समन्वयक

उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश शासन के अधीन)

द्वितीय तल, कार्पोरेट बिल्डिंग, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स, परदेशी पुरा, इंदौर (म.प्र.)

फोन: 0731-2574775, 0755-4000918 ई-मेल : vinayakv1@yahoo.com

वेबसाईट : www.cedmapindia.mp.gov.inमो. 9827214711, 8319267042

R.N.I. No. 56386/92 डाक पंजीयन क्र. म.प्र. भोपाल सं. /316/2022/2024

वर्ष : 01 अंक : 03

विवरणिका

अप्रैल 2022

● आजादी के अमृत काल की महत्वपूर्ण पहचान बनेगी भारत की स्टार्टअप क्रांति 9

- मध्य प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 15–21
- मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश 22–24
- उद्यमिता की संस्कृति को विकसित कर रहा बी-नेस्ट 25–26

स्टार्ट अप इंडिया योजना

- स्टार्टअप क्या है 27–31
- स्टार्टअप की सुविधा के लिए शासकीय नियमों में दी गई प्रमुख रियायतें 32–37
- स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम हेतु दिशानिर्देश 38–44
- स्टार्टअप के लिए देश में उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं 45–46
- स्टार्टअप्स के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के उद्यमियों की सफलता की कहानी 47–53
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार से संबंधित चुनौतियां एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में स्टार्टअप की जरूरत 54–55

स्थायी स्तंभ

- सेडमैप समाचार 56–59
- मध्य प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य 60–61
- राष्ट्रीय औद्योगिक परिदृश्य 62–66

प्रधान संपादक

अनुराधा सिंघई

कार्यकारी संचालक

संपादक एवं प्रकाशन प्रमुख

उमाशंकर दुबे

आकल्पन एवं अक्षर संयोजन

दिनेश कुमार मधुकर राव गावड़े

प्रकाशन सहायक

राधा शर्मा

वितरण सहायक

संतोष सिंह

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, सूचनाएं, विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार होते हैं तथा विभिन्न स्त्रोतों से लिये जाते हैं। इनमें किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि हेतु उद्यमिता समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं हैं।

उद्यमिता समाचार पत्र सदस्यता शुल्क

अवधि	रूपये
एक वर्ष हेतु	250/-
दो वर्ष हेतु	495/-
तीन वर्ष हेतु	740/-
आजीवन सदस्यता	3300/-

नोट : पत्रिका के लिए मनी आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट भेजते समय कृपया पत्रिका का नाम, अपना पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी अवश्य लिखें।

संपादकीय एवं व्यावसायिक संपर्क

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011 म.प्र.

फोन : 0755 - 4000914 **ई-मेल :** cedmapusp@rediffmail.com

वेबसाइट : www.cedmapindia.mp.gov.in

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या और स्वरोजगार उसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है। लोगों को स्वरोजगार स्थापना से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मासिक पत्रिका **उद्यमिता समाचार पत्र** का प्रकाशन किया जाता है। ऐसे सभी विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में मार्गदर्शक जानकारियां प्रदान कर सकते हैं, उनके लेखों, जानकारियों का उद्यमिता समाचार पत्र में सादर स्वागत है। उद्यमिता समाचार पत्र में लेख, सूचना, समाचार, विज्ञापन एवं प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियां उपरोक्त पते पर प्रेषित की जा सकती हैं.

पत्रिका के आगामी विशेषांकों की सूची

मई 2022 अंक **कृषि उद्योग विशेषांक**

के रूप में प्रकाशित किया जाएगा

आगामी अंक निम्न विषयों पर प्रकाशित किए जाएंगे

- सूचना प्रौद्योगिकी
- नवकरणीय ऊर्जा उद्योग
- खादी एवं ग्रामोद्योग
- भवन निर्माण उद्योग
- ऑटोमोबाइल
- लौह एवं इस्पात उद्योग
- प्लास्टिक उद्योग
- मत्स्योद्योग
- वस्त्रोद्योग
- ज्वैलरी उद्योग
- सेवा उद्योग
- हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योग

सूचना : उद्यमिता समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री पर सर्वाधिकार प्रकाशित करने से पूर्व प्रकाशन की अनुमति लेना आवश्यक है तथा ऐसे लेखों के अंत में पत्रिका से संबंधित अंक का विवरण देते हुए उद्यमिता समाचार पत्र से साभार लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा न किये जाने पर उद्यमिता समाचार पत्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

दुनिया भर में छा रहे भारतीयों के स्टार्टअप्स

भारतीय स्टार्टअप्स अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत में उनके फलने-फूलने के लिए वातावरण सुलभ कराने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य स्तर पर नियमों के सरलीकरण के साथ ही स्टार्टअप्स के मार्गदर्शन एवं आर्थिक व्यवस्था सहित विभिन्न रियायतें प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत में वर्ष 2014 में केवल 300 से 400 स्टार्टअप थे, वहीं आज उनकी संख्या 70 हजार तक पहुंच गई है। भारत में दूनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईको सिस्टम है। मध्यप्रदेश में साल 2016 में सिर्फ 7 उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे। प्रदेश सरकार की स्टार्टअप्स नीति व सहयोग से वर्तमान में 1900 से अधिक डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं।

देश में सफलता अर्जित करने के बाद भारतीय स्टार्टअप्स अब समूचे विश्व में अपना विस्तार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनेशिया, दक्षिण कोरिया, दुबई, सऊदी अरब, चिली, स्पेन और आयरलैंड जैसे देश इनके पसंदीदा बाजार के तौर पर उभर रहे हैं। परंपरागत रूप से सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका भारतीय उद्यमिता के लिए पसंदीदा बाजार रहे हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से स्थितियां तेजी से बदली हैं। भारत में टेक स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं और इनकी आवश्यकताएं अलग हैं। इन्हें न केवल उपयुक्त बाजार चाहिए बल्कि आसान शर्तों पर पूंजी और खास तरह की प्रतिभा की भी जरूरत है। इसीलिए ये आसियान देश और यूरोप का रुख कर रहे हैं। टेक स्टार्टअप्स के लिए यूरोप बड़ा बाजार है।

स्टार्टअप रिसीयू के सीईओ अजय रामसुब्रमण्यम का कहना है कि ``बीते डेढ़-दो वर्षों में भारतीय स्टार्टअप्स ने घरेलू बाजार में जोरदार तरीके से व्यवसाय बढ़ाया है। अब उन्हें वैश्विक उत्पाद विकसित करने हैं। इसके लिए पूंजी, इकोसिस्टम और प्रतिभाएं यूरोप और कनाडा जैसे देशों में आसानी से मिल रही है। इसीलिए बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) स्टार्टअप ग्लोबल मार्केट का रुख कर रहे हैं।'' एंजेल इन्वेस्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के सह-संस्थापक अंकुर मित्तल का कहना है कि ``भारतीय सास (सॉफ्टवेयर ऐज अ सर्विस) कंपनियां अब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने लगी हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सफल हो रहे हैं। वहां न केवल ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, बल्कि बिजनेस बढ़ाने के मौके भी काफी हैं। ऐसे में उनके लिए दूसरे बाजार का रुख करना जायज है।'' न सिर्फ देश में बल्कि अमेरिका में भी भारतीय मूल के लोग यूनिकॉर्न बनाने में टॉप पर हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के फाइनेंस के प्रोफेसर इलिया ए स्ट्रेबुलाएव के द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक ``अमेरिका के 500 यूनिकॉर्न्स (प्रत्येक एक अरब डॉलर से अधिक मूल्य के)के 1078 संस्थापकों में से 90 भारतीय मूल के हैं। स्ट्रेबुलाएव के इस अध्ययन में 1997 से लेकर 2019 तक के अमेरिकी यूनिकॉर्न्स के आंकड़े शामिल किए गए हैं। इस अध्ययन के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में अमेरिका में मौजूद टॉप 10 यूनिकॉर्न्स में से सर्वाधिक 90 यूनिकॉर्न्स के साथ भारतवंशी टॉप पर रहे। इसके बाद क्रमश: इजराइल (52), कनाडा (42), ब्रिटेन (31), चीन (27), जर्मनी (18), फ्रांस (17), रूस (14), ताइवान (12) एवं यूक्रेन (12) का स्थान है।''

स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक परिदृश्य सुनहरा है, अवसर अपार हैं, जरूरत इस क्षेत्र में आगे आकर लाभ उठाने की है।

अनुराधा सिंघई

उद्यमिता समाचार पत्र

सदस्यता फॉर्म

मैं/हम उद्यमिता समाचार पत्र मासिक पत्रिका के एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष/या आजीवन सदस्य बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं और इसके लिए क्रमश: रुपए 250/-, 495/, 740/-, 3300/- की सदस्यता राशि बैंक ड्राफ्ट/मनी ऑर्डर द्वारा उद्यमिता समाचार पत्र के नाम से देय भेज रहा हूं/रही हूं/रहे हैं। हमारी सदस्यता माह ..... वर्ष ..... के अंक से प्रारंभ कर पत्रिका निम्नलिखित पते पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

ड्राफ्ट/मनी ऑर्डर सं. .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर

नाम/संस्था का नाम हिन्दी में : .....

....

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में : .....

....

ग्राम (Village) ....

पोस्ट (Post) ....

तहसील (Tehsil) ....

जिला (District) ....

राज्य (State)..... .....

पिन (Pin) ....

मोबाइल (Mobile) ....

ई-मेल (E-mail) ....

हमारा पता

उद्यमिता समाचार पत्र

द्वारा: उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप),
16-ए, अरेराहिल्स, भोपाल- 462011
फोन: 0755 - 4000900, 4000914

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रचार बढ़ाएगा आपका व्यापार

उद्यमिता समाचार पत्र विज्ञापन दर (01 जनवरी 2022 से प्रभावी)

टाईप/स्थान	साईज (से.मी.)	दर (रु.)	एक साल में तीन अंकों की बुकिंग पर 15 % की छूट	चार से छ: अंकों की बुकिंग पर 30 % की छूट	सात से 12 अंकों की बुकिंग पर 45 % की छूट
बैक कवर	23 X 17	1,50,000	1,27,500	1,05,000	82,500
इन साइड कवर	23X17	1, 20,000	1,02,000	84,000	66,000
फुल पेज	23 X17	50,000	42,500	35,000	27,500
हाफ पेज	11.5 X17	25,000	21,250	17,500	13,750
क्वार्टर पेज	11.5 X8.5 5.5 X 17	20,000	17,000	14,000	11,000
डबल स्प्रेड	23 X34	100000	85,000	70,000	55,000
सिंगल कॉलम	1 कॉलम X 23 से.मी.	16,000	13,600	11,200	8,800
डबल कॉलम	2 कॉलम X23	25,000	21,250	17,500	13,750
यलो पेज	1 कॉलम X 3 से.मी.	6,000	5,100	4200	3,300
प्रायोजन शुल्क	1 पेज	15,000	12,750	10,500	8,250

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

1. उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और सही एवं प्रामाणिक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए उद्यमिता समाचार पत्र सामान्यत: अपनी जरूरतों को ध्यान में रख कर **साग्रहपूर्वक** मंगवाए गए आलेखों को प्रमुखता देता है।
2. स्वरोजगार स्थापना के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी विशेषज्ञों से यह अपेक्षित है कि वे अपने मौलिक लेख ही प्रकाशनार्थ भेजें, तथा अपने लेख के साथ मौलिकता का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
3. प्रेषित लेखों में निम्नानुसार विषयों पर सामग्री अपेक्षित है :- **नियम-प्रक्रियाएं, नीतियां** : शासकीय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित ऐसी नियम-प्रक्रियाएं, योजनाएं एवं नीतियां जोकि उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापना में मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

   इंस्टीट्यूट प्रोफाइल : किसी ऐसे संस्थान के बारे में जानकारी जो कि विद्यमान एवं भावी उद्यमियों को उनके व्यवसाय की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के संबंध में शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने में संलग्न हों।

   प्रोजेक्ट प्रोफाइल : किसी औद्योगिक/व्यावसायिक/सेवा इकाई की स्थापना से संबंधित ऐसी प्रोजेक्ट प्रोफाइल जोकि मानक प्रारूप में हो जिसका उपयोग उद्यमी वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने सहित अपनी इकाई के संचालन में कर सकें।

   बाजार सर्वेक्षण : किसी उत्पाद/क्षेत्र विशेष पर आधारित ऐसा अध्ययन जोकि उद्यमी को उस उत्पाद/क्षेत्र में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध करा कर इकाई स्थापना के संबंध में निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो सके।

   सफलता की कहानी : किसी व्यक्ति, संस्थान, उपक्रम की उपलब्धियों के ऐसे ब्यौरे जोकि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकें।
4. उद्यमिता समाचार पत्र में पूर्णत: स्वरोजगार एवं रोजगार सर्जक लेखों को ही प्रोत्साहित किया जाता है, अत: किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी, समीक्षा, आलोचनात्मक लेख नहीं भेजें।
5. हिंदी भाषा के आलेखों को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा के लेखों के प्रकाशन पर भी विचार किया जा सकता है, अपितु ऐसे लेखों का आप अपनी ओर से ही अनुवाद करवा कर प्रेषित कर सकें तो प्रकाशन में सुविधा होगी।
6. आपके द्वारा भेजे गए लेखों के सुबोध होने के साथ ही भाषा शैली में शालीनता, शिष्टता व मर्यादा का ध्यान रखें।
7. इंस्टीट्यूट प्रोफाइल, सफलता की कहानी आदि को प्रायोजन के आधार पर भी प्रकाशित करने पर विचार किया जा सकता है।
8. लेखकों को लेख के अंत में अपना पूरा नाम, पता, ई-मेल एड्रेस, मोबाइल/फोन नंबर लिखना चाहिए।

उद्यमिता समाचार पत्र में लेख, सूचना, समाचार, विज्ञापन एवं प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियां निम्नानुसार पते पर प्रेषित की जा सकती हैं -

उद्यमिता समाचार पत्र

द्वारा : उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप),
16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011
फोन : 0755 - 4000900, 4000914

उद्यमिता समाचार पत्र में लेख प्रेषित करने हेतु

घोषणा पत्र का प्रारूप

लेख का प्रस्तावित शीर्षक : .....

मूल लेखक का नाम : .....

सह लेखकों के नाम .....

- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने पत्रिका में लेखों के प्रकाशन से संबंधित नियम व शर्तों को पढ़ व समझ लिया है और उनसे सहमत हूं।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि लेख के सभी लेखक सर्वसम्मति से एकमत के साथ लेख प्रेषित कर रहे हैं तथा लेखकों के मध्य किसी भी प्रकार का हितों का टकराव नहीं है।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्तुत लेख, लेखक/लेखकों का मूल कार्य है और लेख को पूर्व में कहीं और प्रकाशित नहीं किया गया है तथा कहीं और प्रकाशन के लिए विचाराधीन नहीं है।
- सभी लेखकों की ओर से लेख प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी (मूल लेखक की) होगी।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि लेख के साथ सूचीबद्ध सभी लेखकों ने काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेख को पढ़ा है, आंकड़ों की वैधता और इसकी व्याख्या को प्रमाणित किया है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए सभी सहमत हैं।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्तुत लेख किसी अन्य प्रकाशित कार्य का कॉपी या साहित्यिक संस्करण नहीं है।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि जब तक पत्रिका के संपादकों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक मैं/हम किसी अन्य समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशन के लिए यह लेख प्रेषित नहीं करूंगा/करुंगी/करेंगे।
- मैं/हम समझते हैं कि गलत तथ्यों/सूचना/जानकारी/आंकड़े प्रस्तुत करने पर नियमों के अनुसार मेरे/हमारे खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- मैं/हम प्रकाशक/संपादन मंडल को प्रस्तुत लेख में एडिटिंग करने का पूर्ण अधिकार देता हूं/देती हूं/देते हैं, और एडिट की हुई रचना मुझे/हमें पूर्ण रूप से मान्य होगी।
- लेख के प्रकाशन से यदि किसी प्रकार के नियम, कानून या कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन/या कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित विषयों के लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी/हमारी **होगी**। उद्यमिता समाचार पत्र एवं उसका संपादन मंडल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

मूल लेखक सहित सभी लेखकों के हस्ताक्षर
नाम, पते, ई-मेल व मोबाइल नंबर

स्थान ..... दिनांक .....

एनसीटीई ने 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)

के लिए आवेदन आमंत्रित किए

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 22 अक्टूबर, 2021 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, आईटीईपी एक दोहरी-वृहद समग्र स्नातक डिग्री है, जो बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड और बी.कॉम. बी.एड पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। यह शिक्षक शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख आदेशों में से एक है। इसे शुरू में देश भर के केंद्र/राज्य सरकार के बहु-विषयक विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पायलट मोड में उपलब्ध कराया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा एक राष्ट्रीय कॉमन प्रवेश परीक्षा (एनसीईटी) के जरिए इसमें प्रवेश दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार इस कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया है कि यह एक छात्र-शिक्षक को शिक्षा के साथ-साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र या वाणिज्य जैसे विशेष विषय में डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। आईटीईपी न केवल अत्याधुनिक शिक्षाशास्त्र प्रदान करेगा, बल्कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन), समावेशी शिक्षा तथा भारत एवं इसके मूल्यों/लोकाचार/कला/परंपराओं आदि के बारे में समझ की आधारशिला भी स्थापित करेगा। 4-वर्षीय आईटीईपी उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो माध्यमिक के बाद अध्यापन को एक पेशे के रूप में पसंद करते हैं। इस एकीकृत पाठ्यक्रम से छात्रों को लाभ होगा, क्योंकि वे वर्तमान बी.एड. योजना के लिए आवश्यक प्रथागत पांच वर्षों के बजाय इसे चार वर्षों में पूरा करके एक वर्ष की बचत करेंगे। 4-वर्षीय आईटीईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख आदेशों में से एक को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पाठ्यक्रम पूरे शिक्षक शिक्षा क्षेत्र के पुनरोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारतीय मूल्यों और परंपराओं के आधार पर बहु-विषयक वातावरण के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले भावी शिक्षकों को वैश्विक मानकों पर 21वीं सदी की जरूरतों के साथ जोड़ा जाएगा, और इस प्रकार वे भारत के भविष्य को आकार देने में काफी हद तक सहायक होंगे।

इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया मानदंड और मानकों के लिए 26.10.2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2021 देखें। केंद्र/राज्य सरकार के बहु-विषयक विश्वविद्यालय/संस्थान 4-वर्षीय आईटीईपी के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए 1 से 31 मई, 2022 तक (रात 11:59 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://ncte.gov.in/ITEP देखें।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं पोर्टल लांच किए

आजादी के अमृत काल की महत्वपूर्ण पहचान बनेगी भारत की स्टार्टअप क्रांति

– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

- आज देश में है प्रो-एक्टिव स्टार्टअप नीति एवं पर्याप्त स्टार्टअप नेतृत्व
- नई स्टार्टअप नीति एवं स्टार्टअप ईकोसिस्टम के लिये मध्यप्रदेश सरकार को बधाई
- युवा के सपने पूरे करने का सशक्त माध्यम बन रहे स्टार्टअप्स
- इंदौर की धरती पर युवा ला रहे हैं स्टार्टअप क्रांति
- स्टार्टअप्स प्राकृतिक खेती के लिए इंदौर को बनाएं मॉडल जिला
- प्रधानमंत्री के साथ स्टार्टअप्स ने संवाद कर साझा की जानकारी
- अर्थ-व्यवस्था के लिये नई बेकबोन बन रहे हैं स्टार्टअप : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल, शुक्रवार, मई 13, 2022। प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** ने कहा है कि मुख्यमंत्री **श्री शिवराज सिंह चौहान** के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने नई स्टार्टअप नीति बनाने एवं उपर्युक्त स्टार्टअप ईको सिस्टम तैयार करने में सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार तथा जनता बधाई की पात्र है। इंदौर की धरती पर युवा स्टार्टअप क्रांति ला रहे हैं, जो सबके लिये प्रेरणा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति आजादी के अमृत काल की महत्वपूर्ण पहचान बनेगी। आज देश में प्रो-एक्टिव स्टार्टअप नीति एवं पर्याप्त स्टार्टअप नेतृत्व है। पूरी दुनिया में भारत के स्टार्टअप ईको सिस्टम की प्रशंसा हो रही है। भारत में स्टार्टअप्स सामान्य भारतीय युवा के सपने पूरा करने के सशक्त माध्यम बन रहे हैं। वर्ष 2014 में भारत में केवल 300 से 400 स्टार्टअप्स थे, वहीं आज उनकी संख्या 70 हजार तक पहुंच गई है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईको सिस्टम है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शुक्रवार 13 मई, 2022 को **मध्यप्रदेश की नई स्टार्टअप नीति एवं मध्यप्रदेश स्टार्टअप पोर्टल** को दिल्ली से वर्चुअली लांच किया। उन्होंने नए स्टार्टअप चालू करने वाले मध्यप्रदेश के युवाओं इंदौर के **श्री तनु तेजस सारस्वत,** भोपाल की **सुश्री उमंग श्रीधर** एवं इंदौर के **श्री तौफिक खान** से वर्चुअल संवाद भी किया। तीनों स्टार्टअप्स ने प्रधानमंत्री के साथ अपने कार्य की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता भी ऑनलाईन प्रदान की।

प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** ने कहा कि आज देश के छोटे-छोटे शहरों में स्टार्टअप्स प्रारंभ हो रहे हैं। भारत के 650 से ज्यादा जिलों में 50 हजार से अधिक स्टार्टअप्स उद्योगों से जुड़े हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अनेक स्टार्टअप्स 8-10 दिन में ही यूनिकार्न बन जाते हैं। एक नए स्टार्टअप को 7 करोड़ रूपए की पूंजी तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे स्टार्टअप्स की सफलता का कारण देश में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर निर्माण, शासकीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन कर नए ईकोसिस्टम का निर्माण करना है। स्टार्टअप्स के लिये हैकाथोन मजबूत बुनियाद बना है। हमारे विद्यालय स्टार्टअप्स की नर्सरी के रूप में काम कर रहे हैं। यहां अटल टिंकरिंग लेब बनाए गए हैं। देश में 700 से अधिक इन्क्यूबेशन सेन्टर्स बनाए गए हैं। स्टार्टअप के इन्क्यूबेशन के साथ ही इनकी फंडिंग की व्यवस्था भी की जाती है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए सरकार टैक्स में छूट एवं अन्य इनसेंटिव दे रही है। साथ ही सरकार खरीददार भी बन रही है। जैम पोर्टल, जिस पर 13 हजार से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हैं, के माध्यम से गत दिनों साढ़े 6 हजार करोड़ से अधिक का व्यापार किया गया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप की सफलता में सस्ते मोबाइल फोन एवं सस्ते डेटा का महत्वपूर्ण योगदान है। स्टार्टअप और यूनिकार्न आज देश में लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्लीन एनर्जी, हेल्थ, टूरिज्म, कृषि, खुदरा व्यापार के क्षेत्र में स्टार्टअप्स उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मोबाइल गेमिंग के क्षेत्र में आज भारत दुनिया में टॉप 10 में है। टॉयस के ग्लोबल मार्केट में अभी भारत एक प्रतिशत से भी कम पर है, इस क्षेत्र में नौजवानों को आगे आना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में खेल संस्कृति विकसित हो रही है। भारत में 800 से अधिक स्टार्टअप्स खेल-कूद के कार्य से जुड़े हैं। स्मार्ट फोन डाटा के उपयोग में भारत दुनिया में नंबर वन है, वहीं इंटरनेट के इस्तेमाल एवं ग्लोबल रिटेल व्यापार में नंबर दो है। भारत में ईज ऑफ लिविंग एवं ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगामी दशक में भारत की ग्रोथ एवं सक्सेस स्टोरी उल्लेखनीय होगी।

50 हजार किराना दुकानों को डिजिटली जोड़ा

प्रारंभ में प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** के साथ स्टार्टअप्स युवाओं के वर्चुअल संवाद में "शॉप किराना" स्टार्टअप इंदौर के श्री तनु तेजस सारस्वत ने बताया कि उन्होंने 50 हजार किराना दुकानों को डिजिटली जोड़ा है तथा वे अब 40 प्रतिशत सामान डिजिटली क्रय करते हैं। प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** ने कहा कि वे स्ट्रीट वेण्डर्स को भी डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास करें, जिससे उन्हें व्यापार में अधिक लाभ हो।

हैण्डीक्राफ्ट एवं हैण्डलूम का स्टार्टअप

प्रधानमंत्री श्री मोदी को डिजाइन्स प्रायवेट लिमिटेड स्टार्टअप की **सुश्री उमंग श्रीधर** ने बताया कि वे हैण्डीक्राफ्ट और हैण्डलूम का स्टार्टअप चलाती हैं। उनके साथ एक हजार कारीगर कार्य करते हैं एवं देश के 5 राज्यों की 1500 महिलाएं 13 क्लस्टर में जुड़ी हैं। उन्होंने कताई-बुनाई के क्षेत्र में नवाचार किए हैं, जिससे महिलाओं की आमदनी में 300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वे उन्हें कारीगर से

उद्यमी बनाने के साथ ही डिजिटल ट्रेनिंग के तरीके भी बता रही हैं। उनका बनाया कपड़ा 5 देशों में बिकता है। उनका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया खादी पहने। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उनके कार्य की सराहना की।

किसान स्वाईल टेस्टिंग की ओर ध्यान दें

प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** ने इंदौर के स्टार्टअप उद्यमी **श्री तौसिफ खान** से संवाद के दौरान उन्हें किसानों द्वारा स्वाईल टेस्टिंग किए जाने की ओर ध्यान देने को कहा। **श्री तौफिक खान** ने बताया कि उनका स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में कार्य करता है। किसानों की मिट्टी की जांच के साथ ही उन्हें उर्वरक के समुचित इस्तेमाल की सलाह भी देता है। दवाओं और बीजों की होम डिलीवरी भी करता है। उन्होंने अभी तक 10 हजार किसानों की स्वाईल टेस्टिंग की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंदौर जिले को पूर्णरूप से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती वाला जिला बनाने की दिशा में कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर जिले को प्राकृतिक खेती के लिये मॉडल जिला बनाएं।

हमारा नौजवान स्टार्टअप के लिये नई उड़ान भरने को है तैयार

: मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री **श्री शिवराज सिंह चौहान** ने कहा कि स्टार्टअप अर्थ-व्यवस्था के लिये नई बेकबोन की तरह सामने आए हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, व्यवसाय की संभावनाओं को युवाओं ने साकार करने के लिये अनेक स्टार्टअप चुने हैं। मध्यप्रदेश की स्टार्टअप नीति में ऐसे कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें व्यवसाय की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। इस नाते मध्यप्रदेश की स्टार्टअप नीति एक सुविचारित नीति है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने

कहा कि जनवरी माह में हुई स्टार्टअप समिट में प्राप्त सुझावों के आधार पर स्टार्टअप नीति तैयार की गई है। इस नीति की विशेषताओं में वेंचर केपिटल फण्ड, लीज रेंटल सहायता, पेटेंट के लिये सहायता, उत्पाद आधारित स्टार्टअप में प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप पैकेज के प्रावधान, बेटियों के स्टार्टअप को प्रोत्साहन, अधिकतम एक करोड़ रूपए की सहायता के प्रावधान, क्षमता विस्तार सहायता, नवीन पोर्टल को भारत सरकार के पोर्टल से संबद्ध करने और पृथक स्टार्टअप सेंटर बनाने के प्रावधान प्रमुख हैं। स्टार्टअप की सहायता के लिये विशेषज्ञों की उपलब्धता और विभिन्न स्त्रोतों से फण्ड उपलब्ध कराने की पुख्ता व्यवस्था से युवाओं को भरपूर सहयोग मिलेगा।

शहरों को बनाएंगे स्टार्टअप हब

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में इंदौर और भोपाल के साथ ही अन्य शहरों को भी स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। सिर्फ आईटी क्षेत्र ही नहीं, जैविक और प्राकृतिक खेती, जिसमें मध्यप्रदेश 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन कर अन्य राज्यों से आगे है, स्टार्टअप के लिये अनुकूल है। इसके अलावा कृषि विविधीकरण, एक जिला-एक उत्पाद, सोलर एनर्जी, ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, एनीमेशन, फार्मा सेक्टर, लॉजिस्टिक क्षेत्र सहित कई क्षेत्र हैं, जिनमें कार्य की संभावनाएं उपलब्ध हैं।

स्टाम्प शुल्क में भी देंगे रियायत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नीति में स्टाम्प शुल्क में रियायत का निर्णय भी लिया जा रहा है। युवाओं से प्राप्त अन्य सुझावों पर भी अमल किया जाएगा। इनमें इनोवेशन लेब और वर्ल्ड स्टार्टअप समिट के सुझाव शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 7, 8 जनवरी, 2023 को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है। प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। स्टार्टअप से जुड़े युवा समिट में हिस्सेदारी कर वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र की नई

इंदौर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव में नवाचारों की प्रदर्शनी का उद्घाटन

एमएसएमई मंत्री श्री सखलेचा ने किया शुभारंभ

भोपाल, शुक्रवार, मई 13, 2022। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए स्टार्टअप कॉन्क्लेव में स्टार्टअप एक्सपो में नई प्रवृतियों और नवाचारों की प्रदर्शनी का शुभारंभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री **श्री ओमप्रकाश सखलेचा** ने किया। सांसद **श्री शंकर लालवानी,** सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम **श्री पी. नरहरि,** संचालक **श्री विशेष गढ़पाले** भी उपस्थित थे। प्रदर्शनी में नए स्टार्टअप द्वारा अपने इनोवेशन और उद्यम को प्रदर्शित किया गया हैं। मंत्री श्री सखलेचा और अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्टार्टअप्स से चर्चा की और उनकी पहल को सराहा। स्टार्टअप कॉन्क्लेव उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न सत्रों में चर्चाओं का आयोजन किया गया।

जानकारियों से अवगत होंगे।

युवाओं के लिये असंभव कुछ भी नहीं

प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल के गजलकार **श्री दुष्यंत कुमार** की पंक्ति **"कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों"** से अपना संबोधन शुरू किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि **अटल जी** ने भी युवाओं से परिश्रम का आव्हान किया था। **स्वामी विवेकानंद जी** ने दृढ़ता के साथ संदेश दिया था कि मनुष्य के लिये कोई कार्य असंभव नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं के सुझावों पर गंभीरता से विचार कर राज्य सरकार मूर्त रूप प्रदान कर रही है। स्टार्टअप के क्षेत्र में बैंगलुरू और हैदराबाद को हम पीछे छोड़ सकते हैं। स्वच्छता में अग्रणी रहने वाले इंदौर में स्टार्टअप क्षेत्र में 700 करोड़ की फंडिंग आ चुकी है। प्रदेश में अधो-संरचना विकास के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इस वर्ष 20 लाख टन गेहूं निर्यात का लक्ष्य है। देश की जीडीपी में मध्यप्रदेश का योगदान 3.6 से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया है। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारा संकल्प है। जनवरी, फरवरी और मार्च माह में करीब 14 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। मध्यप्रदेश का नौजवान भी नई उड़ान के लिये तैयार हैं। स्टार्टअप नीति सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी। स्टार्टअप विकास के लिये प्रदेश में ईको सिस्टम तैयार है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व है दूरदर्शी, युवाओं को मिल रहा पूरा सहयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ग्रोथ रेट में निरंतर वृद्धि हो रही है। स्थिर सरकार है। प्रधानमंत्री श्री मोदी वर्ष 2025 तक भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर प्रयासरत हैं। एक समय था, जब स्टार्टअप के बारे में कोई नहीं जानता था। अब देश में स्टार्टअप के लिये युवाओं को पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने युवाओं से आह्वान किया कि "राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है।"

नई नीतियों से विकास का मार्ग हुआ प्रशस्त

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की उद्योग नीति निवेशक हितैषी है। अन्य नई नीतियां विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक हैं। एमएसएमई नीति भी लागू की गई है। खाद्य प्र-

संस्करण से संबंधित प्रोत्साहनकारी योजनाएं लागू हो रही हैं। नई राइस मिलिंग नीति और इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति शीघ्र आ रही है। ईज ऑफ डूईंग पर निरंतर काम हो रहा है। मध्यप्रदेश को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी राज्य की मान्यता मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान कॉन्क्लेव में आयोजित विभिन्न सत्रों में शामिल हुए और स्टार्टअप्स एवं उद्योगपतियों के साथ बैठकर चर्चा भी की। स्टार्टअप नीति के लांचिंग कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री **श्री ओमप्रकाश सखलेचा** और सांसद **श्री शंकर लालवानी** ने भी संबोधित किया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री **सुश्री उषा ठाकुर** सहित जन-प्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्टार्टअप युवा शामिल रहे।

सफलता की कहानी

सानिया ने अपने विचार को हकीकत में बदला, अब आंध्रप्रदेश में भी बनेगी मेड इन इंदौर डिवाइस

इंदौर की युवा स्टार्ट-अप ने बनाया मेड इन इंदौर हेल्थ अलर्ट डिवाइस

इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्लेरकव में विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने स्टार्टअप्स से खुला संवाद किया।

भोपाल, शुक्रवार, मई 13, 2022। हम सब को अच्छे से याद है कोरोना की दूसरी लहर ने इंदौर शहर को बहुत आघात पहुंचाया था। जब शहर में कोरोना की गति तेज हो रही थीं, उसी समय इंदौर की **सानिया जेशवाल** जो युवा कम्प्यूटर इंजीनियर भी हैं, कोरोना पॉजिटिविटी की पहचान करने के लिए विचार कर रही थी। कोरोना की भयानकता के समय सानिया ने ऐसी डिवाइस बनाने की ठानी जो कुछ ही पलों में न सिर्फ पल्स रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन बल्कि ब्लड-प्रेशर के साथ ही बॉडी टेम्परेचर और रेस्पिरिटी रेट रिकॉर्ड कर स्क्रीन में शो कर सके। इसके लिए सानिया ने अपना विचार **लोकांत जैन** के सामने रखा। इसके बाद दोनों ने मिलकर अभयपरिमिति डिवाइस बनाई, जो 20 सेकेण्ड में कम्पलीट हेल्थ चेकअप कर सकती है।

स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव-2022 के मेंटर सत्र में नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट में वरिष्ठ अधिकारी और वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन में भारत के प्रतिनिधि **डॉ. जितेंद्र शर्मा** ने नए स्टार्ट-अप के निर्माताओं से सानिया को रूबरू कराया। उन्होंने अच्छे स्टार्ट-अप निर्माता के रूप में आइडिया को धरातल में लाने में सानिया को आई समस्याओं के बारे बताया। सानिया 100 अभयपरिमिति डिवाइस को स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और 100 डिवाइस को आंध्रप्रदेश शासन को उपलब्ध कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। मेड इन इंदौर डिवाइस संक्रमण अलर्ट के अलावा रेस्पिरिटी रेट अलर्ट और ब्लड प्रेशर अलर्ट करने में सक्षम है।

देश में स्टार्ट-अप उद्योग के नए आयाम

इंदौर में आयोजित हुआ कॉन्क्लेव-2022

भोपाल, शुक्रवार, मई 13, 2022। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव-2022 का आयोजन किया गया। यह स्टार्ट-अप शुरू करने वाले युवाओं के लिए एक अवसर के समान रहा। इसमें स्पीड मेंटरिंग सत्र के अलावा स्टार्ट-अप कैसे शुरू करें, स्टार्ट-अप के लिए फंडिंग और पिचिंग सत्र आयोजित हुए। स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव-2022 में सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति निर्माता, इनोवेटर्स, केंद्र और राज्य के प्रशासक, स्टार्ट-अप, संभावित उद्यमी, स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के सभी स्तंभ, शिक्षाविद, निवेशक, मेंटर्स और देश के स्टार्ट-अप इको-सिस्टम के अन्य सभी हितधारकों ने सहभागिता की।

ऐसे शुरू करें स्टार्ट-अप

अगर आपके पास कोई बेहतर और यूनिक आयडिया या विचार है तो उसे सबसे पहले डीपीआईआईटी में ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा। आपका आइडिया किसी उत्पाद या सेवा या किसी तकनीक पर आधारित हो सकता है। अपने विचार या आइडिया को परिपक्व और वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने के लिए किसी मेंटर के सहारे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यह बात स्टार्ट-अप सत्र को फिक्की फ्लो की अध्यक्षा **जयंती डालमिया** लीड एंजेल्स के डायरेक्टर **ध्रुवनाथ**, युरनेस्ट के प्रबंध संचालक **श्री सुनील गोयल** और अप्पोनिटी के फाउंडर **श्री निमेष सिंह** ने कॉन्क्लेव 2022 के दौरान आयोजित सत्र में कही।

तीन तरह से हो सकती है वित्त व्यवस्था

कॉन्क्लेव के दौरान दोपहर एक बजे से फंडिंग-सत्र हुआ। इसमें स्टार्ट-अप और संभावित उद्यमी, टियर-I और टियर-II शहरों में फंडिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में फिक्की स्टार्टअप समिति के चेयरमेन और एचसीएल के **श्री अजय चौधरी,** श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध संचालक **श्री मनोज कुमार जैन**, आईएएन फंड के पार्टनर **श्री जयदीप एस मेहता,** एम 1 एक्सचेंज के सीईओ **श्री संदीप मोहिन्द्रू** और डलास वेंचर केपिटल के **श्री किरण चंद्र कल्लूरी** ने फंडिंग की व्यवस्था को लेकर संवाद किया। स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था तीन तरीके से की जा सकती है। एक- बैंक के माध्यम से, दूसरा- स्वयं के अलावा वेंचर केपिटल और तीसरा- इन्वेस्टर के सहयोग से स्टार्ट-अप शुरू कर सकते हैं। वेंचर केपिटल में शासन का फंड ऐसे कार्यों में सहयोगी हो सकता है। इसमें कम से कम ब्याज पर वित्त सहायता प्राप्त हो सकती है।

पिचिंग सत्र में स्टार्ट-अप निर्माताओं ने बताए योजना के स्वरूप

कॉन्क्लेव के दौरान स्टार्टअप निवेशकों के साथ सहयोग के अवसर के लिए पिचिंग-सत्र आयोजित हुआ। इसमें फंडिंग के लिए अपने आइडिया रखे गए। यहां एआई ट्रिलियन ने पिचिंग सत्र में उनके उत्पाद और उनकी बिजनेस डील के बारे में बताकर इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया। इसमें क्रॉप प्लानिंग प्लेटफार्म और यंत्रों से जैविक उत्पाद के बारे में बताया गया। इस सत्र में 10 से ज्यादा स्टार्ट-अप निर्माताओं ने पिचिंग की।

राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का रहा सहयोग

आयोजन में एफआईसीसीआई, पीएचडीसीसीआई, डीआईसीसीआई एवं टीआईई, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, इंस्टीट्यूट्स इनोवेशन कॉउन्सिल, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार आदि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का सहयोग रहा।

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रचार

बढ़ाएगा आपका व्यापार

विज्ञापन हेतु संपर्क करें - **प्रकाशन विभाग सेडमैप भोपाल**।

मध्यप्रदेश की स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार **श्री पी नरहरि** - सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्यप्रदेश शासन ने दिनांक 23 फरवरी, 2022 को **एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश** जारी किए हैं। इसी के साथ प्रशासकीय विभाग को मध्यप्रदेश वेंचर फायनेंस लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड हेतु वेंचर केपीटल फंड के लिए आवंटित बजट राशि (मद संख्या 7623 एवं 7624) का उपयोग किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। जारी उक्त आदेश में मध्यप्रदेश वेंचर फायनेंस लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रचलित प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में संविलयन (Merger) करने तथा इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में आगामी वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत करने को कहा गया है।

इस संबंध में एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. परिचय

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इस श्रृंखला में राज्य द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्ट-अप नीति लागू की गई थी। स्टार्ट-अप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर पुन: वर्ष 2019 में नवीन स्टार्ट-अप नीति को प्रभावी किया गया। नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग एवं इस सबसे ऊपर आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना, 2023 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक

हो गया है। अत: राज्य शासन द्वारा स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से "एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना - 2022" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल/महाविद्यालय स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है। नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख स्टार्ट-अप को संस्थागत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादि अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान

करना उद्देश्य है।

नीति का उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसके अंतर्गत उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है।

2. स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य

स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 के मुख्य उद्देश्य प्रदेश में :-

i. सकारात्मक हस्तक्षेप (Positive Intervention) और अन्य उत्प्रेरक (Catalyst) कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र (Eco-system) का विकास।
ii. स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत (Registered) एवं मान्यता प्राप्त (Recognized) स्टार्ट-अप में 100% विकास दर प्राप्त करना।
iii. कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में 200% विकास दर प्राप्त करना।
iv. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स (Product Start-ups) की संख्या में वृद्धि।
v. नवीन इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना एवं विद्यमान इनक्यूबेशन सेंटर्स की क्षमता विस्तार।
vi. स्कूल/महाविद्यालय स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम।
vii. नवाचार (Innovation) और स्टार्ट-अप के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु संस्कृति का विकास।
viii. भारत सरकार की स्टार्ट-अप रैंकिंग में राज्य को उच्च स्थान दिलाना।

3. नीति फोकस क्षेत्र

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति पांच स्तंभों के अनुसरण पर केंद्रित है -

i. संस्थागत सहयोग (Institutional Support) ईज ऑफ डूईंग बिजनेस सहित।
ii. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन।
iii. नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
iv. विपणन सहयोग
v. वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता

4. नीति की अवधि और प्रयोज्यता

यह नीति मध्यप्रदेश में, अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

5. परिभाषाएं

1. स्टार्टअप से अभिप्रेत है ऐसी इकाई जो भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्टअप इण्डिया से मान्यता प्राप्त (Recognized) हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित एवं पंजीकृत हो।

   महिला द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उसकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

2. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप (Product Start-up) से अभिप्रेत है ऐसा स्टार्ट-अप जो ऐसा उत्पाद निर्मित करता हो, जिसका एक भौतिक आकार हो।

3. इनक्यूबेटर से अभिप्रेत है स्टार्टअप इकाईयों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन करने के लिए परिकल्पित किया गया एक संगठन जो व्यावसायिक सहयोग, संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है। साथ ही इसका स्टार्ट-अप इण्डिया मान्यता प्राप्त होना तथा मध्यप्रदेश में स्थापित/कार्यरत होना अनिवार्य होगा।

4. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, स्थानीय शासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम, जो एक नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा और आधार देने के लिए कार्यरत है।

5. मेजबान संस्थान से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश स्थित कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान/स्मार्ट सिटी कंपनियां और अन्य सोसायटी/विशेष प्रयोजन इकाई (यां)।

6. ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम (TREDS) प्लेमफॉर्म से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।

7. राज्य स्तरीय स्टार्टअप साधिकार समिति से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत स्टार्ट-अप स्क्रीनिंग एवं चयन तथा नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।

8. राज्य स्तरीय आंकलन/मूल्यांकन समिति से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती State Innovation Challenge अंतर्गत चयनित स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।

9. राज्य स्तरीय सहायता समिति से अभिप्रेत है प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ स्वीकृत करने हेतु गठित समिति।

6. स्टार्ट-अप्स एवं इनक्यूबेटर्स को सहयोग/सहायता

स्टार्ट-अप्स एवं इनक्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग/सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत, विपणन, वित्तीय तथा व्यापार सरलीकरण स्तम्भ प्रमुख होते हैं। राज्य शासन इन स्तम्भों के माध्यम से प्रदेश को स्टार्ट-अप विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप का निवेश गंतव्य बनाने हेतु कृत संकल्पित है।

6.1 संस्थागत सहयोग (Institutional Support)

6.1.1 मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को फेसिलीटेशन एवं आवश्यक सहयोग, एक संस्थागत मंच प्रदान करने तथा उन्हें वैश्विक तथा स्थानीय बाजार/आयोजनों/कार्यशालाओं इत्यादि में

पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के संरक्षण तथा तत्वाधान में विषय विशेषज्ञों से युक्त स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह सेंटर राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, मजबूत करने और सुविधा प्रदान करने वाली समर्पित एजेंसी का कार्य करेगी।

स्टार्ट-अप सेंटर के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

i. राज्य में स्टार्ट-अप का मार्गदर्शन और सहायता करना।

ii. स्वीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय/सतत सम्पर्क करना

iii. निर्धारित रीति से किसी भी अनुमोदित/प्रोत्साहन और किसी भी अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों को हल करना।

iv. यह राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा कर सकता है।

1. केंद्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता, अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन करने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर, इस प्रकार मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है।

vi. केंद्र स्टार्ट-अप/नवोन्मेषी (Innovative) उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न निवेशों, बाजार तथा अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म्स में अपनी सेवाओं/उत्पादों को पिच/शोकेस करने की सुविधा प्रदान करेगा और सेबी/आरबीआई/अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत एंजेल निवेशकों/कॉर्पोरेट निवेशकों/अन्य फंडिंग एजेंसियों से आवश्यक निवेशकों से पूंजी/अन्य वित्तीय व्यवस्था करने में मदद करेगा।

vii. मास्टर डाटा बेस को तैयार करना।

viii. स्टार्ट-अप्स को कम्पनी तथा कर संबंधी कानूनों के परिप्रेक्ष्य में आ रही समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।

ix. राज्य एवं राज्य के बाहर बूट केम्प्स, चैलेंज प्रतियोगिताओं, रोड शोज तथा निवेशक सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन।

3. स्टार्ट-अप एवं इनक्यूबेटर के लिए सिंगल विण्डो एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।

xi. बाजार पूर्व अध्ययन एवं मूल्यांकन

प्रस्तावित सेंटर हेतु मानव संसाधन की व्यवस्था

- कार्यकारी प्रमुख - 1
- विषय विशेषज्ञ - 3
  (कानूनी मामले, विपणन एवं वित्तीय तथा परियोजना प्रबंधन प्रत्येक के लिए एक)
- सहयोगी कार्यकारी/कर्मचारी - 10

सहयोगी कार्यकारी/कर्मचारी को छोड़कर कार्यकारी प्रमुख तथा विषय विशेषज्ञों संबंधी मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति इस क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवर विशेषज्ञों से की जाएगी। इन पदों को प्रचलित बाजार मापदण्डों/परिलब्धियों के अनुरूप वेतन प्रदान किया जाएगा। कार्यकारी प्रमुख का अनुमानित मासिक वेतन रुपए 2.50 लाख से 3.00 लाख एवं विषय विशेषज्ञ का अनुमानित मासिक वेतन रुपए 1.00 लाख से 1.50 लाख आंकलित होगा। उक्त पदों की व्यवस्था पूर्णत: संविदात्मक एवं अनुबंध के आधार पर 3 वर्षों के लिए होगी। इस अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इन पदों हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

सहयोगी कर्मचारियों की व्यवस्था विभाग तथा उसके अधीन कार्यरत निगम/संस्थाओं में कार्यरत विद्यमान कार्यबल से की जाएगी।

प्रस्तावित सेंटर हेतु वित्तीय व्यवस्था

एमपी स्टार्ट-अप सेंटर के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तीय व्यवस्था उद्यमिता विकास केंद्र तथा लघु उद्योग निगम के आन्तरिक पुनर्गठन तथा स्टार्ट-अप मद में उपलब्ध विभागीय बजट आवंटन से की जाएगी। वेंचर केपीटल फंड हेतु विभाग के बजट में आवंटित राशि का उपयोग एमपी स्टार्टअप सेंटर की स्थापना एवं स्टार्टअप/इन्नोवेशन संबंधी गतिविधियों में किया जाएगा।

6.1.2 सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल का विकास - प्रदेश में स्टार्ट-अप हेतु एक सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया

जाएगा जो स्टार्ट-अप्स, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स तथा अन्य संबंधित हित धारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु सेतु का कार्य करेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्ट-अप पोर्टल से एकीकृत किया जाएगा। प्रदेश में स्टार्ट-अप एवं इनक्यूबेटर्स को इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रधानत: (Preferably) सभी प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

6.1.3 अकादमिक सहयोग एवं भागीदारी (Academic Support & Participation) -

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं मार्गदर्शी सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों एवं राज्य स्तर के तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों एवं अन्य अकादमिक संस्थानों से आवश्यक सहायता एवं भागीदारी प्राप्त की जाएगी। मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर नवाचार के द्वारा आकल्पित एवं विकासाधीन उत्पादों की टेस्टिंग, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए आवश्यक उच्च तकनीक की मशीनरी निश्चित समय के लिए उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इंदौर एवं भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, भोपाल, आइआइएसईआर (IISER), आईआईआईटीडीएम जबलपुर इत्यादि के साथ यथा संभव सहयोग प्राप्त करेगा।

माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता विकास संबंधी कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। इन संस्थानों में नियमित रूप से बुद्धिशीलता एवं विचार मंथन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। छात्रों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए इंटर्नशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा।

छात्रों को स्टार्ट-अप प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय तथा गैर वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने के लिए स्टार्ट-अप इण्डिया के सहयोग से वर्ष में दो बार पारस्परिक चर्चा हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

6.1.4 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (EODB) प्रदेश के स्टार्ट-अप्स एवं इनक्यूबेटर्स के सुगम संचालन हेतु उन्हें विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेसिलीटेटेट किया जाएगा। आवश्यक अनुमति/सम्मतियों के लिए कार्योत्तर स्वीकृत (Post Facto) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस गारन्टी अधिनियम, 2010 (यथा संशोधित, 2020) में किए गए प्रावधानों के अनुरूप मान्य अनुमोदन (Deemed Approval) भी प्रदान किया जाएगा।

6.2 विपणन एवं नकद तरलता सहयोग/सहायता (Marketing & Liquidity Support/ Assistance) - प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को संस्थागत विपणन सहायता हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) निम्नानुसार प्रावधान किए जाएंगे -

- रुपए 1 करोड़ तक की शासकीय निविदा में भाग लेने वाले स्टार्ट-अप उद्यम को अनुभव एवं टर्नओवर संबंधी शर्तों/मापदण्डों से छूट प्रदान की जाएगी। रुपए 1 करोड़ से अधिक की शासकीय निविदा हेतु संबंधित विभाग यदि उचित समझें तो पृथक से स्टार्ट-अप से सेवा/उत्पाद उपार्जन का प्रावधान कर सकता है।
- रुपए 1 करोड़ से अधिक के सेवा उपार्जन संबंधी निविदाओं (NIT)/ प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट-अप के लिए आकल्पन प्रमाण (Proof of Concept) को मान्य/स्वीकार किया जाएगा।

  किन्तु उपरोक्त प्रावधान अन्तर्गत सेवा अथवा उत्पाद की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक अहर्ताओं की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- राज्य शासन के समस्त निविदाओं (NIT)/ प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) में सुरक्षा निधि (Security Deposit) बयाना राशि (EMD) से छूट प्राप्त होगी।
- अन्य

राज्य सरकार के निगम मण्डलों तथा प्रमुख विभागों को यथासंभव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत TREDS Platform (Trade Receivable Discounting System) से जोड़ा जाएगा, ताकि स्टार्ट-अप्स को नकद तरलता की कमी (Liquidity Crunch) का सामना ना करना पड़े।

6.3 वित्तीय सहायता (Financial Assistance) -

6.3.1 प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप्स एवं इनक्यूबेटर्स- प्राप्त

निवेश पर कर सहायता – ऐसा स्टार्ट-अप जिसमें सेबी (Security and Exchange Board of India)/RBI द्वारा अधिमान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से फण्ड/निवेश प्राप्त किया गया हो तो प्राप्त प्रथम निवेश के 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम रुपए 15 लाख की सहायता दी जाएगी। यह सहायता स्टार्ट-अप के जीवनकाल में अधिकतम चार चरणों में प्राप्त निवेश पर प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक अधिकतम 15 प्रतिशत की दर से देय होगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में स्थित संबंधित इनक्यूबेटर्स को रुपए 5 लाख सहायता दी जाएगी।

- महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सहायता।
- **आयोजन सहायता** – स्टार्ट-अप से संबंधित कार्यक्रम के आयोजन के लिए मध्यप्रदेश में स्थित इनक्यूबेटर्स को रुपए 5 लाख प्रति आयोजन की सहायता जो रुपए 20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
- **इनक्यूबेशन उन्नयन सहायता :** इनक्यूबेटर्स के उन्नयन हेतु रुपए 5 लाख की एक मुश्त सहायता, किन्तु इस सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रत्येक इनक्यूबेटर को उसकी विद्यमान सीट क्षमता में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि करनी होगी। यह सुविधा इनक्यूबेटर के सम्पूर्ण जीवन काल में केवल एक बार प्राप्त होगी।
- **लीज रेंट सहायता :** स्टार्टअप्स को लीज पर लिए गए कार्यस्थल हेतु चुकाए गए प्रतिमाह किराए का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपए 5,000/- प्रतिमाह की लीज रेंटल सहायता तीन वर्ष के लिए। उक्त सहायता राज्य शासन अथवा राज्य शासन के सहायता प्राप्त औद्योगिकी क्षेत्रों/पार्कों/क्लस्टर्स में स्थापित उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को उनके द्वारा लीज पर लिए गए भू-खण्ड/शेड/निर्मित स्थान पर चुकाए गए लीज रेंट एवं संधारण शुल्क पर भी उपलब्ध होगी। परन्तु उक्त सहायता किसी भी परिस्थिति में उक्त मदों में चुकाई गई राशि के 50 प्रतिशत अधिकतम रुपए 5,000/- प्रतिमाह एवं तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।
- **पेटेंट सहायता** – पेटेंट प्राप्त करने हेतु रुपए 5 लाख की अधिकतम सहायता इस शर्त के साथ कि पेटेंट प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप के लिए प्राप्त किया गया हो।

6.3.2 उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं सहयोग –

- एक वर्ष हेतु समवर्ती अनुज्ञप्ति/सम्मति (Concurrent Licence/Consent) की सुविधा।
- एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भोपाल एवं इन्दौर में आवश्यक मशीन के उपभोग की सुविधा।
- **प्रशिक्षण व्यय की पूर्ति** – स्टार्ट-अप्स को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रुपए 13 हजार प्रतिवर्ष तीन वर्षों के लिए अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जाएगी। यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी।
- **रोजगार सृजन अनुदान** – नियोक्ता द्वारा उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष की समयावधि में नियुक्त किए गए समस्त नवीन कर्मचारियों को रुपए 5,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी एवं अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जाएगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:-

क्र.	समयावधि	इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1	1 वर्ष के अंदर	50 प्रतिशत
2	2 वर्ष के अंदर	75 प्रतिशत
3	3 वर्ष के अंदर	90 प्रतिशत

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध कराई जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।

- **विद्युत शुल्क पर छूट :-** सभी पात्र नवीन इकाईयों को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क से छूट।

  विद्युत टैरिफ में रियायत :- नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों हेतु 5 रुपए प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति।
- प्रचलित एमएसएमई विकास नीति में प्रावधानित सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्ययाधीन प्राप्त हो सकेगा।

6.3.3राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत वित्तीय सहायता/गैर वित्तीय सहायता - प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु प्राप्त एवं चयनित अवधारणा को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस हेतु सभी प्रकार की संस्थाओं (स्टार्ट-अप्स सहित) से अवधारणा आमंत्रित कर उन्हें सर्व संबंधित विभागों को उनके अभिमत हेतु परिचालित किया जाएगा। विभागों की अनुशंसा पर अवधारणाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस परिप्रेक्ष्य में गठित स्क्रीनिंग/चयन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्टता, गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। चयनित स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा -

- रुपए 1 करोड़ तक अनुदान, जिसे अधिकतम चार चरणों अथवा इस हेतु सक्षम समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सत्यापित किया जाएगा। चयनित स्टार्ट-अप्स का आंकलन, निगरानी एवं मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर सक्षम समिति द्वारा किया जाएगा।
- समस्त आवश्यक अनुज्ञप्ति/सम्मति शुल्क से छूट अथवा प्रतिपूर्ति एवं कार्योत्तर स्वीकृति।
- दो वर्षों हेतु राज्य उपार्जन में सहायता। उपयुक्त पाए जाने की दशा में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (समय-समय पर होने वाले संशोधन सहित) के प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।
- अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग/कार्यालयीन सहयोग सहित बैठक व्यवस्था।
- उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप चयनित होने की दशा में उसे नीति में उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप हेतु प्रावधानित सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

7. प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश - स्टार्ट-अप्स एवं इनक्यूबेटर्स को नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ संलग्न प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश अनुसार प्रदान किया जाएगा।

8. संशोधन/शिथिल/निरसन का अधिकार -नीति अन्तर्गत प्रावधानों के रहते मध्यप्रदेश सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

- इस नीति में संशोधन या निरस्त कर सकता है।
- इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकता है।
- नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए निर्देश/स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

- इस नीति के प्रभावी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2019 अप्रभावी हो जाएगी।

9. अधिकार क्षेत्र - किसी भी विवाद के मामले में, न्याय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2022

(प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश)

1. प्रस्तावना :

राज्य शासन द्वारा एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 लागू की गई है। उक्त नीति में स्टार्ट-अप्स एवं इनक्यूबेटर्स को विभिन्न सहायता हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन ने मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2022 लागू की है।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र

2.1. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किए जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।

2.2. स्टार्ट-अप/इनक्यूबेटर्स स्थापित करने इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

2.3. अधिसूचना दिनांक से पूर्व स्थापित होने वाले स्टार्ट-अप/इनक्यूबेटर्स, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2019 या इससे पहले की नीतियों, जैसी भी स्थिति हो, के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। ऐसे प्रकरणों का निराकरण पूर्व नीति के अनुरूप किया जाएगा।

2.4. पूर्व/प्रचलित नीति (यों) अंतर्गत स्टार्ट-अप/इनक्यूबेटर्स को सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति (यों) अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2022 में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. योजना कार्यान्वयन हेतु समितियों का गठन -

3.1 राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति -

राज्य नवाचार चुनौती अंतर्गत स्टार्ट-अप्स की स्क्रीनिंग एवं चयन एवं नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा -

क्र.	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव नगरीय आवास एवं विकास विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
7	महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य सचिव
9	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित	सदस्य

3.2 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत चयनित स्टार्ट-अप्स के आंकलन/मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा -

क्र	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1	प्रमुख सचिव संबंधित विभाग (चुनौती में चयनित विषय के)	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के नामांकित प्रतिनिधि (उप सचिव से अनिम्न अधिकारी ना हों)	सदस्य
4	महानिदेशक अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य

5	प्रमुख मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर	सदस्य सचिव
6	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित	सदस्य

3.4 राज्य स्तरीय सहायता समिति

पात्र स्टार्ट-अप्स एवं इनक्यूबेटर्स को नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं के पात्रता निर्धारण एवं स्वीकृति हेतु समिति का गठन निम्नानुसार होगा -

क्र	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1	प्रमुख सचिव/सचिव, एमएसएमई विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4	प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
7	उद्योग आयुक्त, म.प्र.	सदस्य
8	संचालक, एमएसएमई	सदस्य
9	प्रमुख, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर, भोपाल	सदस्य सचिव
6	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित	सदस्य

टीप : समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 5 सदस्यों से पूर्ण होगा।

4. विविध

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल स्टार्ट-अप्स एवं इनक्यूबेटर्स को उपलब्ध होगी।

4.2 स्टार्ट-अप्स एवं इनक्यूबेटर्स को भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट-अप इण्डिया में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।

4.3 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियां हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन/रियायतें प्राप्त कर सकती हैं, तो इकाई (उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को छोड़कर) द्वारा किसी अन्य नीति अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायतें लेने/ आवेदन करने पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र होगी।

4.4 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय-सीमा में राज्य स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किए गए विलम्ब को शिथिल कर सकेगी।

5. समितियों के दायित्व

5.1 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत स्टार्ट-अप्स की स्क्रीनिंग एवं चयन एवं नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति का दायित्व -

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु संस्थान से अवधारणा आमंत्रित किए जाने एवं उन पर सर्व संबंधित विभागों के अभिमत/अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्टता, गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। समिति नीति के सुगम क्रियान्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण का दायित्व भी निर्वहन करेगी। समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

5.2 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत चयनित स्टार्ट-अप्स के आंकलन/मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय समिति का दायित्व - मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति द्वारा चयनित संस्थान द्वारा आर्थिक सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु किए गए कार्यों का आंकलन एवं मूल्यांकन कर उन्हें समयबद्ध रीति से राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत प्रावधानित अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा करेगी।

5.3 राज्य स्तरीय सहायता समिति का दायित्व -

5.3.1 योजनांतर्गत सहायता हेतु आवेदन निर्धारित

समयावधि में इकाई/संस्था के स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को प्रधानत: (Preferably) ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

5.3.2 मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप केंद्र द्वारा प्राप्त आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन सहित सहायता संबंधी प्रकरण राज्य स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

5.3.3 योजना अंतर्गत सभी सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति राज्य स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जाएगी। उसके बाद मिलने वाली स्वीकृत सहायता की किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव, बिना पुन: समिति के समक्ष प्रस्तुत किए बगैर प्राप्त होंगी।

5.3.4 समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

5.3.5 समुचित विचारोपरान्त राज्य स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह योजना अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे। समिति के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत सहायता (सहायताएं) एवं जहां लागू हो, दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण/मापदण्ड का उल्लेख करते हुए जारी किया जाएगा।

5.3.6 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े, तो वह स्वत: संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिए गए निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

6. योजनान्तर्गत आवेदन इकाई को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को प्रधानता (Preferably) ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्नानुसार अनुलग्नक प्रस्तुत किए जाएंगे :-

6.1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट-अप इण्डिया से मान्यता प्राप्त होने की प्रमाणित छाया प्रति।

6.2 इकाई में आवेदित वर्ष में माहवार कुल रोजगार की संख्या के संबंध में इकाई का नोटराइज्ड शपथ पत्र।

6.3 इकाई के गठन संबंधी सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र।

6.4 निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।

6.5 वित्तीय व्यवस्था का विवरण (स्वयं के स्त्रोतों से अथवा बैंक ऋण अथवा सेबी/आरबीआई से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति/वितरण पत्र)।

6.6 संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन।

6.7 उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप को योजनान्तर्गत प्रावधानित गैर वित्तीय सुविधाओं का लाभ आवेदन करने पर प्राप्त हो सकेगा किन्तु वित्तीय सुविधाओं का लाभ इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात प्राप्त हो सकेगा।

7 अपील - राज्य स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रशासकीय विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को विभाग गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगा। प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

8. व्याख्या/मार्गदर्शन/आवेदन प्रारूप/प्रपत्र तैयार करने के अधिकार - योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रशासकीय विभाग द्वारा दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। योजनांतर्गत प्रावधानित सहायता का लाभ लेने हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का प्रारूप तैयार करने हेतु प्रशासकीय विभाग अधिकृत होगा। इस योजना एवं राज्य शासन की अन्य निवेश नीतियों की भाषा में विरोधाभाष होने पर मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

9. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन - योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

- इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा
- इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा

10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

श्री अंकित अस्थाना सीईओ,
भोपाल स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,

उद्यमिता की संस्कृति को विकसित कर रहा बी-नेस्ट

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स के लिए इको सिस्टम विकसित करना है। मध्य प्रदेश में 1900 से अधिक डीपीआईआईटी में पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत भोपाल स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 8 मई 2018 को प्रदेश का पहला शासकीय इनक्यूबेशन सेंटर बी-नेस्ट प्रारंभ किया। बी-नेस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप हेतु 12 हजार वर्ग फुट में इको सिस्टम विकसित किया गया है। बी-नेस्ट मध्य भारत का पहला शासकीय इनक्यूबेशन सेंटर है।

बी-नेस्ट के माध्यम से प्रदेश में एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर (संस्कृति) को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश के उद्यमियों को शामिल किया गया है, जिनके आइडियाज से प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है और रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। चार साल में बी-नेस्ट ने 132 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया है। यह स्टार्टअप अलग-अलग क्षेत्रों से हैं। इनमें अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन, ऑटोमेशन, कृषि और शिक्षा आदि के स्टार्टअप्स शामिल हैं। वर्तमान में बी-नेस्ट में 50 स्टार्टअप्स इनक्यूबेट हैं।

बी-नेस्ट की मदद से 7 इनक्यूबेटर्स (स्टार्टअप्स) को 8 करोड़ का निवेश विभिन्न ऐंजल निवेशकों से मिला है। इनमें कबाड़ीवाला, हेल्थक्विक, विजबी, रोबोटिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, प्रायोगिक टेक्नोलॉजिस और इंवेटोहेक प्रमुख स्टार्टअप्स हैं, जिन पर निवेशकों ने निवेश किया है।

भोपाल स्मार्ट सिटी के बी-नेस्ट से स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, सलाह व सहयोग हेतु विषय-विशेषज्ञ (मेंटर्स) नियुक्त किए गए हैं। बी-नेस्ट ने मई 2018 से आज तक 130 से अधिक कार्यशाला व विशेष सत्र स्टार्टअप्स के लिए आयोजित किए हैं। इन कार्यशालाओं का लाभ प्रदेश के विभिन्न शहरों जैसे दमोह, जबलपुर, ग्वालियर आदि के स्टार्टअप्स ने भी लिया है।

राष्ट्रीय स्तर का बैंचमार्क किया स्थापित

बी-नेस्ट ने स्टार्टअप इको सिस्टम के लिए भोपाल में राष्ट्रीय स्तर का बैंचमार्क स्थापित किया है। बी-नेस्ट ने कॉन्क्लेव, हैकाथॉन, इनोवेटिव प्रोग्राम और बूट कैंप जैसे बड़े कार्यक्रम राज्य व राष्ट्रीय स्तर के मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए आयोजित किए हैं।

सेवाओं व उत्पाद को उन्नत करने की पहल

बी-नेस्ट ने स्टार्टअप्स हेतु गूगल, एडब्ल्यूएस, पे-टीएम, रोजर पे, फ्रेश वर्क, आईएएमआई के साथ पार्टनरशिप नेटवर्क स्थापित किया है। इसकी सहायता से बी-नेस्ट के स्टार्टअप्स अपनी सेवाओं व उत्पाद को उन्नत करते हैं। इसके साथ ही बी-नेस्ट स्टार्टअप्स को सरकार विभागों से सामंजस्य स्थापित करने, समस्याओं से निराकरण आदि में भी मदद करता है।

आत्मनिर्भर मप्र का सपना होगा साकार

बी-नेस्ट के द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप्स को टिकाउ व मजबूत इको सिस्टम देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। बी-नेस्ट आशा करता है कि मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में स्टार्टअप इको सिस्टम के विकास हेतु सहयोग करता रहेगा, जिससे कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सपने को साकार किया जा सके।

कारोबार में आसानी की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अनिवार्य परीक्षण में नियामक ओवरलैप हटाया गया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं (जैसे लैपटॉप, वायरलेस कीबोर्ड, पीओएस मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) का अनिवार्य पंजीकरण करता है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार के लिए उपयोग किए जाने में सक्षम उपकरणों के लिए 5 सितंबर 2017 को जारी भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2017 के तहत दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन को निर्दिष्ट किया है।

प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कैमरा इत्यादि जैसे कुछ उत्पादों के संबंध में नियामक ओवरलैप का संज्ञान लिया गया था। डीओटी और एमईआईटीई के ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार के संबंध में उद्योगों और उद्योग संघों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें इस बात का भी उल्लेख किया गया कि इस तरह के व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले नए उत्पादों को समय पर बाजार मे लाने के लिए यह एक बाधा है। यह उद्योग के लिए अनुपालन लागत भी बढ़ाता है।

डीओटी ने एमईआईटीवाई के परामर्श से इस मुद्दे की जांच की और अब निम्नलिखित उत्पादों को एमटीसीटीई शासन के दायरे से छूट देने का निर्णय लिया है: - मोबाइल उपयोगकर्ता उपकरण/मोबाइल हैंडसेट (मोबाइल फोन) ● सर्वर ● स्मार्ट वॉच ● स्मार्ट कैमरा ● पीओएस मशीन (प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस)

व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इन उत्पादों पर छूट अनुपालन बोझ को कम करेगी और उद्योग को अपने उत्पादों को तेजी से बाजार में लाने में सक्षम बनाएगी। यह आयात में होने वाले विलम्ब को कम करेगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** की सकारात्मक परिकल्पना के अनुरूप है कि नियामक व्यवस्था एकदम स्पष्ट और सरलीकृत होनी चाहिए। यह नियामक सुधार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनियों के लिए कारोबार में आसानी में सुधार करेगा और भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा।

इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना नियत समय में जारी की जाएगी।

स्टार्ट अप इंडिया योजना

स्टार्टअप क्या है ?

परिभाषा, पंजीयन प्रक्रिया एवं टैक्स में मिलने वाली रियायतों की मार्गदर्शक जानकारी (आवश्यक प्रपत्रों सहित)

भारत को रोजगार खोजने वाले के बजाय रोजगार सृजन करने वाले देश में परिवर्तित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्ययोजना शुरू की गई है। स्टार्टअप उद्यमियों को सहायता प्रदान करके एक सुदृढ़ स्टार्टअप परिवेश का निर्माण करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। केंद्रीय उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) केंद्र सरकार के सभी विभागों और राज्य सरकारों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए नोडल विभाग के रूप में इस योजना को आगे बढ़ाने पर कार्य कर रहा है।

स्टार्टअप क्या है

केंद्रीय उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 19.02.2020 को जारी अधिसूचना सा.का.नि. 127 (अ) के तहत

(क) किसी एनटिटि को निम्नानुसार स्टार्टअप माना जाएगा :

(i) निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।

(ii) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एनटिटि का कुल कारोबार सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो।

(iii) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी एनटिटि को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण –

किसी एनटीटी को उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार सौ करोड़ रुपए से अधिक होने पर स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

(ख) अधिनियम का तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961 है।

(ग) बोर्ड का आशय है अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :-

(I) संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग, संयोजक

(ii) प्रतिनिधि, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सदस्य

(iii) प्रतिनिधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सदस्य

(घ) सीबीडीटी का अर्थ केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अंतर्गत गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है।

(ड) सीमित देयता भागीदारी का अर्थ सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ढ) में दिए गए अनुसार होगा।

(च) भागीदारी कंपनी का अर्थ भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत कंपनी है।

(छ) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (68) में दिए गए अनुसार होगा।

(ज) कारोबार का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (91) में दिए अनुसार होगा।

(झ) इस अधिसूचना में प्रपत्रों के सभी संदर्भों को इसके परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्रों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

Startup India Tableau as showcased on Republic Day parade, January 2020

(ञ) डीपीआईआईटी का आशय है उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग।

2. आपके स्टार्टअप को मान्यता कैसे मिलेगी

भारत में स्टार्टअप के रूप में पात्र एनटिटि की मान्यता संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

(I) सभी पात्रताएं पूरी करने वाले स्टार्टअप द्वारा केंद्रीय उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्थापित मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा

(ii) आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा –

(क) यथा वांछित निगमीकरण अथवा पंजीकरण की प्रमाण-पत्र की प्रति, और

(ख) व्यवसाय के स्वरूप का ब्यौरा जिसमें यह प्रमुखता से दर्शाना होगा कि वह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार या रोजगार सृजन या धन सृजन के सन्दर्भ में अपनी स्केलेबिलिटी की दिशा में किस प्रकार कार्य कर रहा है।

(iii) केंद्रीय उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना मांगे जाने तथा जांच करने के बाद, जैसा भी उचित समझे

(क) पात्र एनटिटि को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दे सकता है अथवा

(ख) कारण बताते हुए आवेदन को निरस्त कर सकता है।

कर में छूट का लाभ कैसे प्राप्त करें स्टार्टअप

केंद्र सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिए स्टार्टअप हेतु कर में छूट आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रावधानों में 10 वर्षों में से लगातार 3 आकलन वर्षों के लिए पात्र स्टार्टअप द्वारा किसी पात्र व्यवसाय से अर्जित लाभ और प्राप्ति की शत-प्रतिशत राशि के बराबर कटौती की व्यवस्था का प्रावधान है जो आकलन कर्ता के विकल्प के आधार पर निश्चित शर्तों के अध्यधीन है। एक अप्रैल 2016 के पहले अथवा बाद में लेकिन एक अप्रैल 2022 से पहले निगमित स्टार्टअप्स आयकर में छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए, स्टार्टअप को **अंतरमंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी)** से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रावधानों के तहत एक दिसम्बर 2021 तक 406 स्टार्टअप्स को आयकर छूट प्रदान की गई है।

अंतरमंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी) से प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें

कर में छूट प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप्स को उपरोक्त प्रमाण पत्र हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा :-

अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रयोजन हेतु प्रमाणन 3.

एक स्टार्टअप जो एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है अथवा एक सीमित दायित्व वाली भागीदारी में है, और अधिनियम की धारा 80-आईएसी के स्पष्टीकरण के उपखण्ड (i) तथा उपखण्ड (ii) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रयोजन हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रपत्र-1 में उसमें उल्लिखित दस्तावेजों सहित बोर्ड को आवेदन कर सकता है और बोर्ड संबंधित दस्तावेजों अथवा सूचना मंगाने और आवश्यक जांच के पश्चात, यथाउपयुक्त पाए जाने पर - (I) अधिनियम की धारा 80-आईएसी के स्पष्टीकरण के खण्ड (ii) के उपखण्ड (ग) के सन्दर्भ में प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, अथवा (ii) कारण बताते हुए आवेदन रद्द कर सकता है।

उचित बाजार मूल्य से ऊपर के निवेशों पर कर छूट :

डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को शेयरों के निर्गम के लिए शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त होने पर आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viiख) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त होती है। स्टार्टअप को (जी.एस.आर. 127 (ई) अधिसूचना के अनुसार) आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viiख) के प्रावधानों के अनुसार छूट का दावा करने के लिए डीपीआईआईटी को फार्म 2 में विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दाखिल करना पड़ता है। आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viiख)के तहत डीपीआईआईटी के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को तब छूट मिलती है जब ऐसे स्टार्टअप शेयरों को जारी करने के लिए कोई मुआवजा प्राप्त करते हैं जो ऐसे शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। संस्थाओं द्वारा फॉर्म 2 में जमा की गई घोषणाओं के बारे में, 26 नवंबर 2021 तक 4,977 संस्थाओं के मामले में फॉर्म 2 में की गई घोषणाओं की प्राप्ति की सूचना भेजी गई है।

अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के प्रयोजन के संदर्भ में छूट

4. एक स्टार्टअप अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के परन्तुक के खण्ड (ii) के तहत अधिसूचना और तदनुसार उस खण्ड के प्रावधानों से छूट के लिए पात्र होगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:-

i. पैरा 2 (iii)(क) के तहत अथवा इस विषय पर किसी पूर्ववर्ती अधिसूचना के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो

ii. शेयर जारी करने अथवा जारी करने का प्रस्ताव, यदि कोई हो, करने के पश्चात स्टार्टअप की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक न हो,

बशर्ते की प्रदत्त शेयर पूंजी की कुल राशि की गणना करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को जारी किए गए शेयरों के संबंध में प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की पच्चीस करोड़ रुपए की राशि में शामिल नहीं किया जाएगा -

(क) अनिवासी (नॉन रेजिडेंट), अथवा

(ख) वेंचर कैपिटल कम्पनी अथवा वेंचर कैपिटल फंड

इसके अलावा, बशर्ते कि ऐसे स्टार्टअप द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कम्पनी को शेयर जारी करने अथवा जारी करने का प्रस्ताव करने से प्राप्त लाभ पर भी छूट दी जाएगी तथा इसे पच्चीस करोड़ रुपए की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की समस्त राशि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) उसके द्वारा निम्नलिखित परिसम्पत्तियों में से किसी में निवेश न किया गया हो –

(क) स्टार्टअप द्वारा व्यवसाय के दौरान, स्टॉक करने के लिए अथवा किराए पर देने के लिए उपयोग करने के अलावा, किसी आवासीय मकान के रूप में भवन अथवा तत्संबंधी भूसंपत्ति

(ख) व्यवसाय के दौरान, स्टॉक करने के लिए अथवा किराए पर देने के लिए उपयोग करने अथवा अपने व्यवसाय हेतु स्टार्टअप द्वारा उसका इस्तेमाल करने के अलावा, किसी गैर–आवासीय मकान के रूप में भूमि अथवा भवन अथवा दोनों

(ग) ऋण अथवा अग्रिम, उन ऋणों अथवा अग्रिमों को छोड़कर जो स्टार्टअप द्वारा सामान्य व्यवसाय के लिए उपयोग किए गए हैं तथा जहां पर धन उधार देना, व्यवसाय का आवश्यक हिस्सा है

(घ) किसी अन्य एनटिटि के लिए किया गया पूंजीगत योगदान

(ड) शेयर और प्रतिभूतियां

(च) स्टार्टअप द्वारा प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग अथवा स्टॉक के लिए सामान्य व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले वाहनों के अलावा कोई मोटर वाहन, हवाई जहाज, यॉट अथवा परिवहन का कोई अन्य साधन जिसकी वास्तविक लागत 10 लाख रुपए से अधिक हो।

(छ) स्टार्टअप द्वारा सामान्य व्यवसाय में स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वालों के अलावा, आभूषण,

(ज) कोई अन्य परिसम्पति, चाहे वह पूंजीगत परिसम्पत्ति हो अथवा अन्य, जो अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (vii) की व्याख्या के खण्ड (घ) के उपखण्ड (iv) से (ix) में उल्लिखित प्रकृति की हो।

बशर्ते स्टार्टअप नवीनतम वित्तीय वर्ष के अंत, जिसमें शेयर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं, से सात वर्ष की अवधि के लिए उप–खंड (क) से (छ) में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति में निवेश नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए –

(i) निर्दिष्ट कंपनी का अर्थ है एक ऐसी कंपनी जिसके शेयरों का सामान्यत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अर्थ के भीतर कारोबार किया जाता है और जिसकी वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से पहले शुद्ध मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें सौ करोड़ रुपए से अधिक के शेयर जारी किए जाते हैं या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का टर्नओवर जिसमें दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक के शेयर जारी किए जाते हैं।

(ii) अधिनियम की धारा 56 की उप धारा (2) के खंड (vii ख) के विवेचन में दिए गए अर्थ के अनुसार वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड के समान अर्थ होंगे।

घोषणा

5. पैरा 4 (i) और पैरा 4 (ii) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले स्टार्टअप द्वारा डीपीआईआईटी को प्रपत्र 2 में विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा दर्ज करनी होगी कि यह पैरा 4 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। ऐसी घोषणा प्राप्त होने पर, डीपीआईआईटी इसे सीबीडीटी को भेजेगा।

कार्य–क्षेत्र

6. पैरा 4 में उल्लिखित अधिसूचना, स्टार्टअप द्वारा अपने निगमन की तारीख से जारी किए गए शेयरों की तिथियां कुछ भी होने के बावजूद लागू होगी, उन जारी किए गए शेयरों को छोड़कर जिसके संबंध में अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले अधिनियम के तहत किए गए एक आकलन आदेश में अधिनियम की धारा 56 (2) (vii ख) के तहत अतिरिक्त शेयरों को शामिल किया गया है।

7. पैरा 4 में संदर्भित अधिसूचना, स्टार्टअप पर अधिनियम की धारा 56(2)(vii ख) के प्रावधान लागू होने के संदर्भ में लागू होंगी तथा इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लागू होने के संदर्भ में कोई छूट नहीं मिलेगी।

निरसन

8.(1) यदि यह पाया जाता है कि पैरा 3 के संदर्भ में किसी भी प्रमाण–पत्र को गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो बोर्ड के पास ऐसे प्रमाण–पत्र या अनुमोदन को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(2) जहां उप–पैरा (1) के तहत प्रमाण–पत्र या अनुमोदन रद्द कर दिया गया है, ऐसे प्रमाण–पत्र या अनुमोदन को बोर्ड द्वारा कभी भी जारी या मंजूर नहीं किया गया माना जाएगा।

9. यदि स्टार्टअप जो प्रपत्र–2 में घोषणा करता है, उस नवीनतम वित्त वर्ष के अंत से 7 वर्ष के समाप्त होने से पहले पैरा 4 (iii) में विनिर्दिष्ट किसी आस्ति में निवेश करता है जिसमें प्रीमियम पर शेयर जारी हुए हैं तो अधिनियम की धारा 56

(2)(vii ख) के तहत प्रदत्त छूट को पूर्व प्रभाव से वापस ले लिया जाएगा।

परिशिष्ट-I

प्रपत्र-1

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईएसी के प्रयोजनों हेतु प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

1. स्टार्टअप का नाम - .....
2. पंजीयन की तारीख - .....
3. निगमन संख्या/पंजीकरण संख्या - .....
4. पता और व्यापार स्थान - .....
5. व्यवसाय की प्रकृति - .....
6. स्टार्टअप का संपर्क विवरण (फोन नंबर और ईमेल) - .....
7. स्थायी खाता संख्या .....
8. मौजूदा/प्रस्तावित गतिविधियां ....

(संगम ज्ञापन, एलएलपी/साझेदारी विलेख, बोर्ड संकल्प आदि की प्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है और कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाई नहीं गई है।

कृते (स्टार्टअप का नाम)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

पदनाम .....

स्थान .....

दिनांक .....

इस प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (यदि लागू हो) संलग्न किए जाएंगे -

1. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए स्टार्टअप के वार्षिक खाते
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रतियां

प्रपत्र 2

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (2) (vii ख) के तहत छूट के लिए स्टार्टअप द्वारा घोषणा (कंपनी के लेटरहैड पर जारी किया जाए)

1. मैं ..... सुपुत्र/सुपुत्री ..... स्थायी खाता संख्या (पैन) ..... (कंपनी का नाम) ..... का ..... होने के नाते डीपीआईआईटी मान्यता संख्या ..... तथा स्थायी खाता संख्या (पैन संख्या)..... एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं तथा घोषणा करता हूं कि इस कंपनी ने नवीनतम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात वर्ष की अवधि, जिसमें कंपनी द्वारा प्रीमियम पर शेयर जारी किए गए हैं, के लिए उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ..... दिनांक ..... के पैरा 4 (iii) में उल्लिखित परिसंपत्तियों में निवेश नहीं किया है तथा न ही करेगी।

2. मैं जानता हूं कि उपर्युक्त के अनुपालन में विफल रहने पर दी गई छूट पूर्व प्रभाव से वापस ले ली जाएगी।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

इस घोषणा पर आयकर अधिनियम की धारा 140 के तहत आयकर रिटर्न पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले लेखों जानकारियों का सादर स्वागत है।

सम्पर्क करें - प्रकाशन विभाग सेडमैप, भोपाल

स्टार्टअप्स की सुविधा के लिए **शासकीय नियमों** में दी गई **प्रमुख रियायतें**

देश में स्थापित होने वाले स्टार्टअप को नियमों प्रावधानों की जटिलता से निजात दिलाने के लिए सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। इस दिशा में अग्रगामी पहल करते हुए जहां कई नए नियम बनाए गए हैं, वहीं कुछ पुराने नियमों में संशोधन कर उनका सरलीकरण किया गया है। इन सभी कवायदों का महज एक ही उद्देश्य है कि देश में स्टार्टअप्स की स्थापना में जहां आसानी हो वहीं उनके संचालन में भी कोई बाधा आड़े ना आने पाए। देश में अब तक इस दिशा में जो सुधार किए गए हैं, उनकी मार्गदर्शक जानकारियां निम्नानुसार हैं :

विनियामक सुधार

विनियामक मामलों के समाधान के लिए सरकारी विभागों, स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम के हितधारकों के बीच निरंतर और गहन संलग्नता की आवश्यकता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) स्टार्टअप्स, निवेशकों और इकोसिस्टम में अन्य लोगों द्वारा उठाए गए विनियामक मुद्दों पर परामर्श आमंत्रित करने के लिए नियमित आधार पर हितधारकों के साथ लगा हुआ है। आवश्यक समाधान करने और सुधार लाने के लिए इन मामलों और सिफारिशों को संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाता है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए निम्नलिखित 49 प्रमुख विनियामक बदलाव किए गए हैं।

क. भारतीय रिजर्व बैंक

I. स्टार्टअप उद्यमों को बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचे के अंतर्गत 3 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के ऋण का उपयोग करने की अनुमति दी गई। (अक्टूबर, 2016)

ii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफबीसीआई) अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 की अनुसूची 6 में उल्लिखित किसी भी गतिविधि में संलग्न है वह , किसी भी क्षेत्र के स्टार्टअप का ध्यान किए बिना भारतीय कंपनी की पूंजी में स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक अंशदान कर सकता है। (अगस्त 2017)

iii. एक भारतीय स्टार्टअप जिसके पास एक विदेशी सहायक

कंपनी हो, उक्त इकाई द्वारा किए गए निर्यात/बिक्री से उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा आय को जमा करने के उद्देश्य से भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है। (जून, 2016)

iv. सॉफ्टवेयर निर्यातकों द्वारा दायर सॉफ्टेक्स फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया है। (फरवरी, 2019)

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

v. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, द्वारा 04.01.2017 से किसी एंजेल फंड द्वारा किए गए निवेश की अवधि तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है।

vi. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा 04.01.2017 से अन्य एआईएफ की भांति एंजेल फंड्स को विदेशी उद्यम पूंजी उपक्रमों में अपने निवेश योग्य समग्र निधि के 25 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति है।

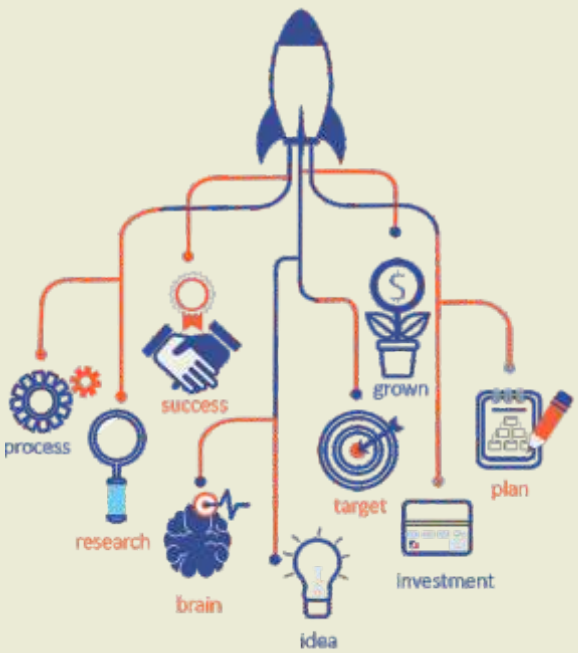

vii. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2016 के अनुसार 04.01.2017 से किसी योजना में एंजेल निवेशकों की संख्या की ऊपरी सीमा उन्नचास से बढ़ाकर दो सौ कर दी गई है।

viii. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा 04.01.2017 से यथा संशोधित किसी भी उद्यम पूंजी उपक्रम में एंजेल फंड द्वारा न्यूनतम निवेश राशि की आवश्यकताओं को पचास लाख से घटाकर पच्चीस लाख कर दिया गया है।

ix. सेबी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए। (नवंबर, 2018)

x. एआईएफ विनियमों के तहत, स्टार्टअप्स में एंजेल फंडस द्वारा निवेश के उद्देश्य से स्टार्टअप की परिभाषा डीपीआईटी की दिनांक 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना के अनुरूप की गई है। (5 मई, 2021)

xi. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 ने उद्यम पूंजी उपक्रम की परिभाषा से प्रतिबंधित गतिविधियों अथवा क्षेत्रों की सूची को हटा दिया है अर्थात अब 1 एआईएफ एनबीएफसी में निवेश कर सकते हैं। (5 मई, 2021)

ग. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

xii. निजी कंपनी के वित्तीय विवरण के संबंध में, (यदि ऐसी निजी कंपनी स्टार्टअप है) तो वित्तीय विवरण में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं भी किया जा सकता है। (जून, 2017)

xiii. एक निजी कंपनी जिसे उसके निगमन की तारीख से पांच वर्ष (अब दस वर्ष) की अवधि के लिए स्टार्ट-अप माना जाता है, उसे अपने सदस्यों से बिना किसी भी प्रतिबंध के किसी भी राशि की जमा स्वीकार करने की अनुमति है। (सितंबर, 2017)

xiv. कंपनी अधिनियम, 2013 के उद्देश्य से परिभाषित स्टार्टअप परिभाषा के अनुसार, एक स्टार्ट-अप कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित निजी कंपनी और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त है। (जून, 2017)

xv. शेयरधारकों के जमा बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक अनुपालन से छूट (जैसे कि एक प्रस्ताव परिपत्र जारी करना या जमा पुनर्भुगतान आरक्षित करना)। (जून, 2017)

xvi. एक निजी कंपनी के संबंध में (यदि ऐसी निजी कंपनी स्टार्ट-अप है), वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव, या जहां

कंपनी सचिव नहीं है, कंपनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। (जून, 2017)

xvii. **एक निजी कंपनी** (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्टअप है) को एक केलेंडर वर्ष के प्रत्येक छ:माही में निदेशक मंडल की कम से कम एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है और दोनों बैठकों के बीच का अंतर नब्बे दिनों से कम नहीं होना चाहिए। (जून, 2017)

xviii. **कंपनी के निगमन के लिए नाम का आरक्षण :** कंपनियां (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8 को, कंपनियां (निगमन) के 5वें संशोधन नियम, 2019 से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें किसी मौजूदा कंपनी के नाम, कंपनी के अवांछनीय नामों की नई श्रेणियों और उन शब्दों की सूची के बाद ही प्रयोग किया जा सकता है, नए विनियमों का प्रावधान किया गया है। (मई, 2019)

xviii. **कंपनियां (शेयर पूंजी और ऋण) नियम, 2014 में संशोधन :** कार्पोरेट कार्य के मंत्रालय ने 16 अगस्त, 2019 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें स्टार्टअप के प्रमोटरों और निदेशकों को निगमन की तारीख से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक ईएसओपी (10 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारण) प्रदान किया जा सकता है और इस प्रकार डीपीआईआईटी अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी, 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के साथ कंपनियां (शेयर पूंजी और ऋण) विनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। अधिसूचना से कंपनी में अंतर युक्त मतदान अधिकार वाले शेयरों पर सीमा को कंपनी के जारी होने के बाद 26 प्रतिशत से कुल मतदान अधिकार से कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 74 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, कंपनी के लिए डीवीआर शेयरों को जारी करने के लिए पिछले तीन वर्षों के वितरण योग्य मुनाफे का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड होने की शर्त को हटा दिया गया है। (अगस्त, 2019)

xx. **निगम सामाजिक उत्तरदायित्व निधियां :** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के सन्दर्भ में अनुसूची vii में संशोधन किया गया है ताकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्त पोषित इन्क्यूबेटरों के योगदान और सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के तत्वाधान में स्थापित), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) के संवर्धन के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा अनुसंधान में लगे हुए निकायों के योगदान को शामिल किया जा सके। (अक्टूबर, 2019)

xxi. भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) पहल के भाग के रूप में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में मौजूद एसपीआईसीई प्रपत्र के स्थान पर नए एकीकृत वेब प्रपत्र की शुरुआत की है जिसका नाम एसपीआईसीई+ है। एसपीआईसीई + केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों और विभागों (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग) की 10 सेवाओं तथा राज्य सरकार (महाराष्ट्र) को एक सेवा प्रदान करेगा जिससे भारत में व्यवसाय शुरू करने की कई प्रक्रियाओं, समय और लगात की बचत होगी तथा यह 23 फरवरी 2020 से निगमित होने वाली सभी नई कंपनियों के लिए लागू होगा। एसपीआईसीई + के दो भाग हैं, भाग क – नई कंपनियों के लिए नाम आरक्षण हेतु तथा भाग ख कई सेवाएं प्रदान करता है जैसे (i) निगमीकरण (ii) डीआईएन आवंटन (iii) अनिवार्य रूप से पैन जारी करना (iv) अनिवार्य रूप से टैन जारी करना (v) ईपीएफओ का अनिवार्य पंजीकरण (vi) पेशेवर कर का अनिवार्य पंजीकरण (महाराष्ट्र) मुद्दा (vii) कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से बैंक खाता खोलना और (viii) जीएसटीआईएन का आवंटन (यदि आवेदन किया गया है तो) (फरवरी, 2020)

xxii. **कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियम 2014 में संशोधन :** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 05 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें स्वेट इक्विटी शेयरों की अवधि को निगमीकरण की तारीख से 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है तथा इस प्रकार कंपनी

(शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियम के प्रावधान डीपीआईआईटी की 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना के अनुरूप हो गए हैं। (जून, 2020)

xxiii. **कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन :** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 07 सितंबर 2020 को अधिसूचना जारी की थी जिसमें परिवर्तनीय नोट की अवधि को जारी करने की तारीख 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और इस प्रकार कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम के प्रावधान डीपीआईआईटी की 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना के अनुरूप हो गए हैं। (सितंबर, 2020)

xxiv. **कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन :** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 07 सितंबर, 2020 को अधिसूचना जारी की जिसके जरिए सदस्यों द्वारा निजी कंपनियों के सदस्यों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा राशि से संबंधित अधिकतम सीमा स्टार्टअप कंपनी पर 5 वर्ष की बजाय 10 वर्ष के लिए लागू नहीं होगी। (सितंबर 2020)

xxv. **एक व्यक्ति कंपनियां (ओपीसी):** एक व्यक्ति की ओपीसी को प्रदत्त पूंजी और कारोबार संबंधी बिना किसी प्रतिबंध के बढ़ने की अनुमति देकर, किसी भी समय किसी अन्य प्रकार की कंपनी में उनके परिवर्तन की अनुमति देकर, एक भारतीय नागरिक के लिए एक ओपीसी स्थापित करने के लिए निवास की सीमा को 182 दिनों से घटाकर 120 दिनों तक कम करती है और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी भारत में ओपीसी का निगमन करने की अनुमति देती है। (फरवरी 2021)

घ. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

xxvi. ऐसी घरेलू कंपनी के मामले में, जिसका पिछले वर्ष में कुल कारोबार या सकल प्राप्ति दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं है आयकर कुल आय के 25 प्रतिशत की दर से किया जाएगा। (फरवरी 2018)

xxvii. स्टार्ट-अप की परिभाषा के साथ संरेखित धारा 80-आईएसी में यथा उल्लिखित पात्र व्यवसाय की परिभाषा। (अप्रैल, 2018)

xxviii. **आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 54 ईई को शामिल करना :** यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निधि में इस तरह के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का निवेश किया जाता है तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट। निवेश की जाने वाली अधिकतम राशि 50 लाख रुपए हो सकती है। (मई, 2016)

xxix. **आयकर अधिनियम की धारा 54 जीबी में संशोधन :** यदि विवेचना के अंतर्गत राशि का उपयोग निर्दिष्ट संपत्ति की खरीद के लिए पात्र स्टार्टअप के इक्विटी शेयरों के निर्धारित हिस्से में निवेश के लिए किया जाता है, तो आवासीय मकान या जमीन के आवासीय भूखंड की बिक्री से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर कर से छूट। (फरवरी, 2016)

XXX. न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण को दस मूल्यांकन वर्षों की बजाय पंद्रह मूल्यांकन वर्षों तक आगे ले जाने की अनुमति दी गई है। (2017)

xxxi. **आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के अंतर्गत छूट :** पात्र स्टार्टअप के निगमित किए जाने के वर्ष से 7 वर्ष की अवधि (पहले 5 वर्ष) में से किसी भी 3 लगातार मूल्यांकन वर्षों के लिए पात्र स्टार्टअप को छूट। (अप्रैल, 2018)

XXXii. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को की गई स्व-घोषणा के आधार पर स्टार्टअप को उचित बाजार मूल्य से अधिक के शेयर जारी करने के लिए धारा 56(2)(vii बी) के प्रावधानों के अंतर्गत कर से छूट। यहां जारी होने के बाद प्रदत्त शेयर पूंजी की कुल राशि और स्टार्टअप का शेयर प्रीमियम या जारी किए जाने के प्रस्ताव के समय 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। (फरवरी, 2019)

xxxiii. **परिवर्तनीय नोट का कराधान :** शेयरों या डिबेंचर के रूपांतरण की अवधि के निर्धारण के लिए उस अवधि पर विचार किया जाएगा जिसके लिए रूपांतरण से पहले कोई बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या जमा प्रमाणपत्र धारित किया गया था। (मार्च, 2016)

xxxiv. 1 अप्रैल, 2020 से, आयकर अधिनियम की धारा 54 जीबी में संशोधन (अगस्त, 2019)

I. न्यूनतम 50 प्रतिशत शेयर पूंजी के प्रतिधारण की स्थिति या स्टार्ट-अप में मतदान के अधिकार में 25 प्रतिशत तक छूट।

ii. उस अवधि का विस्तार जिसके अंतर्गत आवासीय संपत्ति की बिक्री से, धारा 54 जीबी के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक लाभ लिया जा सकता है।

iii. नई परिसंपत्ति के कम्प्यूटर या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर होने के

मामले में हस्तांतरण को रोकने संबंधी शर्तों में छूट को 01.04.2020 से 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया जाएगा।

xxxv. **आयकर अधिनियम की धारा 79 में संशोधन (अगस्त, 2019):** निम्नलिखित दो में से किसी एक शर्त के पूरा करने पर स्टार्टअप अपने नुकसान को आगे बढ़ा सकता है :

i. 51 प्रतिशत शेयरधारित/मतदान शक्ति की निरंतरता, या

ii. मतदान शक्ति वाले 100 प्रतिशत मूल शेयरधारकों की निरंतरतता

xxxvi. निवेश निधियां अर्थात श्रेणी i और ii एआईएफ को आय से निकलने की अनुमति के समान ही हानियों से निकलने की अनुमति होगी। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2020-21 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होंगे। (अगस्त, 2019)

xxxvii. स्टार्टअप में श्रेणी-I एआईएफ की वेंचर पूंजी निधि द्वारा किए गए निवेश को आईटी अधिनियम की धारा 56 (2) (vii बी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई। उक्त धारा में निर्दिष्ट निधियों को शामिल करके, इस छूट को श्रेणी-I एआईएफ और श्रेणी-II एआईएफ की सभी उप-श्रेणियों में प्रदान की गई है। (अगस्त 2019)

xxxviii. वित्त अधिनियम, 2020 विशिष्ट व्यवसायों से संबंधित विशेष प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80 आईएसी में संशोधन करने की मांग करता है। धारा 80 आईएसी के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पात्र स्टार्टअप द्वारा सात वर्ष के पूर्ववर्ती मानदंडों की तुलना में दस वर्षों में से लगातार तीन वर्षों के लिए पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति की शत-प्रतिशत राशि के बराबर कटौती करने की व्यवस्था है जिसका विकल्प निर्धारिती को मिलता है तथा उस मूल्यांकन वर्ष, जिसके लिए इस धारा के तहत कटौती का दावा किया गया है, के लिए संगत पिछले वर्ष में उनके व्यवसाय का कुल कारोबार सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो। यह संशोधन 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2021-22 तथा इसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। (फरवरी 2020)

xxxix. वित्त अधिनियम, 2020 विशेष व्यवसायों से संबंधित विशेष प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी में संशोधन करने के लिए है। धारा 80-आईएसी के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पात्र स्टार्टअप द्वारा दस वर्षों में से लगातार तीन वर्षों तक पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और प्राप्ति की शत-प्रतिशत राशि के बराबर कटौती करने की व्यवस्था है जिसका विकल्प निर्धारिती को मिलता है तथा उस मूल्यांकन वर्ष, जिसमें लिए गए इस धारा के तहत कटौती का दावा किया गया है, के लिए संगत पिछले वर्ष में उनके व्यवसाय का कुल कारोबार पहले के पच्चीस करोड़ रुपए के मानदंड की तुलना में सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2021-22 तथा इसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। (फरवरी 2020)

xl. वित्त विधेयक 2020 आयकर अधिनियम की धारा 156, 191 और 192 में संशोधन करने के लिए है ताकि कर्मचारी धारा 80-आईएसी में संदर्भित पात्र स्टार्टअप की धारा 17(2)(vi)के तहत रियायत के रूप में प्राप्त विशिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर प्राप्त करने, जो संगत मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस माह की समाप्ति के बाद चौदह दिन के भीतर या निर्धारिती द्वारा ऐसी विशिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर की बिक्री की तारीख से या निर्धारिती के किसी व्यक्ति के कर्मचारी के रूप में समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हो, से कटौती या भुगतान, जैसा भी मामला हो, में समर्थ हों, जो उक्त विशिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर के आबंटन या हस्तांतरण वाले वित्तीय वर्ष में लागू दरों पर आधारित होगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। पूर्ववर्ती मानदंडों के अनुसार, ईएसओपी सहित ऐसी रियायत पर कर्मचारी द्वारा विकल्प के इस्तेमाल के समय कर लगता था।

xii. वित्त विधेयक 2021 स्टार्टअप के लिए कर अवकाश का दावा करने की पात्रता अवधि को एक और वर्ष बढ़ाने का प्रावधान करता है।

xiii. वित्त वित्त विधेयक 2021 स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट का दावा करने की अवधि को एक वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रावधान करता है।

ङ आर्थिक कार्य विभाग

xliii. वित्त मंत्रालय अब गैर-सरकारी भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी निधियों को सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी i और ii वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में अपने निवेश योग्य अधिशेष के 5 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति

देता है। (मार्च 2021)

च. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

xliv. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा कंपनियों को कुछ शर्तों के अध्यधीन देश के भीतर निवेश करने वाले निधियों के कोष (एओएफ) में निवेश करने की अनुमति दी है। (अप्रैल 2021)

छ. व्यय विभाग

xlv. डीपीआईआईटी की दिनांक 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना के साथ परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल के तहत स्टार्टअप परिभाषा का सामंजस्य।

ज. श्रम और रोजगार मंत्रालय

xlvi. श्रम और रोजगार मंत्रालय अब ईपीएफओ को सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी i और ii वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ) में अपने निवेश योग्य अधिशेष का 5 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देता है। (अप्रैल 2021)

झ. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

xlvii. इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) प्रचालन दिशा-निर्देशों से धारा को हटाते हुए कहा गया है कि यदि निधि स्टार्टअप के निधियों के कोष से निकाली जाती है तो उसे ईडीएफ और इसके विपरीत नहीं निकाल सकते हैं। (नवंबर, 2018)

ञ. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

xlviii. **स्टार्टअप की परिभाषा में संशोधन :** किसी भी वित्त वर्ष के लिए किसी भी इकाई को निगमन/पंजीकरण और लेनदेन की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक एक स्टार्टअप माना जाएगा बशर्ते निगमन/पंजीकरण एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं हुआ है। (फरवरी, 2019)

xlix. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने दिनांक 21 सितंबर, 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि.646 (ई) के तहत पेटेंट नियमों में संशोधन किया। पेटेंट नियमों ने अब शैक्षणिक संस्थानों को भी पेटेंट फाइल करने और अभियोजन शुल्क को 80 प्रतिशत घटाकर उससे संबंधित लाभों को बढ़ाया है। (सितंबर 2021)

ब्लॉक चेन आधारित प्रमाणन

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 को एक ब्लॉक चेन आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन प्लेटफॉर्म शुरू किया है।

डीपीआईआईटी स्टार्टअप इंडिया मंच के माध्यम से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को प्रमाण पत्र जारी करता है। प्रत्येक प्रमाण-पत्र को एक विशिष्ट संख्या आवंटित की जाती है जिसका उपयोग प्रमाण-पत्र की सत्यता जांचने के लिए किया जा सकता है। त्वरित उपलब्धता और सत्यापन के लिए डीपीआईआईटी ने एक ब्लॉक चेन सक्षम प्रमाण-पत्र सत्यापन प्लेटफॉर्म का विकास किया है जो सार्वजनिक प्रमाण-पत्रों को सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस मंच का उपयोग सहायता अवसर प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत सूचना की सत्यता की जांच के लिए सरकारी विभागों, पीएसयू, बैंक और निवेशकों द्वारा किया जा सकता है।

इस पहल को स्टार्टअप प्रमाण-पत्रों को टैंपर प्रूफ बनाकर सुरक्षा का एक अतिरिक्त कवच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह मंच पारंपरिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाने के लिए मौजूदा सरकारी ढांचे के भीतर उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की ओर पहला कदम है। डीपीआईआईटी का दीर्घावधि दृष्टिकोण कई हितधारकों को स्टार्टअप्स द्वारा साझा ब्यौरे प्रस्तुत करने में शामिल दोहराव को दूर करने के लिए एक बहु-पक्षीय ब्लॉक चेन आधारित प्रणाली स्थापित करता है।

उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईटी) ने संकल्पना, साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार पहुंच और वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 945 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) बनाई है। यह शुरुआती चरण के स्टार्टअप को उस स्तर तक आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा जहां वे एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में सक्षम होंगे। यह स्कीम अगले चार वर्षों में 300 इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से अनुमानित 3,600 उद्यमियों की सहायता करेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी, 2021 को `` प्रारंभ'' स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में इस स्कीम की घोषणा की थी।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत इनक्यूबेटरों हेतु आवेदन मंगाने की सुविधा का 19 अप्रैल 2021 को शुभारंभ किया गया था। अब तक 41 इनक्यूबेटरों का चयन किया गया है और स्कीम के तहत अनुदान के रूप में 160 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अनुमोदित की गई है। स्टार्टअप के लिए आवेदन मंगाने की सुविधा का 19 जुलाई 2021 को शुभारंभ किया गया था। अब तक इस स्कीम के तहत 1600 से अधिक स्टार्टअप्स से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस स्कीम के संबंध में मार्गदर्शक जानकारियां निम्नानुसार हैं :-

1. प्रस्तावना

किसी उद्यम के प्रारंभिक वृद्धि चरण में उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। संकल्पना का साक्ष्य देने के बाद ही एंजेल निवेशकों और उद्यम पूंजी फर्मों से निधीयन उपलब्ध हो पाता है। इसी प्रकार, बैंक भी उन्हीं आवेदकों को ऋण देते हैं जिनके पास पहले से ही परिसम्पत्तियां होती हैं। अभिनव विचार वाले स्टार्टअप्स को प्रारंभिक निधि उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि वे अवधारणा के साक्ष्य से संबंधित परीक्षण कर सकें।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएस एफएस) का उद्देश्य अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश तथा वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे ये स्टार्टअप्स उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जहां वे एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश प्राप्त कर सकेंगे अथवा वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पात्र स्टार्टअप्स को इस सीड फंड का संवितरण भारत भर में मौजूद पात्र इन्क्यूबेटर्स के जरिए किया जाएगा।

2. आवश्यकता

भारतीय स्टार्टअप परिवेश प्रारंभिक और अवधारणा के साक्ष्य के विकास चरण में पूंजी की अपर्याप्तता से जूझता है। इस स्तर पर पूंजी की आवश्यकता अच्छे व्यावसायिक विचारों वाले स्टार्टअप्स के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा कर देती है। कई अभिनव व्यावसायिक विचार अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए प्रारंभिक चरण में पूंजी की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता के कारण असफल हो जाते हैं। ऐसे संभावनायुक्त मामलों को सीड फंड प्रदान करने का कई स्टार्टअप्स के व्यावसायिक विचारों के वैधीकरण, प्रमाणन पर बहुक्रामिक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे

रोजगार सृजन होगा।

3. पात्रता मापदंड

स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत आवेदन करने का पात्रता मापदंड निम्नानुसार निर्धारित किया गया है

3.1 स्टार्टअप्स के लिए पात्रता मानदंड

1. डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो आवेदन के समय से 2 वर्ष से ज्यादा पहले निगमित न हुआ हो
2. स्टार्टअप के पास उत्पाद या सेवा के विकास का कोई व्यावसायिक विचार हो जो बाजार के लिए उपयुक्त, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो तथा जिसमें विकास की संभावना हो
3. स्टार्टअप को लक्षित समस्या का समाधान करने के लिए अपने मूल उत्पाद या सेवा या व्यावसायिक मॉडल या वितरण मॉडल या कार्य पद्धति में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए
4. सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल ऊर्जा, आवाजाही, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस, वस्त्र आदि जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधानों का निर्माण करने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. स्टार्टअप द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से अधिक मौद्रिक सहायता प्राप्त नहीं की जानी चाहिए। इसमें प्रतियोगिताओं और बड़ी चुनौतियों से प्राप्त ईनाम की राशि, सब्सिडी वाला कार्य स्थल, संस्थापक मासिक भत्ता, प्रयोगशालाओं तक पहुंच, अथवा प्रोटोटाइपिंग सुविधा तक पहुंच शामिल नहीं है।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार, स्कीम के लिए इन्क्यूबेटर को आवेदन के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटर्स द्वारा शेयरधारिता कम से कम 51 प्रतिशत होनी चाहिए।
7. क्रमश: पैरा 8.1 (i) और 8.1 (ii) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी स्टार्टअप एक बार से अधिक प्रारंभिक सहायता प्राप्त नहीं करेगा।

3.2 इन्क्यूबेटर्स के लिए पात्रता मानदंड

इन्क्यूबेटर्स के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम में आवेदन करने का पात्रता मानदंड निम्नानुसार है :

1. इन्क्यूबेटर एक कानूनी कंपनी हो
   (क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी अथवा
   (ख) भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक न्यास, अथवा
   (ग) कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अथवा
   (घ) किसी विधायी अधिनियम के जरिए निर्मित एक सांविधिक निकाय
2. इन्क्यूबेटर स्कीम के लिए आवेदन की तारीख तक कम से कम दो वर्ष के लिए प्रचालनरत होना चाहिए।

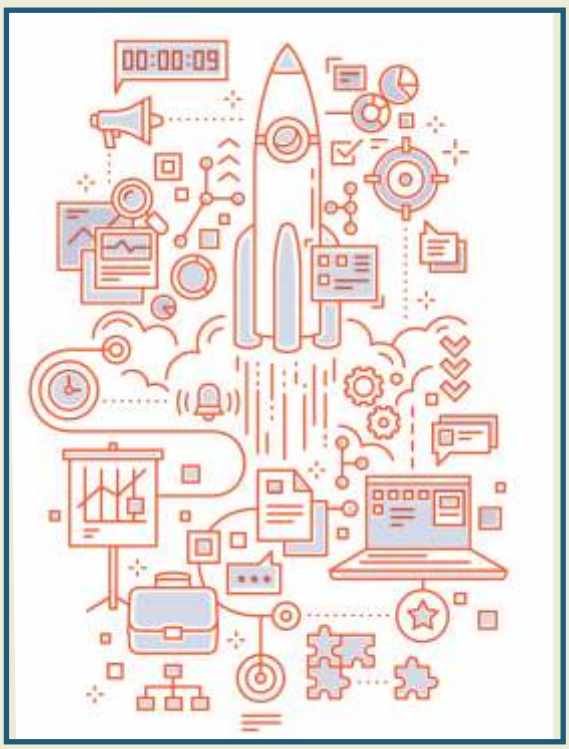

3. इन्क्यूबेटर में कम से कम 25 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो।
4. आवेदन की तारीख तक इन्क्यूबेटर में कम से कम 5 स्टार्टअप्स भौतिक रूप से इन्क्यूबेशन कर रहे हों।
5. इन्क्यूबेटर के पास व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता में अनुभवी पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जिसकी सहायता एक सक्षम टीम द्वारा की जाएगी जो परीक्षण और

विचारों के वैधीकरण में स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ वित्त, विधिक और मानव संसाधन संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी।

6. इन्क्यूबेटर को उन इन्क्यूबेटीज को प्रारंभिक निधि नहीं देनी चाहिए जो किसी तृतीय पक्षकार निजी कंपनी से निधीयन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
7. इन्क्यूबेटर को केंद्र/राज्य सरकार (सरकारों) की सहायता प्राप्त नहीं होती।
8. यदि इन्क्यूबेटर को केंद्र/राज्य सरकार (सरकारों) की सहायता प्राप्त नहीं होती
   (क) इन्क्यूबेटर कम से कम तीन वर्षों के लिए प्रचालनरत हो
   (ख) आवेदन की तारीख तक इन्क्यूबेटर में कम से कम 10 अलग-अलग स्टार्टअप्स भौतिक रूप से इन्क्यूबेशन कर रहे हों
   (ग) कम से कम दो वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें
9. विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)द्वारा निर्धारित कोई अतिरिक्त मानदंड

4. विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) :

डीपीआईआईटी द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) का गठन किया जाएगा, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। ईएसी सीड फंडस के आवंटन के लिए इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करेगी, प्रगति की निगरानी करेगी तथा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में निधि के कुशल इस्तेमाल के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

1. अध्यक्ष, प्रतिष्ठित व्यक्ति
2. वित्तीय सलाहकार, डीपीआईआईटी अथवा उनके प्रतिनिधि
3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक/उप-सचिव, डीपीआईआईटी (संयोजक)
4. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के प्रतिनिधि
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रतिनिधि
6. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के प्रतिनिधि
7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के प्रतिनिधि
8. नीति आयोग के प्रतिनिधि
9. सचिव, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप परिवेश, निवेशकों, आरएंडडी विषय में विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण, उद्यमशीलता तथा अन्य संगत विषयों में नामित कम से कम तीन विशेषज्ञ।

5. इंक्यूबेटर्स को सहायता के लिए दिशानिर्देश

5.1. विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) अनुदान सहायता हेतु इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन करेगी। चुने गए इन्क्यूबेटर को उपलब्धि आधारित तीन (या) और तीन से अधिक किस्तों में 5 (पांच) करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक इन्क्यूबेटर के लिए अनुदान की मात्रा और किस्तो की सही मात्रा का निर्णय विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) अपने मूल्यांकन के आधार पर करेगी।

5.2. इन्क्यूबेटर्स केवल पात्र स्टार्टअप्स को संवितरण के लिए अनुदान का इस्तेमाल करेंगे और अनुदान का इस्तेमाल सुविधा निर्माण या किसी अन्य खर्च के लिए नहीं किया जाएगा।

5.3. इन्क्यूबेटर को सीड फंड अनुदान के 5 प्रतिशत की दर से प्रबंधन शुल्क के घटक का प्रावधान किया गया है (अर्थात यदि किसी इन्क्यूबेटर को एक करोड़ रु. का सीड फंड दिया जाता है, तो 5 प्रतिशत की दर से प्रबंधन शुल्क को मिलाकर कुल सहायता 1.050 करोड़ रु. होगी)।

5.4. इन्क्यूबेटर्स को दिए जाने वाले प्रबंधन शुल्क का इस्तेमाल इन्क्यूबेटर्स द्वारा सुविधा निर्माण या किसी अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए नहीं किया जाएगा। प्रबंधन शुल्क का इस्तेमाल प्रशासनिक व्यय, चयन और स्टार्टअप्स की सम्यक तत्परता, तथा लाभार्थी स्टार्टअप की प्रगति की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

5.5. इन्क्यूबेटर्स द्वारा उपलब्धि की प्राप्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उन्हें किस्त जारी की जाएगी, जैसा कि ईएसी से निर्णय लिया हो। प्रत्येक किस्त के साथ आनुपातिक प्रबंधन शुल्क भी जारी किया जाएगा।

5.6. पहली किस्त कुल अनुमोदित प्रतिबद्धता के 40 प्रतिशत तक हो सकती है। जब इन्क्यूबेटर के पास उपलब्ध नकदी ईएसी द्वारा कुल प्रतिबद्धता के 10 प्रतिशत से नीचे चली जाती है, तो इन्क्यूबेटर अगली किस्त के लिए अनुरोध कर सकता है, जो उपलब्धि की प्राप्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर जारी की जाएगी।

5.7. इन्क्यूबेटर को निधि की पहली किस्त की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुदान का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।

5.8. यदि इन्क्यूबेटर ने पहले दो वर्षों के भीतर कुल प्रतिबद्धता का कम से कम 50 प्रतिशत इस्तेमाल नहीं किया तो इन्क्यूबेटर आगे की किस्त के लिए पात्र नहीं होगा। वह ब्याज सहित सारी अप्रयुक्त निधि को लौटाएगा।

5.9. इन्क्यूबेटर्स के पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधि पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखा जाएगा तथा अगली किस्त के समय समायोजित किया जाएगा।

5.10. लाभार्थियों को वित्त पोषण कुशलता और सावधानी से किया जाएगा। चुने गए इन्क्यूबेटर सीड फंड के उचित प्रबंधन और संवितरण के लिए जिम्मेदार होंगे।

5.11. चयनित इन्क्यूबेटर चयन, निगरानी और निधि के संवितरण तंत्र की पारदर्शी प्रक्रिया को बनाए रखेगा। इन्क्यूबेटर द्वारा यथोचित सावधानी के बाद चुने गए स्टार्टअप्स को सीड फंड प्रदान किया जाएगा।

5.12. इन्क्यूबेटर्स, नियमित कार्य संचालन, परीक्षण हेतु सहायता और विचारों के वैधीकरण, प्रोटोटाइप या उत्पाद विकास या वाणिज्यीकरण, के लिए मार्गदर्शन तथा वित्त, मानव संसाधन, कानूनी अनुपालन, तथा अन्य कार्यों के लिए, चुने गए स्टार्टअप्स को भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह भी उम्मीद है कि वे निवेशकों के साथ संपर्क सुविधा तथा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराएंगे। यदि चुने गए स्टार्टअप्स इन्क्यूबेटर की भौतिक अवसंरचना का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इन्क्यूबेटर स्टार्टअप्स को सभी अन्य संसाधन व सेवाएं प्रदान करेंगे।

5.13. इन्क्यूबेटर द्वारा इस स्कीम के तहत सहायता हेतु चुने गए स्टार्टअप से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

6. इन्क्यूबेटर का चयन

6.1 इस स्कीम में भागीदारी के लिए भारत भर के इन्क्यूबेटर्स से https://www.startupindia.gov.in पर अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्धारित किसी अन्य प्लेफार्म पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर इन्क्यूबेटर्स का चयन किया जाएगा :

क. पात्रता मानदंड का पूरा होना

ख. इन्क्यूबेटर टीम की गुणवत्ता

ग. उपलब्ध अवसंरचना, परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि

घ. आईएमएमसी की संरचना (जैसा कि पैरा 7 में बताया गया है)

इ. पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्क्यूबेटर द्वारा प्रदान की गई इन्क्यूबेशन सहायता

- इन्क्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स की संख्या
- विकास करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या अर्थात व्यवसाय विकास चक्र के एक चरण से अगले चरण तक प्रगति
- उन स्टार्टअप्स की संख्या जिन्होंने बाद में निवेश प्राप्त किया
- उन स्टार्टअप्स की संख्या जिन्होंने विगत एक वर्ष में एक करोड़ रु. से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया
- इन्क्यूबेटर के साथ जुड़ने की तारीख से स्टार्टअप की दो वर्ष तक बने रहने की दर

च. विगत तीन वर्षों में इन्क्यूबेटीज को विस्तारित निधीयन की सहायता :

- इन्क्यूबेटर और स्टार्टअप्स के बीच हस्ताक्षरित निवेश करार
- निवेशित स्टार्टअप्स की संख्या
- इन्क्यूबेटीज को आवंटित कुल कॉर्पस
- इन्क्यूबेटीज द्वारा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त कुल निवेश

छ. पिछले तीन वर्षों में इन्क्यूबेटीज को दिया गया मार्गदर्शन

- नियुक्त मार्गदर्शकों की संख्या
- प्रति स्टार्टअप प्रति माह आवंटित औसत मार्गदर्शन घंटे
- इन्क्यूबेटीज द्वारा पंजीकृत आईपी (पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन और व्यापार चिह्न) की संख्या

ज. पिछले तीन वर्षों में इन्क्यूबेटीज को प्रदान की गई अन्य सहायता –

- उद्योग/कॉर्पोरेट संपर्क
- हितधारकों को जोड़ने के लिए आयोजित कार्यक्रम
- अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी

झ. उन स्टार्टअप्स की संख्या जिन्हें इन्क्यूबेटर सहायता देने का इच्छुक है।

ञ. समय-सीमा सहित निधि परिनियोजन योजना के साथ निधि की मात्रा जिसके लिए आवेदन किया गया है।

ट. कोई अन्य संगत मापदंड जिनका निर्णय ईएसी द्वारा किया गया हो

6.2 इन्क्यूबेटर्स के लिए आवेदन आमंत्रित करने की ऑनलाइन सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध होगी।

6.3 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की बैठक तीन

क्र	मानदंड	विवरण	भारिता (%)
1.	क्या इस विचार की आवश्यकता है ?	बाजार का आकार, यह किस बाजार अंतर को भर रहा है, क्या यह वास्तविक विश्व की समस्या का समाधान करता है ?	पी
2.	व्यावहार्यता	तकनीकी दावों की व्यवहार्यता तथा तर्कसंगतता, पीओसी तथा वैधीकरण के लिए प्रयुक्त/प्रयोग की जाने वाली पद्धति, उत्पाद विकास की रूपरेखा	क्यू
3.	संभावित प्रभाव	उपभोक्ता की जनसांख्यिकी तथा इन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, राष्ट्रीय महत्व (यदि कोई हो)	आर
4.	नोवेल्टी	प्रौद्योगिकी, संबद्ध आईपी की विशेषता/यूएसपी	एस
5.	टीम	टीम की ताकत, तकनीकी और व्यावसायिक विशेषता	टी
6.	निधि के इस्तेमाल	राशि के इस्तेमाल की रूपरेखा की योजना	यू
7.	अतिरिक्त मानदंड	इन्क्यूबेटर द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई अतिरिक्त मानदंड	वी
8.	प्रस्तुतीकरण	समग्र आकलन	डब्ल्यू
			100%
मानदंड के लिए भारिता (पी,क्यू,आर,एस,टी,यू,वी,डब्ल्यू) प्रत्येक इन्क्यूबेटर द्वारा अलग-अलग तय की जा सकती है।			

महीने में कम से कम एक बार निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाएगी:

1. इस अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करना
2. स्कीम के तहत निधि के लिए इन्क्यूबेटर का चयन
3. निधि की कुल राशि का निर्णय करना तथा किस्तों की संख्या जिसमें यह प्रत्येक इन्क्यूबेटर को आवंटित की जानी है
4. किस्तें जारी करने के लिए प्रत्येक इन्क्यूबेटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां निर्धारित करना

6.4 ईएसी इस स्कीम के तहत स्वीकृत निधि की तुलना में इन्क्यूबेटर की प्रगति की निगरानी भी करेगी तथा यथा अपेक्षित कार्रवाई करेगी

6.5 ईएसी स्कीम के तहत इन्क्यूबेटर्स के चयन के लिए समय-समय पर बेहतर दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है।

7. स्टार्टअप्स का चयन

7.1 स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक इन्क्यूबेटर इन्क्यूबेटर सीड प्रबंध समिति (आईएसएमसी) नामक समिति का गठन करेगा जिसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे जो प्रारंभिक/सीड सहायता के लिए स्टार्टअप्स का मूल्यांकन और चयन कर सकते हैं। आईएसएमसी की संरचना निम्नानुसार होगी :

i. इन्क्यूबेटर का नामिति (अध्यक्ष)
ii. राज्य सरकार की स्टार्टअप नोडल टीम का प्रतिनिधि
iii. उद्यम पूंजी निधि या एंजेल नेटवर्क का प्रतिनिधि
i1. उद्योग का क्षेत्र विशेषज्ञ
V. शिक्षा जगत का विषय विशेषज्ञ
Vi. दो सफल उद्यमी
Vii. कोई अन्य संगत हितधारक

प्रत्येक इन्क्यूबेटर की आईएसएमसी की अंतिम संरचना और सदस्यों को ईएसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा यह इन्क्यूबेटर्स के चयन के लिए महत्वपूर्ण मापदंड होगा।

7.2 स्टार्टअप्स का चयन खुली, पारदर्शी और उचित प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :

i. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर निरंतर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
ii. आवेदन इस स्कीम के लिए संवितरण भागीदार के रूप में चुने गए किन्हीं तीन इन्क्यूबेटर्स से उनकी प्राथमिकता के क्रम में सीड फंड के लिए आवेदन कर सकते हैं
iii. सभी प्राप्त आवेदनों को आगे के मूल्यांकन के लिए संबंधित इन्क्यूबेटर्स के साथ ऑनलाइन रूप में साझा किया जाएगा
iv. आवेदक से टीम का ब्यौरा, समस्या संबंधी विवरण, उत्पाद/सेवा अवलोकन, व्यावसायिक मॉडल, उपभोक्ता ब्यौरे, बाजार के आकार, आवश्यक निधि की मात्रा, निधि की अनुमानित उपयोग योजना आदि का विवरण देने को कहा जा सकता है। इन्क्यूबेटर पैरा 3.1 में दिए गए पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदकों को चुनेगा।

v. आईएसएमसी द्वारा बॉक्स में दिए गए मानदंड के अनुसार पात्र आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

vi. इन्क्यूबेटर आईएसएमसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए आवेदकों के मूल्यांकन के आधार पर उनका चयन कर सकता है।

vii. आईएसएमसी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा प्रस्तुतीकरण के आधार पर आवेदकों का मूल्यांकन करेगा और आवेदन की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर सीड फंड के लिए स्टार्टअप का चयन करेगा।

viii. सभी इन्क्यूबेटर स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर वास्तविक समय आधार पर स्टार्टप्स के मूल्यांकन की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

ix. चुने गए स्टार्टअप्स संबंधित इन्क्यूबेटर के तहत प्रारंभिक निधियन प्राप्त करेंगे जो आवेदन के दौरान साझा की गई उनकी प्राथमिकता के अनुसार उनका लाभार्थी के रूप में चयन करता है (उदारहण के लिए, यदि प्राथमिकता 1 और प्राथमिकता 2 पर मौजूद इन्क्यूबेटर्स ने एक स्टार्टअप का चयन करता है, तो प्राथमिकता 1 इन्क्यूबेटर द्वारा निधीयन किया जाएगा। यदि प्राथमिकता 1 इन्क्यूबेटर अस्वीकार करता है तो प्राथमिकता 2 पर स्थित इन्क्यूबेटर द्वारा निधीयन किया जाएगा तथा यह क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा)

3. सभी आवेदक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर वास्तविक समय आधार पर अपने आवेदन की प्रगति का पता लगा सकेंगे

3i. जिन आवेदकों को अस्वीकार किया जाएगा उन्हें भी ई-मेल के जरिए सूचित किया जाएगा

xii. एक बार अस्वीकार होने के बाद आवेदक नया आवेदन दायर कर सकते हैं

7.3 ईएसी स्कीम के तहत इन्क्यूबेटर्स के चयन के लिए समय-समय पर बेहतर दिशानिर्देश बना सकती है

8. इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स को सीड फंड के संवितरण के लिए दिशानिर्देश

8.1 इन्क्यूबेटर्स द्वारा पात्र स्टार्टअप्स को निम्नानुसार सीड फंड संवितरण किया जाएगा :

1. अवधारणा के साक्ष्य के वैधीकरण अथवा प्रोटोटाइप विकास अथवा उत्पाद परीक्षण के लिए अनुदान के रूप में 20 लाख रु. तक। यह अनुदान उपलब्धि आधारित किस्तों में संवितरित किया जाएगा। ये उपलब्धियां प्रोटोटाइप के विकास, उत्पादन, परीक्षण, बाजार में उतारने के लिए तैयार उत्पाद के विनिर्माण आदि से जोड़ी जा सकती हैं।

2. बाजार में प्रवेश, वाणिज्यीकरण, अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा ऋण अथवा ऋण-संबंधी साधनों के जरिए वृद्धि के लिए 50 लाख रुपए तक

3. स्टार्टअप द्वारा सीड फंड का इस्तेमाल किसी सुविधा के निर्माण के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और इसका इस्तेमाल केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह प्रदान किया गया है

8.2 इन्क्यूबेटर को दिए गए कुल अनुदान की 20 प्रतिशत से अधिक राशि इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप को अनुदान के रूप में नहीं दी जाएगी। इन्क्यूबेटर के पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधि पर ब्याज की दर (जीएफआर के तहत यथा परिभाषित) को ध्यान में रखा जाएगा और डीपीआईआईटी द्वारा अगली राशि जारी करते समय समायोजित किया जाएगा।

8.3 परिवर्तनीय ऋणपत्रों, अथवा ऋण-संबंधी साधनों के जरिए स्टार्टअप की सहायता के लिए निधि ऐसी ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो मौजूदा रेपो दर से अधिक न हो। इन्क्यूबेटर द्वारा ऋण मंजूर करते समय कार्यकाल तय किया जाना चाहिए, जो 60 महीने (5 वर्ष) से अधिक नहीं होगा। स्टार्टअप के लिए 12 महीने की ऋण स्थगन अवधि उपलब्ध कराई जा सकती है। स्टार्टअप की प्रारंभिक अवस्था के कारण, यह अप्रतिभूत होगा और प्रोमोटर या तृतीय पक्षकार से कोई गारंटी अपेक्षित नहीं होगी

8.4 इन्क्यूबेटर पहली किस्त जारी करने से पहले चुने गए स्टार्टअप्स के साथ कानूनी करार लागू करेगा। इन्क्यूबेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीड फंड से संबंधित आवश्यक निबंधन एवं शर्तें, जिनमें उपलब्धियां भी शामिल हैं, करार में स्पष्ट रूप से बताई जाएं।

8.5 बाद में किया जाने वाला संवितरण, स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर के बीच करार के अनुसार पूर्व-निर्धारित उपलब्धियों की प्राप्ति से संबद्ध होगा।

8.6 स्टार्टअप को उनकी कंपनी के बैंक खाते में निधि प्राप्त होगी

8.7 अनुदान के लिए, चुने गए स्टार्टअप को पहली किस्त स्टार्टअप से आवेदन प्राप्त होने से 60 दिन के भीतर जारी की जाएगी। स्टार्टअप को अनुदान की आगे की किस्त प्राप्त करने के लिए अंतरिम प्रगति संबंधी अद्यतन स्थिति और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.8 स्टार्टअप परियोजना अवधि की समाप्ति पर अंतिम रिपोर्ट और लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। असफल उद्यम के संबंध में, उद्यमी अपनी सीख और

असफलता के कारणों का रिपोर्ट में उल्लेख करेगा/करेगी और निधि की राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इसे प्रस्तुत करेगा/करेगी।

8.9 इन्क्यूबेटर अथवा इसका कोई कर्मचारी चयन, संवितरण, इन्क्यूबेशन या निगरानी की किसी भी प्रक्रिया के लिए स्कीम के तहत आवेदकों या लाभार्थियों से नकद अथवा सामान के रूप में कोई भी शुल्क वसूल नहीं करेगा

8.10आवेदकों की समस्याओं, जैसे आवेदनों का देरी से मूल्यांकन, इन्क्यूबेटर द्वारा देरी से संवितरण आदि के समाधान के लिए डीपीआईआईटी स्कीम हेतु एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करेगा।

9. लेखांकन और निधि की उपयोगिता

9.1 इन्क्यूबेटर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग, परियोजना विशिष्ट ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) रखेगा। इस स्कीम के तहत निधि उपलब्धि के आधार पर तीन (अथवा) अधिक किस्तों में इसी खाते में जारी की जाएगी।

9.2 लाभार्थी स्टार्टअप से प्राप्त किसी निवल प्रतिफल का इस्तेमाल इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टार्टअप्स की और सहायता करने के लिए किया जा सकता है (निवल प्रतिफल में मूलधन, ब्याज और लाभ शामिल होगा)। यदि तीन वर्ष तक इस राशि का इस्तेमाल स्टार्टअप्स के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाता है तो यह डीपीआईआईटी के पास वापस आ जाएगी

9.3 प्रत्येक इन्क्यूबेटर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत, प्राप्त निधि और प्रत्येक स्टार्टअप को संवितरित निधि की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी

10. सफल कार्यान्वयन के संकेतक

10. 1इन्क्यूबेटर्स को सभी लाभार्थी स्टार्टअप्स के लिए निम्नलिखित का पता लगाना होगा और रिकॉर्ड रखना होगा

1. अवधारणा के साक्ष्य की प्रगति
2. प्रोटोटाइप विकास की प्रगति
3. उत्पाद विकास की प्रगति
4. वास्तविक परीक्षण की प्रगति
5. बाजार में शुरुआत की प्रगति
6. प्राप्त किए गए ऋण, एंजेल अथवा वीसी निधीयन की मात्रा
7. स्टार्टअप द्वारा नौकरियों का सृजन
8. स्टार्टअप का उत्पादन
9. कोई अन्य उपयुक्त मानदंड

10.2 चुने गए स्टार्टअप्स सभी प्रगति रिपोर्टों में इन्क्यूबेटर को उपर्युक्त मानदंडों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे

10.3 इन्क्यूबेटर अपने ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए उपर्युक्त जानकारी तथा परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा ऋण साधनों (यदि कोई हो) के लिए निवेश संबंधी प्रतिफल स्टार्टअप इंडिया को वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध कराएंगे और तिमाही आधार पर इसे ईएसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

10.4 डीपीआईआईटी वर्ष 2024-25 के अंत तक एसआईएसएफएस के परिणामों का, विशेष रूप से एसआईएसएफएस की परिणामस्वरूप वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक प्रतिफल के संदर्भ में मूल्यांकन करेगा। यह उपर्युक्त मानदंडों पर स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स द्वारा साझा की गई जानकारी का विश्लेषण करके किया जाएगा।

10.5 यह स्पष्ट ही है कि प्रत्येक स्टार्टअप सफल नहीं हो सकता

11. सीड फंड के लिए दोबारा इन्क्यूबेटर आवेदक

यदि किसी इन्क्यूबेटर ने पहले जारी किए गए समस्त अनुदान को संवितरित अथवा प्रतिबद्ध कर दिया है तो वह इस स्कीम के तहत निधि के लिए पुन: आवेदन कर सकता है

12. प्रगति की निगरानी

12.1 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) इस स्कीम के तहत चुने गए इन्क्यूबेटर्स के साथ स्कीम की प्रगति की समीक्षा करेगी

12.2 इन्क्यूबेटर्स वस्तुपरक मूल्यांकन के लिए ईएसी द्वारा यथा निर्देशित रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे

12.3 चुने गए किसी इन्क्यूबेटर के खराब कार्यनिष्पादन के मामले में, ईएसी इन्क्यूबेटर को सीड फंड सहायता रोकने तथा आगे यथा अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्णय ले सकती है

12.4 यदि चुना गया इन्क्यूबेटर उस प्रयोजन, जिसके लिए उसे अनुदान दिया गया है, को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुदान का इस्तेमाल करता है तो उसके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्टार्टअप के लिए देश में उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं

भारत में स्टार्टअप के पनपने, फूलने और फलने लायक उर्वर माहौल बनाने के लिए सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं। इनके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के द्वारा देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में दो दिसंबर 2021 तक 59,593 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। वहीं प्रति स्टार्टअप 11 कर्मचारियों की औसत संख्या के साथ 57 हजार से अधिक स्टार्टअप्स द्वारा 6.4 लाख से अधिक रोजगार की सूचना दी गई है। 46 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है। अब, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास समर्पित स्टार्टअप नीति है। केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं प्रवर्धन हेतु कुछ पहलें शुरू की गई हैं, जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :-

निधियों का कोष : स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में 10 हजार करोड़ रुपए के कॉर्पस से स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) बनाया है। यह एफएफएस विभिन्न स्टार्टअप्स की इक्विटी और इक्विटी संबद्ध साधनों में निवेश करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के कॉर्पस में अंशदान करेगा। एफएसएस को सिडबी द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसके प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 27, अक्टूबर 2021 तक सिडबी ने 75 एआईएफ के लिए 5,894 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की है। 517 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कुल 7,381 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद में छूट की सुविधा : सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद में भागीदारी हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बोली प्रतिभूति/बयाना राशि जमा करने और कारोबार और पूर्व अनुभव में छूट दी गई है। सरकारी खरीददारों के लिए उत्पादों और सेवाओं की बिक्री हेतु स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित कॉर्नर के रूप में जोन स्टार्टअप रनवे आरंभ किया गया है। एक दिसंबर, 2021 तक 11,837 स्टार्टअप्स को इस जोन पर लाया गया, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों से कुल 4,795 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 1,00,982 ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

कम लागत पर कानूनी सहायता और फास्ट-ट्रैकिंग पेटेंट जांच : स्टार्टअप्स पेटेंट दायर करने के शुल्क में 80 प्रतिशत छूट और ट्रेडमार्क दायर करने के शुल्क में 50 प्रतिशत छूट पाने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप्स पेटेंट प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए पेटेंट आवेदनों की शीघ्र जांच करने की भी सुविधा प्रदान करता है। स्टार्टअप्स को नि:शुल्क सेवा प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा अधिकार (एसआईपीपी) को सुविधाजनक बनाने हेतु स्कीम के तहत अक्टूबर 2021 की स्थिति के अनुसार 510 पेटेंट सुविधा प्रदाताओं और 392 ट्रेडमार्क सुविधा प्रदाताओं को सूची में शामिल किया गया है। 31 अक्टूबर, 2021 की स्थिति के अनुसार 5695 पेटेंट आवेदनों को दायर किया गया है। स्टार्टअप्स द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों में 1629 आवेदनों की त्वरित जांच की गई, इनमें से 1515 आवेदनों हेतु एफईआर (प्रथम जांच रिपोर्ट) जारी की गई और 740 पेटेंट किए गए। इनमें से 19456 ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए गए हैं। 9335 ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए हैं। 2182 स्वीकृत किए गए हैं। 650 को अस्वीकृत/वापस/छोड़ दिया गया है और 584 जांच के अधीन हैं।

स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन प्रणाली/व्यवस्था : स्टार्टअप्स पर विनियामक बोझ कम करने के लिए पर्यावरण और श्रम कानूनों से संबंधित अनुपालन मानदंडों में ढील दी गई है, जिससे उन्हें अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान देने और अनुपालन लागत कम करने की अनुमति मिल जाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) ने श्वेत श्रेणी के 36 उद्योगों की एक सूची प्रकाशित की है। श्वेत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले स्टार्टअप्स निम्नलिखित तीन पर्यावरण अधिनियमों के संबंध में अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने में सक्षम होंगे -

i. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
ii. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) गैस (संशोधित) अधिनियम, 2003
iii. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

इसके अतिरिक्त श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अंतर्गत स्टार्टअप्स को 6 श्रम कानूनों के संबंध में अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति दी जाएगी। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहमति के बाद ये अधिनियम प्रभावी हैं -

i. भवन व अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तें

का विनियमन) अधिनियम, 1996

ii. अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979

iii. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

iv. संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

v. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

vi. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

इस संबंध में 15 राज्यों द्वारा पांच वर्ष के लिए स्व-प्रमाणन सलाह का अनुपालन किया गया है और 12 राज्यों द्वारा तीन वर्ष के लिए सलाह का अनुपालन किया गया है। 9 राज्यों ने अपने पोर्टलों को श्रम सुविधा पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है। 169 स्टार्टअप्स ने स्व-प्रमाणन का लाभ उठाया है। स्व-प्रमाणन करने वाले 64 स्टार्टअप्स की एक सूची श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। 36 श्वेत श्रेणी के उद्योगों को स्व-प्रमाणन का लाभ प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया गया है।

इनक्यूबेटर और टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना : अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) ने अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए देश भर में 86 इनक्यूबेटरों का चयन किया है और 68 इनक्यूबेटर्स को लगभग 201 करोड़ रुपए पहले ही संवितरित कर दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में और इनक्यूबेटर्स द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अटल इनक्यूबेशन सेंटर/संस्थापित इनक्यूबेशन केंद्रों में 1,250 से अधिक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया गया है जिनमें से लगभग 500 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं। व्यवसाय को टिकाऊ बनाने के लिए 144 से अधिक एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है और एआईएम द्वारा प्रदत्त 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के आधार पर अन्य स्त्रोतों से 62 करोड़ रुपए से अधिक की प्रारंभिक निधि एकत्र की गई है। अटल इनक्यूबेशन सेंटर/संस्थापित इनक्यूबेशन केंद्र में इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स द्वारा 13,800 से अधिक रोजगार सृजन किया गया है। स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर/स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा एक हजार से अधिक मार्गदर्शकों को शामिल किया गया है। अटल इनक्यूबेशन सेंटर /स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर के इस नेटवर्क द्वारा 2,200 से अधिक कार्यक्रम और 700 प्रशिक्षण कराए जाने की सूचना दी गई है।

फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के लिए देशभर के 14,916 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिनमें से 4,875 विद्यालयों में प्रत्येक को 12 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है और वे प्रचालनरत हैं।

जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा : प्रोत्साहन और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पूरे भारत के अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जैव उद्यमिता, जैव क्लस्टर, जैव इनक्यूबेटर्स, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय और जैव कनेक्ट कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को सीड फंड और इक्विटी निधि सहायता भी प्रदान की जाती है।

1. डीबीटी-बीआईआरएसी ने एक हजार से अधिक स्टार्टअप्स, उद्यमियों और एसएमई को सहायता की है।
2. भारतीय बॉयोटेक स्टार्टअप्स की कुल संख्या 3325 है।
3. 75 से अधिक स्टार्टअप्स द्वारा भागीदारी से 350 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं।
4. 130 से अधिक उत्पाद और प्रौद्योगिकियां।
5. भारत भर में 48 बॉयो-इनक्यूबेटर उभरते उद्यमियों के लिए 523449 वर्ग फुट का एक इनक्यूबेशन स्थल बना रहे हैं। 650 इनक्यूबेटर्स को सहायता दी गई है।
6. सीड फंड पार्टनर्स के रूप में 16 बॉयोनेस्ट इनक्यूबेटर्स लगाए गए जो 40 से अधिक स्टार्टअप्स की सहायता कर रहे हैं।
7. लीप फंड पार्टनर्स के रूप में 6 बॉयोनेस्ट इनक्यूबेटर्स लगाए गए जो 10 स्टार्टअप्स की सहायता कर रहे हैं।
8. जैव प्रौद्योगिकी नवप्रयोग के तहत 150 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की गई- एसीई (एक्ससीलरेटिंग एंटरप्रेन्योर्स) निधि से अब तक 27 कंपनियों की सहायता की गई है।
9. चार जैव क्लस्टर (एनसीआर, कल्याणी, बंगलौर और पुणे)।
10. 4 बीआईआरएसी क्षेत्रीय केंद्र।
11. 5 बॉयो-कनेक्ट कार्यालय स्थापित किए गए हैं।
12. बीआईआरएसी बायोनेस्ट बायो-इनक्यूबेटर्स में 5 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

शिक्षण और विकास कार्यक्रम

चार सप्ताह का एक प्रशिक्षण और विकास पाठ्यक्रम : स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जो स्टार्टअप और आकांक्षी उद्यमियों को उनकी उद्यम यात्रा के विभिन्न चरणों में शिक्षित करने के लिए 7 विषयों को कवर करता है। 30 नवंबर, 2021 तक 3,11,709 से अधिक आकांक्षी उद्यमियों द्वारा पाठ्यक्रम का उपयोग किया गया है।

घर बनाने को आसान कर रहा
मध्यप्रदेश का स्टार्ट-अप

मेक माय हाउस डॉट कॉम

देश के टॉप 25 स्टार्ट-अप में बनाई जगह

आमतौर पर अगर हम घर बनाने की सोचते हैं तो भवन निर्माण से जुड़े कई विशेषज्ञों की जरूरत होती है लेकिन आज बाजार में इस क्षेत्र में कई स्टार्ट-अप बेहतरीन काम कर रहे हैं जो लोगों की कई समस्याओं का हल खोजने में लगे हुए हैं। इंदौर में मेक माय हाउस डॉट कॉम नाम का स्टार्टअप एक इसी तरह का स्टार्ट-अप है जो इस क्षेत्र से जुड़े तमाम पेशेवर लोगों को उन मालिकों से जोड़ने का काम कर रहा है जो भवन निर्माण की योजना पर काम कर रहे हैं। यह स्टार्ट-अप, नए निर्माण की योजना बना रहे विभिन्न प्रोजेक्ट मालिकों का देशभर के आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स से सीधा संवाद कराता है, साथ ही प्रोजेक्ट्स से जुड़ी जरूरतों को इस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने की सुविधा भी देता है।

पिता कंस्ट्रक्शन से जुड़े, खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2016 में नया सफर शुरू

2016 में हुसैन जौहर और मुस्तफा जौहर द्वारा स्थापित मेक माय हाउस डॉट कॉम आपके सपनों के घर को सच में बदलने के लिए आज बाजार में लोकप्रिय हो चुका है। हुसैन जौहर कहते हैं परिवार के लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे थे तो हमने भी सोचा कुछ हटकर इसी क्षेत्र में कुछ बेहतर किया जाए। हम ऑनलाइन माध्यम से कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशनल पार्ट को लेकर आए। इंदौर के आसपास आर्किटेक्ट की पहुंच नहीं थी लिहाजा हमने इसकी पहुंच बनाने के लिए ऑनलाइन प्रमोशन करने की ठानी। उस समय हमारे जेहन में ये आईडिया था लोग अपनी जरूरतों के सामान को ऑनलाइन बड़ी संख्या में मंगवा रहे हैं। इसे देखते हुए हमने तकनीक से जुड़कर सीधे लोगों तक पहुंचने की कोशिशें शुरू की। इसी का परिणाम है आज बड़ी संख्या में लोग इस स्टार्ट-अप की सेवाओं का लाभ उठाते दिख रहे हैं।

डिजाइनिंग हमारे लिए एक जूनून

अपने अभी तक के सफर के बारे में बात करते हुए हुसैन जौहर, संस्थापक, मेक माय हॉऊस डॉट कॉम कहते हैं डिजाइनिंग में हमारे जूनून और बाजार में इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों की कमियों ने हमें मेक माय हाउस डॉट कॉम की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। आज हम 500 प्रोजेक्ट प्रतिमाह कर रहे हैं जिसमें हमारे

पास एक बड़ी टीम काम कर रही है। दो लोगों की टीम से शुरू हुआ हमारा सफर आज दो सौ कर्मचारियों तक जा पहुंचा है। आज हमारे साथ दस हजार से अधिक लोग जुड़े हैं जिनके माध्यम से प्रोजेक्ट मालिक अपनी पसंद की योजना को चुन सकते हैं। भारत में कंस्ट्रक्शन उद्योग के लिए अच्छे डिजाइनिंग और कांन्ट्रैक्टर को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है लेकिन हमारे इस स्टार्ट-अप ने आज लोगों की तमाम समस्याओं को खत्म कर दिया है। आज हमारे स्टार्ट-अप ने 15 हजार प्रोजेक्ट पूरे कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

दुबई में भारत को रिप्रेजेंट कर मिली खुशी

हुसैन जौहर कहते हैं हमारा ये स्टार्ट-अप देश में टॉप 25 स्टार्ट-अप में जगह बनाने में कामयाब रहा है और उन्हें इस बात की खुशी है कि दुबई में उन्हें एक स्टार्ट-अप समिट में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इन्दौर में उन्हें इस समारोह में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में प्रमोट हुआ है जिस कारण वो बहुत खुश हैं।

भविष्य की योजनाएं

हुसैर जौहर कहते हैं आज वो दो हजार से अधिक शहरों में काम कर रहे हैं लेकिन अब उनकी योजना मध्य प्रदेश के तीन हजार गांवों में सहयोगी कार्यक्रम शुरू करने की है। हम इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम भी शुरू करने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमने 45 मिलियन का शानदार टर्नओवर हासिल कर अपने बढ़ते कदमों के बोलते निशान छोड़े हैं। तेजी से बढ़ते इस बड़े बाजार में अभी शहरों के साथ गांवों में भी अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं जिस पर काम करने के लिए वो एक बड़ी कार्ययोजना तैयार करने पर विचार कर रहे हैं।

स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने की सरकार की नीति सराहनीय

हुसैन जौहर कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्ट-अप को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं, इससे युवाओं को काफी लाभ मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर को स्टार्ट-अप राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसकी हम सराहना करते हैं।

क्लाउड एकाउंटिंग के आइडिया से किया स्टार्ट-अप, आज विदेशों से हो रही करोड़ों की कमाई

450 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार

मध्यप्रदेश सरकार अपनी सरल और सुगम स्टार्टअप नीति के जरिए युवाओं के रोजगारपरक और नए बिजनेस आइडियाज को पंख दे रही हैं। स्टार्ट-अप नीति के तहत प्रदेश के कई लोगों ने अपने नए आइडियाज को सफल बिजनेस में बदला है। ऐसा ही सफल स्टार्ट-अप का उदाहरण है इंदौर की शानू मेहता जो अपने पति अंकित मेहता के साथ यह कंपनी चलाती हैं। पिछले कुछ सालों की मेहनत और मध्यप्रदेश की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत मिली रियायत और मदद के चलते आज कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक है। 11 साल पहले दोनों ने फिनटेक के क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, उनके जोश, जज्बा जूनून के चलते आज कंपनी इस मकाम पर है कि एमएमसी कन्वर्ट का नाम अमेरिका की टॉप 500 कम्पनीज में 245 नंबर पर है।

500 करोड़ और 500 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने वाली इस कंपनी की शुरू होने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। शानू मेहता बताती हैं कि उनके पति चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। दोनों 2009 में न्यूजीलैंड घूमने गए थे वहां सफर के दौरान एक व्यक्ति अपनी कंपनी की एकाउंटिंग की किसी समस्या से परेशान होकर फोन पर अपने दफ्तर के लोगों से बात कर रहा था। समस्या न सुलझती देख उनके पति ने समस्या का हल बताया जो काम कर गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने उन्हें जॉब ऑफर करते हुए सॉफ्टवेयर बनाकर फाइनेंस की समस्याओं को

सुलझाने की बात कही। शानू और उनके पति को आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने यह काम इंडिया में आकर करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने काम शुरू किया और आज उनकी कंपनी ग्लोबल लिस्टेड कंपनी है, जो अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्पनीज में भी शामिल है।

कंपनी की को-फाउंडर शानू मेहता कहती हैं, फिनटेक का नाम अब भी भारत में बहुत पहचाना हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपको फाइनेंस में महारत हासिल है तो आप भी एक फिनटेक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। विदेशों के बाद अब इसका स्कोप भारत में तेजी से बढ़ रहा है।

सरकार का मिला बहुत सपोर्ट

बतौर स्टार्टअप जब हमने काम शुरु किया तो फंडिंग की बहुत दिक्कत थी। ऐसे में उस वक्त मध्यप्रदेश सरकार की कुछ ऐसी स्कीम थी जिनका हमें बहुत फायदा मिला। एक स्कीम की मदद से हमें इंटर्न रखने के लिए फीस मिली तो एक स्कीम की वजह से हमें 7 प्रतिशत रेवेन्यू से वापस मिलता था। उस सात प्रतिशत से

हमने एम्प्लॉई वेलफेयर का काम किया जिसकी वजह से कंपनी को बड़ा होने में मदद मिली।

इंदौर में है 360 डिग्री इकोसिस्टम

लोग सिलिकॉन वैली या भारत में बेंगलोर को बिजनेस के लिए बेहतर इसीलिए मानते हैं क्योंकि वहां 360 डिग्री का इकोसिस्टम मौजूद है। मगर मुझे लगता है कि इंदौर में भी वैसा ही माहौल है। यहां आईआईटी और आईआईएम के अलावा ढेरों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यानि वर्कफोर्स आपको आसानी से मिल सकता है। यहां लैंड और सब्सिडी भी आसानी से मिल जाती है जिसकी जरूरत बिजनेस को बनाने और बढ़ाने के लिए मिलती है। कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर कुछ सालों में इंदौर देश का जाना-माना स्टार्टअप हब बन जाए।

आज हैं कई कंपनियां

एमएमसी कन्वर्ट जब सफल होने लगी तो एमएमसी बुक्स करके कंपनी खोली जिसमें पूरी तरह से ऑटोमेटेड बुककीपिंग और एकाउंटिंग की जाती है। इसके अलावा कंपनी का एक और ऐप है एमएमसी रिसीप्ट, जिसमें यूजर बिल का फोटो खींचकर ऐप में डालेंगे तो वो सीधे आपके एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। इसके साथ ही एक और कंपनी है जिसके जरिए लोग एडमिन या पर्सनल सेक्रेटरी की सुविधा ले सकते हैं।

एमएमसी में 450 महिलाएं करती हैं काम

हमारी इन सभी पांचों कंपनियों में कुल वर्कफोर्स लगभग 500 लोगों की है, जिनमें 450 महिलाएं हैं। शानू बताती हैं कि ऐसा हमने किसी सोची-समझी प्लानिंग के तहत नहीं किया, बल्कि ये अपने आप होता चला गया। हमारे यहां सभी ऐज ग्रुप की महिलाएं हैं, जिनमें कई माताएं हैं। तो हमारे यहां बच्चों के लिए एक क्रेच को लेकर और भी कई ऐसी सहूलियतें हैं जो महिलाओं के लिए एक कम्फर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट बनाती हैं। ये बात मार्किट में पहुंची तो ज्यादा महिलाएं अप्लाई करने लगीं और कारवां बनता चला गया।

इंडिया में फिनटेक का क्या है स्कोप

शानू बताती हैं कि दरअसल इंडिया में फिनटेक का काफी स्कोप है, लेकिन हम क्लाउड एकाउंटिंग पर काम करते हैं जो अभी इंडिया में पॉपुलर नहीं है। यहां आज भी टैली पर काम होता है। इंडिया में आज भी लोग एकांउंटिंग को कम्प्लाइंस मानकर उपाय नहीं करते हैं। इसलिए हमने बाहर ही फोकस किया। अब इंडिया में क्विकबुक्स और जोहो नाम के दो सॉफ्टवेयर हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं। और हमारे पास भी इंडिया में क्वेरी आने लगी है, जिसके लिए हमारे यहां अलग ही डिपार्टमेंट है। सेक्टर का फ्यूचर इंडिया में भी काफी अच्छा है। क्लाउड एकाउंटिंग की ग्लोबल ग्रोथ तीन साल में 3000 परसेंट है, जबकि इंडिया की बात करें तो ये ग्रोथ रेट अभी 200 परसेंट है।

कंपनी के लिए इंश्योरेंस खरीदना आसान बना रहा है मध्य प्रदेश का स्टार्टअप

बीमाकवच

स्टार्टअप से भारत के साथ ही मध्यप्रदेश की भी तस्वीर बदल रही है। नए बिजनेस आइडियाज और उनको धरातल पर उतारकर कुछ कर दिखाने के युवाओं के जुनून को मध्यप्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति ने कई लोगों के इनोवेटिव आइडिया और नवाचारों के सपनों में उम्मीदों का रंग भरा है। युवा नए-नए प्रयोग कर प्रदेश को नई पहचान दिला रहे हैं। प्रदेश सरकार की नीतियों से जहां स्टार्टअप को हिम्मत और हौसला मिला तो वहीं एक स्टार्टअप की दुनिया में एक कंपनी ऐसी भी उभरी जिसने दूसरी कंपनियों को बीमा का सुरक्षा कवच दिया। आज मोबाइल से लेकर मानव तक और कार से लेकर कारखाने तक लगभग सभी क्षेत्र इन्शोरेंस के सुरक्षा कवच के दायरे में आने लगे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी सोच ने किसान की फसल को भी सुरक्षा चक्र दिया है। ऐसे में नई शुरुआत करने वाले उद्यमियों के व्यापार को बीमा सुरक्षा कवच देकर उन्हें निर्भयता के साथ अपने सपने पूरा करने में मदद कर रही है। बीमाकवच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।

मध्यप्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत इंदौर के रहने वाले राजेंद्र जैन और तेजस ने अपनी कंपनी बीमाकवच की शुरुआत की। राजेंद्र कंपनी के सीओओ हैं और तेजस कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। इन्शोरेंस सेक्टर में 40 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले राजेंद्र जैन नए बिजनेसमेन की चिंताओं और कंपनी के लिए बीमा की आवश्यकताओं दोनों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। उम्र के साथ आए इसी अनुभव ने राजेंद्र जैन को एक ऐसे स्टार्टअप का आइडिया दिया जो नए स्टार्टअप को बीमा सुरक्षा कवच दे सके। आज बीमा कंपनियों की कमी नहीं है लेकिन बीमाकवच के बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यह अपने तरह का पहला डिजिटल बिजनस इन्शोरेंस प्लेटफार्म है जो स्टार्टअप, एमएसएमई और नई टेक्नोलॉजी कंपनियों को बीमा की सुरक्षा प्रदान करता है।

15 जून 2021 को शुरु हुई बीमाकवच की सबसे खास बात यह है कि यहां डिजिटल माध्यम से आसानी और पारदर्शिता के साथ बीमा कराया जा सकता है। बीमाकवच ने व्यापार बीमा के लिए भारत का पहला पोर्टल बनाया और एसएमई कंपनियों को अप्रत्याशित जोखिम से सुरक्षा देने में मदद की। बीमाकवच महज 8-10 महीनों में ही 250 से ज्यादा ग्राहकों के बीच बिजनेस को बीमा का सुरक्षा कवच दे चुकी है इतना ही नहीं अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम भी सैटल किया जा चुका है। वर्तमान में कंपनी लोगों को रोजगार भी दे रही है। बीमाकवच कंपनी की कार्यशैली, आइडिया और इनोवेशन का ही नतीजा है कि इतने कम समय में कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन और सहयोग से ऐसी कंपनियां यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा प्राप्त करने का दमखम रखती हैं।

3 साल में 5 हजार कंपनियों को बीमाकवच देने का है लक्ष्य

भारत में सामान्य बीमा क्षेत्र हर साल 12 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि बीमाकवच का दायरा हर तिमाही लगभग

50 प्रतिशत बढ़ रहा है। बीमाकवच के सीओओ राजेंद्र जैन का कहना है कि यह मेरा दूसरा स्टार्टअप है। इससे पहले मैं द ग्लू अफेयर नाम से एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड चलाता था। यह 2004 में शुरु हुआ था, और यह सफल नहीं रहा। हमें इसे कुछ वर्षों में बंद करना पड़ा, लेकिन असफलता के बाद भी, मैं प्रतिबद्ध था कि मुझे उद्यमी बनना है मैं लोगों की वास्तविक समस्या को हल करके उनके जीवन को छूना चाहता था। बीमा कवच जल्द ही डिजिटल इंश्योरेंस सेक्टर की प्रमुख कंपनी बनेगी और देश के छोटे और मध्यम व्यवसायों की मदद करेगी। हम वर्तमान में 250 से अधिक एसएमई और स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले 3 वर्षों में हमारा लक्ष्य पूरे भारत में 5 हजार कंपनियों के साथ काम करना है।

छोटे और मध्यम उद्यमियों की मदद करता है बीमाकवच

कंपनी के सीईओ तेजस जैन बताते हैं कि बीमा कवच को शुरु करने में हमें काफी समय लगा। शुरुआत में बहुत सारी वित्तीय समस्याएं थीं। यहां तक कि अधिकांश बीमा कंपनियां भी शुरु से बीमा उत्पादों का सह-निर्माण करने के लिए हमारे साथ काम नहीं करना चाहतीं थीं। लेकिन, हम कंपनी को लेकर दृढ़ थे और हमने वास्तविक समस्या का पता लगाना शुरु कर दिया कि छोटे व्यवसायों के लिए बीमा खरीदना कितना मुश्किल है। हमने छोटे व्यवसायों की समस्या के बारे में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में संपर्क करना शुरु किया और अपने मालिकाना बीमा उत्पादों के माध्यम से उनकी मदद की। शुरुआत में हमने अपने फंड और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की, लेकिन अब हमें प्रमुख निवेशकों द्वारा लगभग 15 करोड़ रुपए की वित्त सहायता से 10 से ज्यादा बीमा कंपनियां हमारे साथ काम कर रही हैं।

मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अच्छा स्टार्टअप हब बनने की अपार संभावनाएं

बीमा कवच के राजेंद्र जैन कहते हैं - हमारा मानना है कि इंदौर और मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अच्छा स्टार्टअप हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। मप्र के पास भारत का सबसे हॉट स्टार्टअप बनने में सक्षम होने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, प्रतिभावान लोग और राज्य सरकार का सहयोग है। हमारे जैसे स्टार्टअप, जिनका बंगलौर/मुंबई में संचालन है, अभी भी इंदौर में मुख्यालय रखना चाहते हैं क्योंकि हमें प्रदेश सरकार और अधिकारियों का अच्छा समर्थन प्राप्त है।

कंपनियों को वित्तीय जोखिम की चिंता से फ्री करना है लक्ष्य

कंपनी के संस्थापक राजेंद्र जैन बताते हैं कि बीमा क्षेत्र के मेरे सालों के अनुभव और व्यापार जगत के वित्तीय जोखिम की जानकारी ने मुझे ऐसी बीमा कंपनी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जो कंपनियों को आसानी से डिजिटल माध्यम से बीमा कवर उपलब्ध करा सके। व्यक्तिगत बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं लेकिन नए स्टार्टअप करने वाली कंपनियों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के विभिन्न स्तर पर वित्तीय जोखिम से बचने के लिए बीमा कवर देनी वाली कंपनियां बहुत कम हैं। हमने बीमा कवच के रूप में पहले डिजिटल बिजनेस इंश्योरेंस पोर्टल का निर्माण किया है। बीमाकवच खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक चैनल की तरह काम करता है। यह लोगों के लिए बीमा सेवाओं को उनके दरवाजे तक लाने के साथ ही बीमा खरीदना आसान बनाता है। बीमा कवच उद्यमियों को उनकी जरूरतों की पहचान करके और बीमा कवरेज की सीमा की गणना करके उन्हें बेहतर बीमा कवर लेने में मदद करता है। बीमा खरीदारों को सहज महसूस कराने में मदद करने और बीमा खरीदने को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बीमाकवच का डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य कर रहा है। बीमाकवच का उद्देश्य उद्यमियों के बीच बीमा सेक्टर का जाना पहचाना चेहरा बनना है ताकि जो लोग बीमा कवर खरीदते हैं, वे फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बीमा खरीदने की खोज करने में अधिक सहज महसूस करें जिसे वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।

मध्यप्रदेश के चाय के स्टार्टअप की खुशबू

देशभर में फैली, 100 शहरों में खोले आउटलेट्स,

85 करोड़ से ज्यादा का टर्न ओवर

स्टार्टअप के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स को और अधिक बढ़ावा देने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना-2022 तैयार की है। मध्यप्रदेश में साल 2016 में सिर्फ 7 डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे। प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति और सहयोग से वर्तमान में 1900 से अधिक डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। प्रदेश में कई ऐसे सफल स्टार्टअप हैं जिनके नए बिजनेस आइडियाज की चर्चा हर जगह हो रही है, इनमें से एक है टीलॉजी स्टार्टअप।

नई उम्मीदों के शिखर पर टी-लॉजी स्टार्ट-अप

देश में जब भी चाय की चर्चा होती है तो आमतौर पर सड़क के किनारे ढाबों में मिलने वाली चाय, होटल या फिर घर की बात होती है। कभी किसी कंपनी का जिक्र लोगों की जुबान पर नहीं आता लेकिन अब चाय के स्टार्टअप भी धूम मचा रहे हैं। एक अच्छा विचार और सही नीति किसी भी व्यवसाय को परवान चढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अभयपुर गांव के रहने वाले अजय पाटीदार और धाराखेड़ी के शुभम पाटीदार के जेहन में भी ऐसा ही विचार आया जिसे उन्होंने एक स्टार्टअप का रूप देकर नए मुकाम पर पहुंचा दिया।

चाय आज भी अधिकतर भारतीयों के जीवन का हिस्सा है। सुबह की शुरुआत अगर बेहतर चाय की चुस्कियों के साथ हो जाए तो पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। इसी चाय को एक स्टार्टअप का रूप देकर मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली युवा अजय पाटीदार और शुभम पाटीदार ने देश भर में अपनी एक नई पहचान बनाई है। उनकी सफलता आज देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रही है।

गांव में मिला कुल्हड़ चाय का आइडिया

अजय कहते हैं उनको घूमने फिरने का खूब शौक है। एक बार प्रवास के दौरान एक गांव में कुल्हड़ चाय का स्वाद लिया जो उनके मन को भा गया। फिर इंदौर में ठेले पर लोगों को चाय पीते देखा तो चाय पर ही कुछ नया करने का मन बनाया। कुम्हारों के हाथ से बने कुल्हड़ में जब उन्होंने घर पर चाय पी तो उसके स्वाद का अंदाज निराला लगा। इस छोटे से विचार ने उनकी जिंदगी को सही मायनों में बदलकर रख दिया। इसे देखकर चाय को कुल्हड़ में पेश करते हुए वे इसे लेकर लोगों के बीच पहुंचे।

कुल्हड़ कैफे से टीलॉजी की शुरुआत

अजय और शुभम बताते हैं वे दोनों पढ़ाई करने के लिए जब इंदौर गए तो उन्हें पढ़ाई रास नहीं आई और कुल्हड़ कैफे शुरू करने की ठान ली। महज तीन साल के भीतर देश के 100 शहरों में अपने आउटलेट खोलकर 85 करोड़ का टर्नओवर हासिल कर उन्होंने अपने सपनों को नए पंख लगाए हैं। इस काम में उन्हें दोस्तों का भरपूर सहयोग मिला। आज इन दोनों युवाओं का नाम सबकी जुबान पर चढ़ने लगा है क्योंकि देश भर में इनकी चाय की खुशबू

अपना रंग बिखेर रही है।

संघर्ष से पाया मुकाम

2018 के शुरुआती दिनों में दोनों की दिनचर्या संघर्षपूर्ण रही। दोस्तों की मदद से 5 लाख रुपए जुटाकर किसी तरह से कैफे का आईडिया नए आकार का रूप लेना शुरू हुआ। इन सबके बीच उनके पास अपने मकान के किराए को चुकाने के लिए भी रुपए नहीं थे, लेकिन दोस्ती की खुशबू की महक उनके चाय के स्टार्टअप पर नया रंग घोल रही थी। अजय और शुभम के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों के पास दोस्तों की ऐसी पूंजी थी जिसके बूते उन्होंने कुछ वर्षों में ही अपने व्यवसाय को बाजार में स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली। अलग-अलग फ्लेवरों में परोसी गई उनकी चाय की मिठास ने अपने दोस्तों का भी दिल जीत लिया।

दोस्त हौसलों के दर्जी होते हैं, वो मुफ्त में रफू कर देते हैं

इस दौरान उन्हें मकान किराया चुकाने के लिए भी दोस्तों से ही मदद लेना पड़ी, लेकिन कैफे का स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि उनसे अन्य लोग जुड़ते चले गए और देखते ही देखते देश भर में टी-लॉजी कैफे के माध्यम से अजय व शुभम ने 100 आउटलेट खोल लिए। 2018 से अब तक इंदौर के साथ ग्वालियर, बंगलुरु, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, भोपाल, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, पंजाब, हैदराबाद, दिल्ली, फरीदाबाद जैसे कई शहरों में कंपनी के 100 आउटलेट मुनाफा दिला रहे हैं। कंपनी का व्यवसाय अब तेजी से अपने पैर पसार रहा है।

अब विदेशी धरती में भी धूम मचाएगी चाय

अजय और शुभम कहते हैं अब उनका इरादा विदेशों में नए आउटलेट शुरू करने का है, जिस पर फिलहाल काम चल रहा है। कनाडा, अबूधाबी और दुबई में कुछ दिनों में उनके आउटलेट्स शुरु हो रहे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में फ्रेंचाइजी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। फ्रांस के प्रसिद्ध एफिल टॉवर के पास भी उनकी लोकेशन को लेकर बात चल रही है। बहुत जल्द देश की मिट्टी का स्वाद विदेशों में भी ले जाने के लिए दुबई और ऑस्ट्रेलिया में भी टी-लॉजी के आउटलेट शुरू करने की तैयारी हो गई है।

एक हजार लोगों को दिया रोजगार

प्रत्येक आउटलेट्स के लिए औसतन 5 से 6 नए लोगों को काम का मौका मिलता है। देश भर में स्थापित उनके 100 आउटलेट्स से 600 से अधिक युवाओं की आजीविका चल रही है। साथ ही 250 कुम्हार परिवारों को कुल्हड़ बनाने का भी काम मिला है, जिससे पहले की तुलना में उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। हजारों लोगों की आजीविका उनके इस आउटलेट् से आज चल रही है। अजय कहते हैं किसी काम को शुरु करना तो आसान है लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल। उन दोनों के साथ भी शुरुआत में यही हुआ लेकिन युवाओं के सहयोग से वह आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके लिए वो दोस्तों के आभारी हैं।

मध्यप्रदेश सरकार युवाओं को सहयोग कर रही है

अजय और शुभम कहते हैं कि शुरुआती वर्षों में लोग स्टार्टअप को समझ नहीं पाते थे लेकिन अब धीरे-धीरे लोग इस व्यवसाय को समझ रहे हैं। देश भर में स्टार्टअप में आज युवा रुचि ले रहे हैं। इनकी ग्रोथ को देखते हुए सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार भी युवाओं के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। आज फ्रेंचाइजी पार्टनर्स भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सरकार का सहयोग सभी को मिल रहा है।

स्रोत : जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार से सम्बंधित चुनौतियां एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में

स्टार्टअप की जरूरत

डॉ. हेमंत पाठक, इंदिरा गाँधी शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

1. प्रस्तावना

वर्ष 2020 से सारे विश्व में अनवरत फैलते कोरोना, वर्तमान में रूस एवं यूक्रेन के मध्य जारी भीषण युद्ध तथा पेट्रोलियम की आसमान छूती कीमतों ने सम्पूर्ण विश्व को मंदी की कगार पर खड़ा कर दिया है। भारत इन सब परिस्तिथियों से अछूता नहीं है। कोरोना की मार से उबरने की कोशिश में लगे उद्योगों को ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है।

ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्तमान केंद्रीय सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अधिक से अधिक उपयोग पर पहल कर रही है। हमारे देश की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम के आयात में खर्च हो जाता है। जैसे-जैसे व्यावसायिक गतिविधियां गति पकड़ती हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में लगातार गतिशील रहकर ऑटो उद्योग विकास, नवाचार और निवेश के एक नए चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इसी क्रम में केंद्रीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के बहुतायत में इस्तेमाल के लिए विविध प्रकार की नीतियां तैयार की जा रही हैं। जिसमें उन्हें रजिस्ट्रेशन से छूट इत्यादि कई प्रमोशन स्कीम्स चलाई जा रही हैं । इससे राष्ट्र की मुद्रा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकेगी।

2. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य

भारत दुनिया के सबसे बड़े अप्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार की पेशकश करता है, हालांकि, ईवी के भविष्य की राह विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही है। जबकि सरकार भारत में ईवी अपनाने को तेजी से बढ़ावा दे रही है। कई वाहन निर्माता तेजी से नवीन ईवी वाहनों का निर्माण कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में इन वाहनों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इस राह में अभी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इन चुनौतियों को ठीक किया जा सकता है।

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का बाजार 2025 तक कम से कम 475 बिलियन का होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की पहुंच वर्तमान में 1% से 2025 तक 15% तक पहुंचने का अनुमान है।

अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, उच्च प्रदर्शन वाले ईवी की कमी और उच्च अग्रिम लागत इसके बड़े पैमाने पर अपनाने की राह में एक बड़ी बाधा है।

3. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार सम्बन्धी तथ्य

इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदने सम्बन्धी निर्णय में पूंजीगत लागत हमेशा एक प्रमुख कारक रही है । अधिकतर उपभोक्ताओं का मानना है कि एक ईवी उनके बजट से परे है। हमारे देश में पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच बढ़ाने में एक बड़ी बाधा है। पारंपरिक पेट्रोल स्टेशनों की तुलना में, चार्जिंग स्टेशनों को ढूंढना कठिन होता है। आम तौर पर निवेश लागत और कठिन बुनियादी ढांचे से विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। भारत में निकेल की कमी और लिथियम उत्पादन को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे बैटरी आपूर्ति की कमी हो सकती है। जिससे निर्माता निम्न-गुणवत्ता वाले खनिज पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं । जिससे बैटरी के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में अक्टूबर 2021 में 1,200 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति की कमी दर्ज की गई, जो तापीय संयंत्रों के पास उपलब्ध कोयले के भंडार में कमी के कारण 5 वर्षों में सबसे अधिक है।

4. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनो का धीमा प्रसार

वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग महानगरों में केंद्रित

है। जहां उपभोक्ता को 80 किमी की दैनिक यात्रा के कारण चिंता है, जबकि वास्तविक उपभोक्ता छोटे शहरों में है, जहां यात्रा का दायरा 10-15 किमी है । यहां एक उपभोक्ता बिना रिचार्ज या स्वैपिंग स्टेशन की चिंता किए विद्युतीकरण के बाद 150-180 किमी की सवारी कर सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति से जुड़ी सामग्रियों के लिए मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की अनुपस्थिति, कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला की कमी के साथ, आने वाले वर्षों में इन मुद्दों पर और भी अधिक ध्यान देने की संभावना है।

संभावित बाजार में बाधाओं की लम्बी श्रृंखला है। जो ईवी उद्योग की बढ़ती मांग की क्षमता को सीमित करती है। एक अविकसित चार्जिंग पारिस्थितिकी तंत्र दोपहिया उपभोक्ता खंड में उच्च प्रवेश को बाधित करना जारी रखता है।

हालांकि, भारत में चिप्स या लिथियम-आयन सेल बनाने के लिए बुनियादी ढांचा या तकनीक नहीं है, जब तक हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं है, तब तक डॉलर की कीमतों में वृद्धि और बढ़ते तनाव के कारण अस्थिर आयात की स्थिति के साथ यह आगे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है।

5. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जरुरत

इलेक्ट्रिक वाहनों में क्रांतिकारी रूप से शिफ्ट होने में, हमारे देश को बिजली की कमी के मूल मुद्दे को दृष्टिगत रखने की जरूरत है। गांवों, छोटे शहरों और दिल्ली और एनसीआर जैसे महानगरों में लगातार बिजली की आपूर्ति में कमी के कारण घंटों तक बड़ी खराबी रहती है। ग्रीष्मकाल में बड़े पैमाने पर पावर कट करने की संभावना रहती है, वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिकतम उपयोग दो और तीन पहिया वाहन चालक करते हैं। और इन उपभोक्ता को भी 24/7 बिजली की आपूर्ति नहीं मिलती है।

भारत में लोग आमतौर पर घर या कार्य स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहनो की चार्जिंग करते हैं, जो अपनी चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, जैसे कि बहुमंजिला ईमारत में चार्जिंग स्लॉट की कमी तथा बहु-किरायेदार से निपटना, ग्रिड-कनेक्शन प्रबंधन और चार्जिंग स्थान की उपलब्धता। सरकार ने निर्माताओं को स्थानीय रूप से घटकों का उत्पादन करने और एक संरचित नीति ढांचे के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप कई उपायों की शुरुआत की क्योंकि भारत ईवी की व्यापक तैनाती को बाधित करने वाली लिथियम आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है।

हाल ही में शुरू की गई नीतियां, जिनमें बैटरी स्वैपिंग नीति शामिल है, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा वितरण के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक उत्साहजनक कदम है, देश भर में एक अच्छी तरह से स्थापित ईवी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की संभावना है, जबकि भारतीय सड़कों पर ईवी की सवारी करने में ग्राहकों का विश्वास पैदा होता है। बिजली की आपूर्ति के लिए बैटरी स्वैपिंग मॉडल ने चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी को दूर कर दिया है, लेकिन भविष्य में दोनों मॉडलों का मिश्रण देखने की संभावना है।

6. निष्कर्ष

वर्तमान में, इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार स्वतंत्र डीलरशिप के साथ बिखरा हुआ है, जिससे सेकेंड-हैंड बिक्री के लिए उचित बुनियादी ढांचा बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, वाहन की वारंटी, गुणवत्ता और ताकत काफी भिन्न होती है। रफ यूज के कारण कई बार वाहन खराब हो जाते हैं, या बैटरी खराब हो जाती है। वर्तमान में प्रयुक्त वाहनों की बिक्री के लिए शायद ही कोई औपचारिक बुनियादी ढांचा है। वैश्विक अर्धचालकों की कमी आगे आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे पैदा करती है। और ऑटोमोटिव मूल उपकरण निर्माता के लिए वस्तुओं के स्थानीयकरण को बढ़ावा देती है।

हालांकि, बड़े मूल उपकरण निर्माता आयात पर निर्भरता कम करने और सरकारी सब्सिडी तक पहुंचने के लिए 50% स्थानीयकरण मानदंडों को पूरा करने के लिए ईवी घटकों के बाजार में उद्यम करने की पहल कर रहे हैं।

एक पर्याप्त बुनियादी ढांचा जो कि सस्ती, सुलभ है और सभी उपभोक्ता समूहों को मजबूत वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र, नीति प्रोत्साहन और तकनीकी प्रगति के साथ सेवा प्रदान करता है, आने वाले दशक में केंद्रीय शासन की पर्यावरणीय नीतियां इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार करने की संभावना को प्रबल करते हैं।

सेडमैप समाचार

एनयूएलएम के तहत छतरपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

एनयूएलएम के तहत, वर्ष 2019-20 के आदेश के परिपालन में 30 नवम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक सेडमैप छतरपुर द्वारा नगरपालिका छतरपुर में तीन ट्रेडों में कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। ब्यूटी थैरपिस्ट, रिटेल सेल्स व फैशन डिजाइनिग व अन्य ट्रेडों हेतु

सेडमैप को चयनित कर कार्य आबंटित किए जा रहे हैं। अभी 100 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक प्लेसमेन्ट प्रदान किया जा चुका है तथा ब्यूटीथैरपिस्ट ट्रेड में एनएसडीसी द्वारा 100 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

छतरपुर में पीएमईजीपी योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

सेडमैप छतरपुर द्वारा पीएमईजीपी योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 70 ऋण स्वीकृत नव उद्यमियों को 10 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें लगभग 4 करोड़ के इन्वेस्टमेन्ट से लगभग 400 युवाओं को रोजगार सृजन किया गया तथा विश्व महिला दिवस पर सेडमैप प्रशिक्षित महिला उद्यमियों का सम्मान किया गया।

सेडमैप द्वारा छतरपुर में सोशल ऐनीमेटरों को दिया गया प्रशिक्षण

जिले में मनरेगा के तहत हुए कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्रामीण सामाजिक ऐनीमेटरों के रूप में चयनित 137 प्रतिभागियों को सेडमैप द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रदेश स्तर पर सराहना की गई तथा जिले के प्रशिक्षित व्हीएसए को प्रदेश में उत्कृष्ट व्हीएसए के रूप में चयनित किया गया।

पांच दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को नजदीकी गांवों का भ्रमण करा कर ग्राम सभा और सोशल ऑडिट की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। उसके बाद सभी को समारोहपूर्वक प्रमाण

पत्र वितरित कर उत्साहवर्धन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम सभा, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के तहत मौखिक, भौतिक व दस्तावेजी सत्यापन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सामाजिक अंकेक्षण के जिला नोड अधिकारी **श्री दीपक खरे** ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में टीम गठित कर जल्द ही अलग-अलग पंचायतों में हुए मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण इस टीम के द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को नजदीकी ग्राम पंचायत भौरी में

कपिलधारा कूप, सीसी रोड, पीएम आवास सहित मनरेगा के अन्य कार्यों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही ग्रामसभा की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर परियोजना अधिकारी **श्री चक्रेश जैन** ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण का फीडबैक लेकर ईमानदारी से कार्य करने की सलाह दी। वहीं पांच दिनों तक लगातार प्रतिभागियों को हर बिंदु पर जानकारी देने वाले मास्टर ट्रेनर **श्री आर.एस. पाण्डेय** ने दृढ़ इच्छाशक्ति से सफलता पाने के गुर बताए। कार्यक्रम का संचालन सेडमैप के जिला समन्वयक **श्री महेंद्र श्रीवास ने** किया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी बिजावर **श्री हरचरण सेन, श्री संतोष गुप्ता** बड़ामलहरा, **श्री अखिलेश जैन** बकस्वाहा, **रेशमा खातून** छतरपुर, मास्टर ट्रेनर **श्री राहुल दुबे, श्री कपिल खरे, सुश्री अंजलि यादव** और अनोखी कला से उपस्थित लोगों को अचंभित करने वाले नन्हें कलाकार **आरव खरे** के अलावा अन्य प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में निरंतर सहयोग के लिए शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुश्री नीरजा खरे, श्री गजेंद्र सिंह, श्री दीपक कुडेरिया, श्री शुभम, सुश्री संध्या, रोशनी, सुमन, रामबाई, विभा राजा, मुकेश, पंकज, पारूचि, प्रियंका ने अहम भूमिका निभाई।

चित्र में सेडमैप जिला समन्वयक श्री एम. के. श्रीवास, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक श्री आशुतोष गुप्ता, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सुश्री सुधा श्रीवास्तव एवं प्रशिक्षणार्थीगण।

जिला स्तरीय स्वरोजगार समन्वय समिति में सेडमैप को मिला प्रतिनिधित्व

जिला स्तर पर एक दिवसीय स्वरोजगार समन्वय विकास हेतु जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में सेडमैप द्वारा प्रेजेन्टेशन मीटिग कम कार्यशाला का आयोजन किया गया। फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आईएस **श्री हिमान्शु चन्द** द्वारा जिले के लिए सेडमैप की प्लानिंग प्रेजेन्टेशन की सराहना की गई एवं जिला स्तर पर स्वरोजगार विकास समन्वय सलाहकार समिति का गठन कर प्रशासन को मन्जूरी हेतु नोटशीट भेजी गई जिसमें सेडमैप उक्त समिति का संयोजक सदस्य होगा। इससे सेडमैप का स्थानिय स्तर पर प्रशासनिक महत्व बढ़ेगा।

इंडो जर्मन टूल रूम के सहयोग से 6 सप्ताह के उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

छतरपुर जिले में उद्यमिता विकास केंद्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) के द्वारा इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर के सहयोग से आयोजित 6

सप्ताह के उद्यमिता विकास सह कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत सीईओ **श्री हिमांशु कौशल** ने प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए कहा कि सेडमैप द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केंद्र रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के विकास में नींव का पत्थर साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिले में औद्योगिक जरूरत को ध्यान में रखकर शुरू हुए इस प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थी निश्चित ही सफल उद्यमी बनेंगे। सेडमैप के जिला समन्वयक **श्री महेंद्र कुमार श्रीवास** ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 युवा शामिल हो रहे हैं। इन्हें शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने हेतु छः सप्ताह का विशेष उद्यमिता विकास सह कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जिले में स्थापित हो सकने वाले रेडीमेड गारमेन्ट उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के साथ-साथ उद्योग स्थापना के विभिन्न चरण, प्रक्रिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लेखा संधारण, बैंकिंग प्रक्रिया, शासन के विभिन्न नियमों की जानकारी, लाइसेंसिंग, टेक्सेशन आदि विषयों पर सैद्धांतिक एवं कौशल का प्रेक्टिल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा प्रशिक्षण पश्चात शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत रूपये 50 हजार से 02 करोड़ तक के प्रकरण तैयार कराए जाएंगे जिसमें अलग अलग प्रावधानों के अनुसार 15 से 35 प्रतिशत तक के अनुदान का प्रावधान है। जिले में स्व रोजगार एवं उद्योग विकास हेतु पिछले साल से एक समन्वित प्रयास के रूप में औद्यौगिक माहौल निर्माण का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से नव उद्यमी तैयार करने की कोशिश है।

डिजिटल मार्केटिंग रचनात्मक युवाओं के लिए वर्तमान में आकर्षक करियर विकल्प

शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में 20 जनवरी, 2022 को स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना एवं क्वालिटी लर्निंग सेंटर की अकादमिक उत्कृष्टता गतिविधियों के अंतर्गत डिजिटल मार्केटिंग विषय पर पांच दिवसीय रोजगारोन्मुखी अल्पावधि प्रशिक्षण संपन्न हुआ। समापन समारोह में वरिष्ठ अध्यापक **डॉ. वाई. के. मिश्र** मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे तथा अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य **डॉ. संजय वा**ते ने की। अतिथियों के स्वागत पश्चात ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर **प्रो. दिनेश बौरासी** ने प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं रूपरेखा से अतिथियों को अवगत कराया। तत्पश्चात सेडमैप के जिला समन्वयक **श्री विजय चौरे** ने प्रशिक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वरिष्ठ प्राध्यापक **डॉ. वाई. के. मिश्र** ने विद्यार्थियों को इस तरह के रोजगारपरक विषयों में अपना करियर

बनाने एवं उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने भी अतिथियों के समक्ष प्रशिक्षण का फीडबैक प्रस्तुत किया। प्राचार्य **डॉ. संजय वाते** ने कहा की वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र रचनात्मक युवाओं के लिए एक आकर्षक करियर विकल्प है, वह इसमें वर्क फ्रॉम होम से भी अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को इस क्षेत्र की बहुत सी तकनीकी जानकारियों से भी अवगत कराया। गुणवत्ता प्रकोष्ठ समन्वयक **डॉ. भावना देशपांडे** ने विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में निरंतर अद्यतन ज्ञान अर्जित करते रहने एवं शीघ्र ही स्वयं का कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन **डॉ. विजय कुमार सोनिया** ने किया एवं आभार प्रदर्शन **डॉ. रविकांत मालवीय** द्वारा किया गया।

भिंड में ईडीपी के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदाय करते हुए माननीय **श्री ओ.पी.एस. भदौरिया** – राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं **श्री राजकुमार सिंह कुशवाह** – उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश खाद बीज विकास निगम दर्जा राज्यमंत्री, भिंड कलेक्टर **डॉ. सतीश कुमार एस।** कार्यक्रम की अवधि **7 फरवरी 2022 से।**

अलीराजपुर में पीएमईजीपी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण

अलीराजपुर में 13 दिसंबर से 23 दिसंबर, 2021 तक आयोजित पीएमईजीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया।

फोटो : अलीराजपुर पीएमईजीपी

मध्यप्रदेश औद्योगिक परिदृश्य

गौहर महल में कॉटन कलेक्शन प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ

भोपाल, बुधवार, मई 4, 2022। गर्मी के मौसम में भोपालवासियों को आधुनिक डिजायन युक्त सूती वस्त्र उपलब्ध कराने के लिये गौहर महल में कॉटन कलेक्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी 12 मई, 2022 तक संचालित की गई । प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ आयुक्त-सह-प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम **श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव,** राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त काष्ठ शिल्पी **श्रीमती नीतू यादव** तथा अन्य राज्य-स्तरीय शिल्पियों द्वारा संयुक्त

रूप से किया गया। कॉटन कलेक्शन प्रदर्शनी में चंदेरी, महेश्वरी, मलवरी सिल्क सहित हथकरघा पर बनाये गये अन्य उत्पाद विक्रय के लिये रखे गए। प्रदर्शनी स्थल पर सायंकाल प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

मुम्बई फैशन-शो में अर्चना कोचर के मालवा मेलोंज कलेक्शन ने बांधा समां

भोपाल, शनिवार, अप्रैल 30, 2022। विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर **अर्चना कोचर** के हथकरघा वस्त्रों से बने मालवा

मेलोंज कलेक्शन की प्रस्तुति के साथ मुम्बई में मध्यप्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के फैशन-शो का समापन हुआ। मालवा-मेलोंज प्राचीन हथकरघा शैली और पश्चिमी शैली से बने पारम्परिक वस्त्रों का मेल है, जो आधुनिक भारतीय दुल्हन के लिए एक नायाब तोहफा होगा। इस कलेक्शन को प्रदेश के ख्याति प्राप्त संगीतकार और गायक मीत बंधुओं की मनमोहक धुन पर अभिनेत्री राकुल प्रीत ने रैम्प पर प्रस्तुत किया। फैशन-शो में मालवा मेलोंज को चार चरण में अलग-अलग मॉडल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। पहले चरण में सिंक्रोनाइज्ड सिन्टलेशन प्रदर्शित किया गया। शो में हाथ से बनी पारंपरिक चंदेरी और समकालीन झालर के साथ परिधान शामिल रहे। हाथीदांत, पीले, गुलाबी और नीले रंग के झिलमिलाते सितारों और मोतियों से सजे परिधान और आभूषणों ने सबका मन मोह लिया। इस संग्रह में रंगों के समूह का इंडो-वेस्टर्न थीम पर आधारित लुक सामने आया।

दूसरे चरण में शुद्ध रेशम पर शीशे, गोटा और चमड़े की कढ़ाई के मिश्रण से बने परिधानों को प्रस्तुत किया गया। हाथीदांत का आधार मस्टर्ड, नारंगी और बैंगनी रंग के फ्यूजन रंग पैलेट से सजा यह कलेक्शन स्वयं ही अपनी छाप छोड़ गया। तीसरे चरण में भारतीय परम्परागत विवाह समारोह में दुल्हन की हल्दी की रस्म

को फूलों की हल्दी के रूप में प्रस्तुत किया गया। अर्चना कोचर द्वारा हल्दी के रंगों से मिलता हुआ, दुल्हन की मंशा के अनुरूप रंगीन और अनूठी कढ़ाई के वस्त्रों के साथ, पूरे मंच को पीले रंग के फूलों से सजाया गया। यह सीक्वेंस फूलों की हल्दी की नए जमाने की परंपरा को समर्पित रहा।

चौथे चरण में **अर्चना कोचर** ने शीशों की चमक को आत्मा की गहराई से जोड़ दिया। शुद्ध रेशम और चंदेरी से समृद्ध कपड़ों की यह प्रदर्शनी आत्म-विभोर कर रही थी। इन परिधानों को बनाने में शीशों और मोतियों का उपयोग किया गया।

फैशन-शो से हथकरघा उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार

लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री **श्री गोपाल भार्गव** ने कहा है कि मुंबई में हुए फैशन-शो से मध्यप्रदेश के खादी और रेशम के वस्त्रों को वैश्विक बाजार मिल सकेगा। उन्होंने फैशन-शो के सफल आयोजन के लिए प्रदेश के बुनकर, फैशन डिजाइनर और विभागीय अमले को शुभकामनाएं और बधाई दी। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के हस्तशिल्प कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार मुहैया कराया जा सके। इससे प्रदेश के हथकरघा और शिल्प कला को सम्मान मिलेगा। साथ ही उनके उत्पादों को वाजिब दाम भी मिलेंगे।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के संकेतक उत्साहजनक - मंत्री श्री दत्तीगांव

तीन दिवसीय ऑटो-शो का हुआ समापन

भोपाल, शनिवार, अप्रैल 30, 2022। मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के संकेतक उत्साह जनक दिख रहे हैं। ऑटो-शो का आयोजन इस दिशा में उत्प्रेरक का काम करेगा। हम आगे और बेहतर करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप अगले वर्ष होने वाले ऑटो-शो को विश्व स्तर का बनाएंगे। औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री **श्री राजवर्धन दत्तीगांव** ने शनिवार 30 अप्रैल, 2022 को इंदौर में तीन दिवसीय ऑटो-शो के समापन समारोह में यह बात कही। औद्योगिक विकास निगम के एमडी **श्री जॉन किंग्स ली** और सीआईआई के **श्री संदीप** तथा आयोजन के प्रतिभागी उपस्थित थे।

मंत्री श्री राजवर्धन ने कहा कि ऑटो-शो का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं का एक शोकेस प्रस्तुत करना था। हमारा मजबूत इको-सिस्टम और प्रभावी नीतियां औद्योगिक वातावरण के लिए एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने बताया कि ऑटो-शो में व्हीकल निर्माण करने वाली लगभग 100 कंपनियों ने भाग लिया। एक हजार से अधिक औद्योगिक प्रतिनिधि और 50 हजार विजिटर्स शामिल हुए। आयोजन में 220 बी-टू-बी मीटिंग की गई। ग्यारह कंपनियों के 15 नए वाहनों की लॉन्चिंग कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री **श्री शिवराज सिंह चौहान** द्वारा की गई। मंत्री श्री दत्तीगांव ने प्रतिभागी कंपनियों विशेष तौर पर जॉन डीयर, वॉल्वो, आईसर, टैफे इत्यादि का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यहां हुए पैनल डिस्कशन से भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिला है। आयोजन में एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए नि:शुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया। **श्री जॉन किंग्स ली** ने कहा कि आयोजन के लिए हमें कम समय मिला था। यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे औद्योगिक विकास केंद्र की टीम ने समय पर पूरा किया। अंत में औद्योगिक विकास निगम के कार्यपालक निदेशक **श्री रोहन सक्सेना** ने सभी का आभार माना।

राष्ट्रीय औद्योगिक परिदृश्य

वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 में छात्र आयुर्वेद स्टार्टअप को 2.50 करोड़ रुपए का वित्तपोषण मिला

आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं। तीन दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन (जीएआईआईएस 2022) में स्टार्टअप्स और छात्रों की उत्साहजनक भागीदारी देखी गई, जिन्होंने अपने उत्पादों और विभिन्न पहलों का प्रदर्शन किया। जीएआईआईएस 2022 में आयोजित प्रदर्शनी में स्टार्टअप के साथ कई स्थापित कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। **नीलकंठ मार्डिया** द्वारा स्थापित ऐसे ही एक छात्र आयुर्वेदिक स्टार्टअप, ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस को एक निजी कंपनी से 2.50 करोड़ रुपए के वित्तपोषण का प्रस्ताव मिला है।

गुजरात के जामनगर के रहने वाले **नीलकंठ मार्डिया,** इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (आईटीआरए), गुजरात के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। स्टार्टअप स्थापित करने के उनके सपने को प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से पंख लग गए। अक्टूबर 2021 में, केवल 5 लाख रुपए के साथ, उन्होंने आयुर्वेद आधारित कॉस्मेटिक कंपनी ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस का शुभारंभ किया था लेकिन धन की कमी के कारण, वह अपनी पहुंच का विस्तार करने और बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं थे। वह इस निधियन का उपयोग उत्पादों के विस्तार और विपणन में सुधार के लिए करेंगे।

प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** ने गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का

उद्घाटन करते हुए उल्लेख किया था कि अन्य क्षेत्रों की तरह, उन्हें आशा है कि आने वाले वर्षों में आयुष क्षेत्र से भी प्रतिभाऐं सामने आएंगी। **नीलकंठ मार्डिया** की सफलताएं आयुष क्षेत्र से और अधिक स्टार्टअप्स को उभरने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

आईटीआरए के निदेशक **डॉ. अनूप ठाकर** ने कहा कि **नीलकंठ मार्डिया** शुरू से ही जल्द सीखने वाले और मेहनती छात्र रहे हैं। उन्हें आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित नए सूत्र खोजने में रूचि रही है। वह अपने उद्यमी सपने को लेकर बहुत उत्साहित रहे हैं। डॉ. अनूप ठाकर ने प्रसन्नता जताई कि एक निजी कंपनी ने उनके स्टार्टअप में 2.50 करोड़ रुपए निवेश करने की पेशकश की है और हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस कंपनी आयुर्वेदिक आधारित कॉस्मेटिक उत्पाद जैसे एंटी-एजिंग क्रीम, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम, फेशियल क्लींजर, नर्सिंग फेशियल क्लींजर, इंटेंस रिपेयर फेशियल क्लींजर, हेयर क्लींजर, हेयर कंडीशनर और फेशियल सीरम बनाती है।

ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस कंपनी के पास भविष्य के लिए कुछ बड़ी विस्तार योजना है। स्टार्टअप ग्रीन फॉरेस्ट का लक्ष्य वेलनेस क्लिनिक स्थापित करना है, जहां रोगी को प्राकृतिक तरीके से उनकी समस्या के अनुसार आयुर्वेदिक दवा दी जा सकेगी। इसकी अन्य योजना में ग्रीन फॉरेस्ट वेलनेस पार्क की स्थापना भी शामिल है, जो नशामुक्ति की दिशा में कार्य करेगा। उन्होंने हरित वन पशु चिकित्सा समाधान स्थापित करने की भी योजना बनाई है, जहां आयुर्वेदिक विधियों और उपचार क्षेत्र के माध्यम से पशुओं को स्वस्थ रखा जा सकेगा।

टिकाऊ स्टार्टअप के लिए उद्योग की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण : डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री **डॉ जितेंद्र सिंह** ने 28 अप्रैल, 2022 को कहा कि टिकाऊ स्टार्टअप के लिए उद्योग की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। भारत की नवाचार यात्रा के 75 साल का जश्न शीर्षक से नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, **डॉ. जितेंद्र सिंह** ने कहा, अटल इनोवेशन मिशन ने हमारे स्कूलों और कॉलेजों में नवाचार और उद्यमिता की भावना जगाई है। इस प्रकार, यह उन्हें आत्मविश्वासी स्व-नियोक्ता बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिशन अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हेल्थ-टेक, फिन-टेक, एग्री-टेक, एआई-एमएल, आईओटी और सार्वजनिक महत्व के अन्य क्षेत्रों जैसे नवाचार के सभी प्रमुख क्षेत्रों में 2,200 से अधिक स्टार्टअप की मदद कर रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** हैं, जिनको विज्ञान के प्रति न सिर्फ पहले ही अनुराग है, बल्कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित पहलों एवं परियोजनाओं को समर्थन व बढ़ावा देने में स्पष्टवादी हैं। उन्होंने

कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भारत के वैज्ञानिक कौशल की प्रमुख भूमिका होगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से स्कूली बच्चों में नवोन्मेषी मानसिकता पैदा करने से लेकर स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को अपने कार्यक्रमों जैसे अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स और एएनआईसी की चुनौतियों के माध्यम से समर्थन देने तक, एआईएम देश में नवाचार और उद्यमिता परिदृश्य को समग्र रूप से और व्यापक रूप से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अटल इनोवेशन मिशन, जिसकी स्थापना को हाल ही में छह साल पूरा हुआ है, सरकार की परिकल्पना 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' का पूरक है।

डीएसटी के मार्गदर्शन कार्यक्रम का जिक्र करने के अलावा, **डॉ. जितेंद्र सिंह** ने कहा, कैच देम यंग अर्थात किशोरावस्था के विकास की अहमियत के मंत्र के साथ अटल टिंकरिंग लैब को जमीनी स्तर पर नवाचार को आकर्षित करने के लिए और विकास और व्यापक पहुंच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत में दस लाख बच्चों को आधुनिक नवोन्मेषक के रूप में विकसित करने की परिकल्पना के साथ, एआईएम पूरे भारत के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज (एटीएल) स्थापित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य बाल मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना है और डिजाइन मानसिकता, अभिकलनात्मक सोच, अनुकूली शिक्षा, भौतिक अभिकलन आदि जैसे कौशल विकसित करना है। **डॉ. जितेंद्र सिंह** ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार एक दूसरे से संबद्ध हैं और अच्छी वैज्ञानिक मनोवृति और अनुसंधान एवं विकास की संरचना वाला देश नवाचार और उद्यमिता में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा। मंत्री ने याद दिलाया कि 2019 में 106वीं विज्ञान कांग्रेस में **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी** ने प्रसिद्ध नारे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में जय अनुसंधान जोड़कर अनुसंधान के महत्व पर बल दिया था। **डॉ. जितेंद्र सिंह** ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नवाचार परिदृश्य में एक उल्लेखनीय प्रगति की है और आज भारत में 60,000 से अधिक पंजीकृत स्टार्ट-अप और लगभग 90 यूनिकॉर्न हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे स्टार्ट-अप्स और इनोवेटर्स के

लगातार प्रयासों और अटल इनोवेशन मिशन, डीएसटी, बीआईआरएसी, स्टार्ट-अप इंडिया, एमईआईटीवाई आदि जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से सरकार के समर्थन से संभव हुआ है और यह देश के अभिनव एवं उद्यमशीलता कौशल को भी दर्शाता है।

मंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत में नवाचार आगामी वर्षों में

देश को 5 लाख करोड़ अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार की दिशा में एक संरचित और नियोजित रणनीति की आवश्यकता होगी और इस संबंध में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने करने के लिए इसके लिए, अटल इनोवेशन मिशन को इसके दायरे और आकार के मामले में एक व्यापक संगठन में बदलना होगा।

आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 साल का उत्सव मनाने और देश के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न सिर्फ भारत को इसकी विकास यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत 2.0 यानी नये भारत की परिकल्पना साकार व सक्षम बनाने की शक्ति और क्षमता भी है। यही आत्म निर्भर भारत की भावना अटल इनोवेशन मिशन के उद्देश्यों में अंतर्निहित है।

इस अवसर पर राव इंद्रजीत सिंह और डॉ. जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से 75 कार्यक्रमों का अनावरण किया जिनसे भारत की नवाचार यात्रा में बदलाव आया है।

डॉ. एस.चंद्रशेखर, सचिव, डीएसटी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार पथप्रदर्शक नवोन्मेषों की मदद करेगी। उन्होंने स्टार्ट-अप्स को कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को रसायन, कीटनाशक और यूरिया जैसे कठिन क्षेत्रों के अलावा बड़े पैमाने पर स्टार्ट-अप की जरूरत है।

इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य और नामित वीसी डॉ. सुमन के बेरी द्वारा अटल न्यू इंडिया चैलेंज का शुभारंभ, अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग द्वारा एटीएल हॉर्सेस स्टेबल जूनियर का शुभारंभ और प्रो. अजय कुमार सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार द्वारा ई-बुक इनोवेशंस फॉर यू का विमोचन किया गया और डॉ. चिंतन वैष्णव, एमडी, एआईएम ने अटल इनोवेशन मिशन की यात्रा पर एक नोट प्रस्तुत किया।

भारत और जर्मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टार्ट-अप के साथ-साथ 'एआई' अनुसंधान और स्थिरता व स्वास्थ्य देखभाल में इसके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने पर मिलकर काम करने पर सहमत

जर्मन शिक्षा और अनुसंधान मंत्री बेटिना स्टार्क-वाट्जिंगर के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और जर्मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टार्टअप्स के साथ-साथ एआई अनुसंधान और स्थिरता एवं स्वास्थ्य

देखभाल में इसके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।

दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक-साथ काम करने की काफी संभावना है, जिसके लिए दोनों पक्षों के विशेषज्ञ पहले ही मिल चुके हैं। इसके लिए शोधकर्ताओं और उद्योग से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए एक इंडो-जर्मन प्रस्ताव की आवश्यकता पेश की जाएगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि नवंबर 2019 में, चांसलर मर्केल के दिल्ली दौरे के दौरान, जर्मनी और भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने उच्च शिक्षा में इंडो-जर्मन भागीदारी को अगले चार वर्षों के लिए बढ़ाने का भी फैसला

किया, जिसमें प्रत्येक का योगदान 35 लाख यूरो था।

भारत और जर्मनी ने दोनों देशों के जारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक रणनीतिक स्तंभ है। दोनों देशों के अकादमिक, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच मजबूत संबंध हैं और वे हमारी रणनीतिक अनुसंधान तथा विकास साझेदारी में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं।

बर्लिन में अपने आधिकारिक कार्यक्रम के तीसरे दिन, डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों देश अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, साइबर फिजिकल सिस्टम, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, डीप ओशन सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में अनुसंधान और संयुक्त सहयोग विकसित करने का प्रस्ताव। दोनों देशों ने सस्टेनेबिलिटी अर्थात टिकाऊ विकास और हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग जैसे क्षेत्रों में एक-दूसरे की क्षमता का आकलन करना शुरू कर दिया है।

दोनों मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण समूहों (आईआरटीजी) कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और जर्मन रिसर्च फाउंडेशन (डीएफजी) के बीच हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापन पर संतोष व्यक्त किया जिससे पीएचडी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय और जर्मन छात्रों के प्रशिक्षण को लक्षित क्षमता निर्माण की दिशा में सहयोग को और प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय और जर्मन अनुसंधान समूहों से प्रस्ताव आमंत्रित करने की अपील पहले ही की जा चुकी है।

दोनों मंत्रियों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता विकास के लिए कई पहलें की गई हैं, जिनमें विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिला भागीदारी (डब्ल्यूआईएसईआर) शामिल है। इससे जारी एस एंड टी परियोजनाओं और पेयर्ड अर्ली कैरियर फेलोशिप में महिला शोधकर्ताओं के पार्श्व प्रवेश की सुविधा मिलेगी जो दोनों पक्षों के युवा शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान के साथ भारत-जर्मन एस एंड टी सहयोग के लिए एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा। औद्योगिक फेलोशिप का उद्देश्य जर्मन औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में युवा भारतीय शोधकर्ताओं को अनुभव देना था।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार नवाचार को काफी महत्व देती है। वर्तमान सरकार नवाचार, उद्यमिता और आईपी जेनरेशन की मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने पर बल देती है। भारतीय नवोन्मेष प्रणाली सामर्थ्य और पहुंच पर ध्यान देने के साथ प्रक्रिया संचालित होने के बजाय ज्यादातर उद्देश्य से प्रेरित है।

बेटिना स्टार्क-वाट्जिंगर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में भागीदारी करके द्विपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग को और मजबूत करने के विचार का समर्थन किया, जहां जर्मनी और भारत दोनों के पास एक साथ काम करने और दो समाजों की सेवा करने की शक्ति है।

देश के अन्य राज्यों में कॉयर उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है सरकार

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री **श्री नारायण राणे** और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री **श्री भानु प्रताप सिंह** वर्मा ने विभिन्न राज्यों के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तमिलनाडु के कोयंबटूर में आजादी का अमृत महोत्सव के

तहत आयोजित किए जा रहे एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री राणे ने उत्पादों के विकास, उत्पादों के विविधीकरण और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के जरिए कॉयर के नए उत्पादों तथा अनुप्रयोगों के विकास पर जोर दिया।

सुर्ख़ियों में सेडमैप

फील्ड में जाकर बताई सोशल ऑडिट की बारीकियां

जिला पंचायत सीईओ ने किया उद्यमिता सह कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ

फील्ड में जाकर बताई सोशल आडिट की बारीकियां

समारोहपूर्वक हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन

छतरपुर, 12 नवम्बर (कास)। मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण के लिए चयनित प्रतिभागियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जिसमें प्रतिभागियों को नजदीकी गांव का भ्रमण कर ग्रामसभा और सोशल आडिट की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसके बाद समारोहपूर्वक सभी को प्रमाणपत्र वितरित कर उत्साहवर्धन किया गया।

जिले के चार ब्लॉकों छतरपुर, बिजावर, बकस्वाहा और बड़ामलहरा के चयनित करीब 90 प्रतिभागियों को मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण द्वारा मनरेगा के कार्यों की जानकारी दी गई। जिसमें ग्रामसभा, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के तहत मौखिक भौतिक और दस्तावेजी सत्यापन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सामाजिक अंकेक्षण के जिला नोडल अधिकारी दीपक खरे ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में टीम गठित कर जल्द ही अलग-अलग पंचायतों में हुए मनरेगा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण इस टीम के द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को नजदीकी ग्राम पंचायत भीरी में कपिलधारा कूप, सीसी रोड, पीएम आवास सहित मनरेगा के अन्य कार्यों का निरीक्षण करने के प्रक्रिया से अवगत कराया साथ ही ग्रामसभा की जानकारी दी। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर परियोजना अधिकारी फकेश जैन ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण का फीडबैक लेकर ईमानदारी से कार्य करने की सलाह दी। वहीं 5 दिनों तक लगातार प्रतिभागियों को हर बिन्दु पर जानकारी देने वाले मुख्य मास्टर ट्रेनर आरएस पाण्डेय ने दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता पाने के गुर बताए। कार्यक्रम का संचालन सेडमैप के जिला समन्वयक महेन्द्र श्रीवास ने किया। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी बिजावर हरचरन जैन, संतोष गुप्ता बड़ामलहरा, अभिलाष जैन बकस्वाहा, रेशमा खातून छतरपुर, मास्टर ट्रेनर राहुल दुबे, कपिल खरे, अंजलि यादव और अनीता कला ने उपस्थित लोगों को अर्जित करने वाले नये कलाकार आलम खरे के अलावा अन्य प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में निरंतर सहयोग के लिए शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में प्रतिभागी नीलम खरे, गजेन्द्र सिंह, दीपक कुटेरिया, शुभम, संध्या, रीतनी, सुमन, रामबाई, निभा राजा, मुकेश, पंकज, पार्वती, प्रियंका, समेत करीब 90 प्रतिभागियों ने सहयोग कर प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाई।

डिजिटल मार्केटिंग पर अल्पावधि प्रशिक्षण प्रारंभ

करियर की संभावनाओं से रूबरू कराया

आर.एन.आई. नं. 56386/92

स्वरोजगार स्थापना में बनें सहभागी

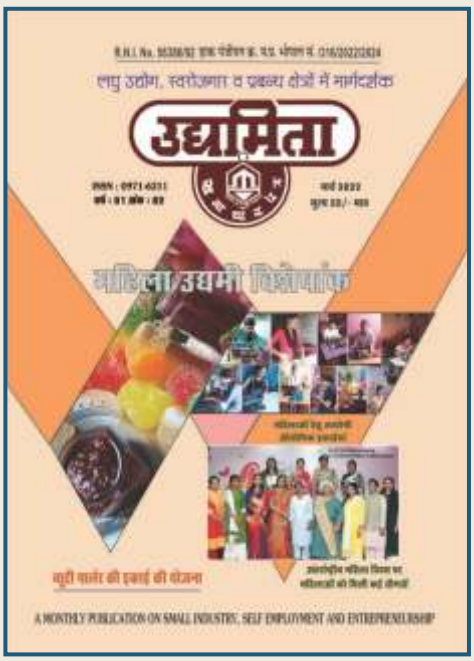

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाले लेखों जानकारियों का सादर स्वागत है।

उद्यमिता समाचार पत्र में प्रचार

बढ़ाएगा आपका व्यापार

संपादकीय एवं व्यावसायिक संपर्क

उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अधीन)

16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011 म.प्र.

फोन : 0755 - 4000914 **ई-मेल :** cedmapusp@rediffmail.com

वेबसाइट : www.cedmapindia.mp.gov.in

स्वामी उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप), भोपाल के लिए आर.के. सेक्यूप्रिंट प्रा.लि. पिपलानी, भोपाल मप्र द्वारा मुद्रित और **उमाशंकर दुबे, उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप), भोपाल** द्वारा प्रकाशित तथा आर.के. सेक्यूप्रिंट प्रा.लि. पिपलानी, भोपाल से मुद्रित और **उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप)**, 16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 मध्यप्रदेश से प्रकाशित। संपादक : **उमाशंकर दुबे**